(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–5 **दसवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का पहला दिवस** **संख्या–1**

गुरुवार,

26 अक्टूबर, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्र गीत

श्री अध्यक्ष : वन्दे मातरम्।

(वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्। मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी।
फुल्ल कुसुमित धुमदल शोभिनी।
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न, श्री विष्णु मोदी!

मैसर्स कानोडिया रबर (प्राइवेट) लि. सुवाना (भीलवाड़ा) का भूमि प्रकरण

1. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मैसर्स कानोडिया रबर (प्राइवेट) लिमिटेड सुवाना (भीलवाड़ा) को उद्यम स्थापित किये जाने के लिये विभाग द्वारा किन-किन शर्तों पर कुल कितनी भूमि का आबंटन किया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त औद्योगिक इकाई अपनी स्थापना के पश्चात् रूग्ण हो गयी थी और उसने पुनर्संस्थापन हेतु अधिशेष भूमि को बेचान कर अनुमानित पैकेज के आधार पर ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राशि उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में विभाग में आवेदन किया था? यदि हां, तो कुल कितनी अधिशेष भूमि के बेचान के लिये इकाई ने आवेदन किया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त इकाई को रुग्ण होने और पुनर्संस्थापन हेतु अधिशेष भूमि के बेचान के लिये जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अनुमति प्रदान नहीं की गयी?

(4) क्या यह सही है कि उक्त इकाई को आबंटित भूमि राजस्थान वित्त निगम के पास रहन रखी हुई है? यदि हां, तो क्या राजस्थान वित्त निगम के पास रहन रखी हुई भूमि के सम्बन्ध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर अवाप्त की गयी भूमि का अन्य प्रयोजनों हेतु आबंटन किया गया है? यदि हां, तो क्यों और किन नियमों के तहत?

श्री अध्यक्ष : पहला प्रश्न स्थगित है। श्री रघुवीर सिंह।

श्री अरुण सिंह (डीग) : अध्यक्ष महोदय, हमारा भरतपुर डूब गया___

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं माँग करूंगा, निवेदन करूँगा कि मुख्य मन्त्रीजी ने मीणा समाज को अपमानित किया है उसके लिये___(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर डूब गया **और** इसके जिम्मेदार___(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्नकाल ले लें___(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : ये इस्तीफा दें___(व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : मैं धरना दे रहा हूं___(व्यवधान) सिंचाई मंत्रीजी हैं___(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह द्वारा सदन के वैल में धरना)

श्री अध्यक्ष : इसके पश्चात् सारा का सारा लें___(व्यवधान)___प्रश्नकाल तो होने दें आप। प्रश्न आपका है, इम्पोर्टेण्ट प्रश्न है, थोड़ा आने दें आप___(व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : विधायकों की समाज के सामने___(व्यवधान)___ मैं धरने पर बैठता हूं___(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे सवाल के पोस्टपोनमेंट पर कोई एतराज नहीं है लेकिन, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विधान सभा के गार्जियन हैं, आप हमारे संरक्षक हैं और यह सरकार जो कि विधान सभा के सत्र नहीं बुलाती, तीन सत्र नहीं होते, सन् 1995 के साल में सिर्फ 26 बैठकें हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में जो हम सवाल पूछते हैं उन सवालों के जवाब नहीं दिये जाते, पिछले सत्र में जो मैंने सवाल पूछे थे उनमें से एक प्रश्न का 12.10.1995 को जवाब आया है, एक का 21.10.1995 को जवाब आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को तय करवायें कि सरकार इस सदन को किस तरह से चलाना चाहती है___ (व्यवधान) इस सरकार का इस सदन में कोई विश्वास नहीं है और इस सदन के अन्दर जो आश्वासन दिये जाते हैं___(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : इस सदन के अन्दर मुख्य मन्त्रीजी ने 21.4.1994 को आश्वासन दिया उस आश्वासन की पालना नहीं हुई, तो आप कम से कम इस बात को निर्धारित करवायें क्योंकि इस सरकार की मंशा विधान सभा चलाने की नहीं रही है, विधान सभा के बारे में इस सरकार का बहुत उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है, वह इसके बारे में कोई मर्यादा नहीं रखना चाहती है। न सत्र बुलाये, न निर्धारित संख्या में बैठकें बुलाये, न प्रश्नों का जवाब दे, न आश्वासनों का जवाब दे तो फिर हमारे यहां बैठने का क्या औचित्य है? आप इसके गार्जियन हैं, आप हमारे संरक्षक हैं, आप इस बात को सुनिश्चित करवायें आज इसकी यह 27वीं बैठक है___

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी ।

श्री विष्णु मोदी : जो 60 बैठकें साल में होनी चाहिये उसमें आज यह 27वीं बैठक है। सवालों के जवाब नहीं, आश्वासनों के जवाब नहीं, कालिंग अटेंशन लगते नहीं और प्राइवेट मैम्बर्स डे का पिछले दो सालों में एक दिन हुआ है। इसलिए आप इस बात को तय

(श्री विष्णु मोदी)

करवायें कि सरकार किस तरह से सदन चलाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री रघुवीर सिंह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट बिल्स मेरे पास पड़े हुए धूल खा रहे हैं, आप बतायें कि इनको कहां ले जाऊं।

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्न प्राइवेट बिल का नहीं है, प्रश्न की बात हो रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये इस बात को। अगर आप नहीं सुनेंगे तो_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले प्रश्नकाल आ रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमारे सवालों का सही जवाब नहीं दिया जा रहा है, आश्वासन दे दिया गया, डंकल पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री माननीय, श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने इस सदन में यह कहा था कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो पहले आपसे राय लेंगे_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सदन में चर्चा करवायेंगे और सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गये। इस तरह की बातें_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराज जाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर सत्र में पूरी बैठकें नहीं करवायी गयीं तो आप यह बताइये__

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कि इन समस्याओं को लेकर कहां जायें, सचिवालय को तो चैत्यालय बना रखा है, कोई घुस नहीं सकता। अब इन समस्याओं के निराकरण के लिये हम कहां जाकर किससे कहें ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं, प्रश्नकाल होने दें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह डरती क्यों है, क्या डर बैठा हुआ है हमसे इन लोगों के दिमाग में ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमसे मत डरिये, विवाद करिये, चर्चाएं करवाइये, चर्चा करके फैसला करवाइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन इस तरीके से मत डरिये आप_(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यहां पर कोई बघेला नहीं है और कोई बघेला बन भी गया तो हम रोक देंगे। कायम रहो जिधर हो उधर रहो + + + ।

श्री अध्यक्ष : आप विराज जाएं। श्री रघुवीर सिंह जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब यह जरूरी कागज देखो आप। चार लाइन हैं मेरी_

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी का प्रश्न आने दें__

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो हमारे मुख्य मंत्रीजी के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र में ऐसा मत करो। चार लाइन पढ़कर बताता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जायें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बड़ा मजा आयेगा। अध्यक्ष महोदय, आप सुनिये— (व्यवधान) इसे सुनो और सब को सुनने दो। यह नींव को मजबूत करेगा।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, यह "इ" है या "ति" है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा राज्य मन्त्री) : यह "इति" है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आकर देख लो क्या हूं।

"क्या मिलेगा दहाड़ कर प्यारे,

जिन्दगी मत तिहाड़ कर प्यारे,

लाख दुनिया थपेड़े मारेगी,

अपने मन को पहाड़ कर प्यारे।"

झेल ले राजा तिवाड़ी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आखरी लाइन सुन लो आप।

"यह सियासत बड़ी दुधारू है,

तुझको रख देगी फाड़कर प्यारे।"

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। श्री रघुवीर सिंह जी।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से और उनके मन्त्रिमण्डल से एक निवेदन करना चाहती हूं और पूछना भी चाहती हूं कि—

श्री नाथूसिंह (पंचायती राज राज्य मन्त्री) : यह जीरो आवर है क्या ?

श्रीमती कमला : यह जीरो आवर नहीं है। यह आप क्या सामान्य तौर पर रूटीन के सवालों से इस जनता को राहत पहुँचाना चाहते हैं, क्या इस प्रदेश का विकास उन रूटीन के सवालों से करना चाहते हैं ?—(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : यह क्वेश्चन आवर में कैसा प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष : कमला जी, प्रश्नकाल है, इम्पोर्टेण्ट सवाल हैं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : एक तरफ काश्तकार बुवाई के लिये, उत्पादन के लिये, बिजली के लिये तरस रहा है और दूसरी तरफ आप रूटीन में विधान सभा चलाने का तकाजा कर रहे हैं। मैं आपसे और इस सदन से निवेदन करना चाहती हूं—

श्री अध्यक्ष : बिराज जाएं आप।

श्री देवीसिंह भाटी : यह क्वेश्चन आवर में इस प्रकार से बगैर किसी रेफरेंस के बोल रही हैं, यह कोई महत्त्वपूर्ण मुद्दा नहीं है—(व्यवधान)

श्रीमती कमला : कि आप यहां अन्दर बैठे हुए, जयपुर में बैठे हुए लोगों के लिये नहीं हैं, इसलिए आप राजस्थान के तमाम काश्तकारों की तरफ ध्यान दीजिये—

श्री देवीसिंह भाटी : बगैर मतलब यह चर्चा की जा रही है, वरिष्ठ माननीय सदस्या, इस प्रकार से प्रश्न काल के अन्दर यह समय नहीं गंवाया जाय—(व्यवधान)

श्रीमती कमला : वे अपनी बुवाई नहीं कर पा रहे हैं, उत्पादन गिर रहा है, उनको बिजली नहीं मिल रही है 2-2, 4-4 घण्टे के अलावा, वह भी तोड़-तोड़कर बिजली मिल रही है और हम चुपचाप बैठे हैं__(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं। उनके पास में बुजुर्ग एवं वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हैं, वह इनको समझाएं और बैठायें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : सबसे पहला सवाल बिजली का है। काश्तकार को बिजली नहीं मिल रही है और गाँवों के अन्दर लोग तड़प रहे हैं, सारे काश्तकारों का उत्पादन खतम हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम पहले सवाल लेंगे। मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में सबसे पहले सरकार__(व्यवधान)__अपने दिये हुए आश्वासनों के बारे में क्या कर रही है वह बताये__(व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : इन्होंने 45 साल में क्या किया ? आज बिजली__(व्यवधान)

श्रीमती कमला : और आगे काश्तकार को उत्पादन बढ़ाने के लिये__

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती कमला : सिर्फ एक नर्सरी__ (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से प्रश्नकाल समाप्त करके हो क्या रहा है ? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मात्र एक नर्सरी में पैसा खींचने के लिये__(व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल है और माननीय सदस्या बिना किसी प्रक्रिया के, बिना कोई प्रश्न किये बोली जा रही है__(व्यवधान) इन्होंने ही सारा संकट खड़ा किया है। यह जब खुद बिजली मंत्री थीं तब इन्होंने ही__(व्यवधान) सदन का वक्त जाया किया जा रहा है__(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर है तो क्वेश्चन लीजिये__(व्यवधान) प्रश्न लीजिये और इनको बोलने की अनुमति नहीं दी जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी।

श्री कालूलाल गूजर : सारी समस्याओं का समाधान गणेश जी को दूध पिला दो, हो जाएगा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने आज तक भी जाकर भण्डार थाने में निर्दोष किशोर मीणा की हत्या हुई, बौंली थाने में__(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप बिराज जायं। प्रश्नकाल समाप्त होने दें। (व्यवधान) परसादी लाल जी आप बिराजें।

श्री अमरा राम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कहा था कि एक महीने में कनेक्शन दे दिये जाएंगे, करोड़ों रुपया लेने के बाद आप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं__(व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, स्वयं उप मुख्य मन्त्रीजी ने अलवर में कहा था कि आंदोलनकारी लोगों, निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस थानों को (व्यवधान) दिया गया है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, हो गया।

श्री अमरा राम : माननीय अध्यक्ष जी, पूरे राजस्थान में (व्यवधान) कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं।

श्री अमरा राम : अब इनको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है जिससे (व्यवधान)

(6)

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं करें। अंकित नहीं करें आप। कोई अंकित नहीं करें।

श्री अमरा राम : XXX

श्री परसादी लाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा।

श्री परसादी लाल मीणा : XXX

श्री अमरा राम : XXX

श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : XXX

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : XXX (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : XXX

श्री रामेश्वर चौधरी : XXX

श्री नाथूसिंह गुर्जर : XXX

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : XXX (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : माननीय पूनमचन्द जी बोल रहे हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से विनती करूँगा कि यह प्रश्नकाल है। माननीय सदस्यों ने बहुत (व्यवधान) प्रश्न पूछे हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिजली की, ट्रांसफार्मर्स की कमी है (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शून्यकाल में उठा लीजिए। पर्याप्त समय है आपके पास, प्रश्नकाल में कृपया प्रश्नों का उत्तर आने दें। मैं विनती करूँगा सबसे, शून्यकाल आ रहा है। आप उस वक्त कितना ही बोलें। आज कोई कार्यसूची भी नहीं है। आज कोई कार्य सूची नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल ठीक बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी।

जनजाति उप योजना क्षेत्र में संचालित योजनाएं

2. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति उप योजना में राजस संघ के माध्यम से क्षेत्र के विकास हेतु कौन-कौनसी योजनाएं चलाई जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में "आपणी दुकान" कितनी चल रही हैं? क्या ये दुकानें सुचारू रूप से चल रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उप योजना क्षेत्र में राजस संघ द्वारा तेंदू पत्ता, सफेद मूसली, गोंद, मछली आदि का व्यवसाय किस तरह से कराया जाता है एवं क्रय मूल्य क्या निर्धारित किया हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्द लाल मीणा) : (1) जनजाति उपयोजना में राजस संघ के माध्यम से क्षेत्र के विकास हेतु निम्नलिखित योजनाएं चलायी जा रही हैं :—

(क) उपभोक्ता सामग्री वितरण

(ख) कृषि उपादान वितरण

(ग) लघु वन उपज संग्रहण

(घ) मत्स्य आखेट एवं विपणन

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता सामग्री वितरण

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(च) आपणी दुकान

(छ) रेशम हाथ करघा योजना

(ज) हेचरी निर्माण

(झ) मत्स्य पालन

(ञ) नाव जाल वितरण

(ट) खुदरा मत्स्य बिक्री केन्द्रों का संचालन

(ठ) जलाशय संरक्षण

(ड) मत्स्य समितियों का गठन एवं संरक्षण

(ढ) मत्स्य प्रशिक्षण

(2) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में 16 "आपणी दुकान" चल रही हैं। 16 दुकानों में से 2 दुकानें बन्द हैं। शेष दुकानें सुचारू रूप से चल रही हैं। ग्राम पिलादर एवं बलुआ के विक्रेताओं द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करायी जाने से ये दुकानें बन्द हैं।

(3) उपयोजना क्षेत्र में राजस संघ द्वारा तेंदू पत्ता, सफेद मूसली, गोंद, मछली आदि का व्यवसाय आदिवासी समितियों के माध्यम से तथा अधिकृत एजेंटों द्वारा करवाया जाता है। वर्ष 1995-96 में तेंदू पत्ता का क्रय राजस संघ द्वारा नहीं किया जा रहा है, शेष सामग्री की क्रय दरें निम्नानुसार हैं :—

सफेद मूसली "अ"	325/- प्रति किलो
सफेद मूसली "ब"	90/- प्रति किलो
सफेद मूसली "स"	45/- प्रति किलो
गोंद धावड़ा "अ"	150/- प्रति किलो
गोंद धावड़ा "ब-1"	75/- प्रति किलो
गोंद धावड़ा "ब-2"	45/- प्रति किलो
गोंद धावड़ा "स"	20/- प्रति किलो
गोंद खैर "अ"	25/- प्रति किलो
गोंद खैर "ब"	20/- प्रति किलो
गोंद छोड़ी	7/- प्रति किलो
गोंद गोंदल	0.80 प्रति किलो

मछली पकड़ाई दरें :—

	जयसमन्द जलाशय		माही जलाशय		कडाना जलाशय
श्रेणी	दर प्रति किलो	श्रेणी	दर प्रति किलो	श्रेणी	दर प्रति किलो
1	21.00	1	17.00	1	17.00
2	17.20	2	13.20	2	13.20
3	9.20	3	8.20	3	8.20
4	23.00	4	16.00	4	16.00
5	3.50	5	4.20	5	4.20

श्री टीकम चन्द कान्त : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के पहले की बात अंकित नहीं हुई ना। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जनजाति उपयोजना क्षेत्र में चलायी जा रही योजनाओं के बारे में, राजस संघ के माध्यम से चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बता दिया। मैं मात्र एक बिन्दु पर निवेदन करना चाहूंगा, "आपणी दुकान" नामक इन्होंने जो योजना चलायी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 16 दुकानें हैं, उनमें से दो बंद बतायी हैं। परन्तु अमूमन यह देखा गया है कि पूरी की पूरी दुकानें बन्द के बराबर ही मानी जाती हैं चूंकि एक माह में एक बार कहीं गाड़ी आएगी, फिर चार माह बाद इनका सामान खाली करने के लिये गाड़ी आएगी। दो दुकानों को इन्होंने इसलिए बन्द किया है कि बकाया राशि जमा नहीं करायी, परन्तु सभी जगह ऐसा नहीं है हकीकत यह है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि आपके विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा वहां के व्यापारियों से कमीशन लेकर "आपणी दुकान" नामक योजना को फेल करने का षड्यंत्र किया है? अगर आपके ध्यान में यह है तब तो ठीक है। यदि नहीं है तो मैं सत्यता के साथ कह रहा

(श्री रघुवीर सिंह)

हूं कि वहां ऐसा चल रहा है। वहां जो दूसरे व्यापारी हैं, वे कमीशन देकर इस योजना को फेल करने में लगे हुए हैं। दुकान तो दुकान के तरीके से चलेगी। 15 दिन बन्द रहेगी और फिर एक माह बाद वापस खोलेंगे तो कौन व्यापारी आएगा। इसलिए यह योजना नाम मात्र की योजना रह गयी है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।

दूसरा, मूल्यों के बारे में आपने बताया है कि राजस संघ के माध्यम से जो भी खरीददारी की जाती है, गोंद है, सफेद मूसली है, मछली है, जो भी चीजें हैं, बाजार में कम से कम दुगुने रेट में खरीदी जाती हैं। यहां जैसे सफेद मूसली की कीमत 325/- रुपये बतायी है लेकिन वहां बाजार में 600/- रुपये की कीमत से खरीदी जाती है तो यह भिन्नता क्यों है? विभाग जो खरीदता है और राजस जो खरीदता है, उसके मूल्य में और बाजार का जो मूल्य है, वह बराबर लाने का क्या आप विचार रखते हैं?

तीसरा, मछली पालन सम्बन्धी क्रय मूल्य राजस संघ का 20 रुपये किलो का बताया है जबकि बाजार में उसका डबल मूल्य है। क्या यह शोषण नहीं हो रहा है? 3.50 रुपये प्रति किलो (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (आसीन्द) : ये प्रश्न पूछ रहे हैं या..... (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : वी.पी. सिंह जी, आप सुनिये। 3.50 रुपये किलो मछली खरीदते हैं तो उसकी मेहनत कितनी होगी? 3.50 रुपये में मेहनत करके रात भर ठण्ड में मरेगा और रिस्क लेकर मछली निकालेगा, 3.50 रुपये किलो की खरीद राशि है तो मन्त्रीजी इस बारे में कोई स्पष्ट जवाब दें?

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा—

श्री अध्यक्ष : आज बिराजिये, पहले प्रश्नकर्ता ने पूछा है। आप बिराज जाएं।

श्री महावीर भगोरा : मेरा सप्लीमेंट्री छोटा-सा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि राजस संघ का जो बाई-लाज बना है, क्या उस बाई-लाज के अनुसार राजस संघ काम कर रहा है? वह जो भी एक्टीविटीज चला रहा है, उसके तहत कर रहा है या नहीं?

नम्बर दो, 1994-95 में निगम की तरफ से तेंदू पत्ते का संग्रहण होता था तो उसमें क्या लाभ-हानि रही? वह भी थोड़ा माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को उपभोक्ता सामग्री समय पर मिले, मुनाफाखोर उनका शोषण नहीं करें, इस दृष्टि से राजस संघ के माध्यम से लगभग 172 दुकानें "आपणी दुकान" के नाम से प्रारम्भ की गयीं। जहां तक सराड़ा से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल है, मैं पिछले माह और इस माह में भी पूरे आदिवादी क्षेत्र में घूमा हूं और खासकर इस बात पर मैंने विशेष ध्यान दिया है कि जो भी "आपणी दुकान" चल रही है, उससे आदिवासियों को सही रूप से लाभ मिल रहा है या नहीं या बिचोलिये इन दुकानों के माध्यम से कोई लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। इस सदन से निवेदन है, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि जो सुविधा राजस संघ के द्वारा "आपणी दुकान" के माध्यम से दी जा रही है, वह संतोषप्रद है। यदि माननीय सदस्य अनुभव करते हैं कहीं दुकान में कोई गड़बड़ी, तो आप मुझे बता दें, मैं निश्चित रूप से उन गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश करूँगा।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, सवाल जो माननीय सदस्य ने किया, उसका जवाब नहीं है। आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठें।

श्री भंवर सिंह (मेड़ता) : आप कौन हैं बीच में ?

श्री विष्णु मोदी : जो स्पेसिफिक सवाल हैं, उनका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। आप संतुष्ट हैं या नहीं, इससे क्या मतलब है ?

श्री भंवर सिंह (मेड़ता) : आप कौन हैं बीच में ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में—

श्री अध्यक्ष : उनको जवाब देने दें।

श्री नन्दलाल मीणा : केवल दो दुकानें हैं, एक तो ग्राम पिलादर, जो उदयपुर से सलूम्बर के रास्ते में ग्राम स्थित है, वहां की दुकान बंद है और दूसरा एक बलुआ ग्राम है सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में, वहां की दुकान बंद हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सारी दुकानें, 172 जो दुकानें हैं सारी आदिवासी बेरोजगार नवयुवकों को दी गयीं। इन दुकानों के साथ, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था की है कि दस हजार रुपये प्रत्येक दुकानदार को बिना ब्याज के कर्जा दिया गया है और चार हजार रुपये तराजू, बांट आदि उपकरणों के लिए, व्यापार के लिए जिन उपकरणों की आवश्यकता होती है, उन उपकरणों के लिए अलग से दिये गये। दो दुकानें जो बंद हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं कहता कि माननीय सदस्य कहां तक इस ओर ध्यान देते हैं, परन्तु इनके ही निकट सम्बन्धी हैं, जो पैसा राजस संघ के माध्यम से इनको दिया जाता है, समय-समय पर अगर वह लौटाते हैं तो राजस संघ उनको दुबारा उसकी सामग्री और राशि उपलब्ध कराता है। राशि वापस नहीं लौटाने की वजह से, अध्यक्ष महोदय, यह दो दुकानें बंद पड़ी हैं। मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जो राशि उनमें बकाया है, कृपया वह अपने प्रभाव का उपयोग करके वहां लौटा दें ताकि दुबारा जल्दी से जल्दी दुकानें प्रारम्भ की जायें।

जहां तक, अध्यक्ष महोदय, मछली के मूल्य का सवाल है, राजस संघ के द्वारा एक संचालक मण्डल का गठन किया गया, राज्य सरकार द्वारा, संचालक मण्डल इस बात को तय करता है समय-समय पर, कि जैसे वन उपज है, लघु वन उपज है, मछली का जो व्यापार है, विपणन का जहां तक सवाल है, इनके लिए एक कमेटी गठित की गयी, वह कमेटी समय-समय पर बैठकें करके मूल्य का निर्धारण करती है और मूल्य का निर्धारण करने के बाद जो आदिवासी मछुआरे वहां पर हैं उन मछुआरों को उसका भुगतान करते हैं। रहा सवाल, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर या अन्य बाजारों में मछली के भाव के बारे में जो इन्होंने कहा है, मैं यह चाहूंगा, मैं भी जयसमंद आया करता हूं और प्रतापगढ़ में भी फिशरीज की एक दुकान राजस संघ की चलती है, जो भाव यह बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह भाव तो वहां पर नहीं है, कहीं पर भी उदयपुर सम्भाग में नहीं है।

श्री राधेश्याम : क्या भाव हैं, आप बता दें ?

श्री विष्णु मोदी : क्या भाव हैं ?

श्री राधेश्याम : आप तो यहां बता दीजिये—(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : मोदीजी, आप उस चीज का भाव पूछ रहे हैं जिससे आपको मतलब ही नहीं है। यह भाव तो मुझे पूछना

(10)

(श्री नन्दलाल मीणा)

चाहिये था। यह भाव तो, अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछना चाहिये था कि प्रतापगढ़ में क्या भाव मिल रही है, बांसवाड़ा में क्या मिल रही है, उदयपुर में क्या भाव मिल रही है।

श्री राधेश्याम : इसका मतलब सारी मछलियां आप ही खाते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या ?

श्री राधेश्याम : इसका मतलब सारी मछलियां आप ही खा जाते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अभी विपणन का काम प्रारम्भ किया जा रहा है, इसी महीने में संचालक मण्डल की बैठक होगी और भाव का पुनर्निर्धारण किया जायेगा ताकि उन मछुआरों को उनके पारिश्रमिक के हिसाब से सही ढ़ंग से पैसा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, बाई-लाज के बारे में गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया है, मेरा इसमें निवेदन है कि 1975 में जब इस राजस संघ का गठन किया गया तब से सहकारी विभाग के बाई-लाज के आधार पर इसका गठन है। छोटे-छोटे लैम्पस और पैक्स आदिवासी इलाके में उप योजना क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन्हीं को-आपरेटिव एक्ट के आधार पर यह बाई-लाज चलते हैं और उसी के आधार पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंगें हुआ करती हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में पिछली 5 सितम्बर को जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक जब जयपुर में हुई, राज्य स्तरीय बैठक है, जिसमें उदयपुर सम्भाग के सभी माननीय सदस्य, जो ट्राइबल एरिया से चुनाव जीत कर आये हैं, इस समिति के सदस्य हैं, सबने निर्णय किया कि राजस संघ के कार्यकलापों के बारे में जिस आधार को लेकर इसका गठन किया गया था कि आदिवासियों को आर्थिक दृष्टि से सीधा लाभ मिले, उसकी व्यवस्था हो और वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उनसे किस प्रकार का अन्तर आया है। इस दृष्टि से कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, इस नवम्बर के महीने के आखिर तक उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएंगी और मैं समझता हूं कि दो महीने बाद दिसम्बर में जब वापस जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक होगी, वह जो रिपोर्ट प्राप्त होगी, वह रिपोर्ट सदन के सम्मुख रखी जायेगी, परिषद के सामने रखी जाएगी और परिषद जो भी उसमें गाइडेंस देगी, मैं कोशिश करूंगा कि आदिवासियों के हित में वह योजनाएं लागू की जायें।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। धनखड़ साहब।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहूंगा...

श्री विष्णु मोदी : जितना लैम्प्स में, जितना इस संघ में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जितने लोगों को सस्पैण्ड किया है...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, धनखड़जी का प्रश्न है।

श्री विष्णु मोदी : जितने लोगों के खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है...

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न रह गया तेन्दु पत्ते के बारे में...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : ...और इसलिये मैं आपके

(श्री विष्णु मोदी)

माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जितना भ्रष्टाचार है उतना शायद किसी में नहीं है, उसको तुरन्त रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। आपकी सप्लीमेंट्री पहले आ गयी है। धनखड़जी, आप पूछ रहे हैं?

श्री हीरालाल सहरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो दुकानें चल रही हैं उपयोजना क्षेत्र में, दस हजार रुपये की लिमिट से दुकानें चलना सम्भव है क्या? दस हजार रुपये की जो लिमिट है वह बहुत कम है, उस लिमिट को बढ़ाया जाय, मेरा एक सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। धनखड़जी।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि ट्राइबल डवलपमेंट के लिए केन्द्र सरकार ने जो करोड़ों रुपये दिये हैं जिनका या तो पूरा उपयोग नहीं हुआ है या जो भी उपयोग हुआ है उसके बारे में काफी शंकाएं जाहिर की जा रही हैं तो क्या, सदन के नेता भी यहां उपस्थित हैं, केन्द्र सरकार से जो सहायता ट्राइबल डवलपमेंट के लिए मिलती है, उसके हर साल करोड़ों रुपये लैप्स होते हैं, क्या इसकी जांच करवायेंगे ताकि—

श्री अध्यक्ष : माननीय, इससे सम्बन्धित प्रश्न पूछिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह राजस संघ के बारे में बात है, बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : क्योंकि ट्राइबल डवलपमेंट के मामले में इस सरकार का जो मानस है वह साफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : सदन के नेता ने भी एक कार्यक्रम में जिस प्रकार की भावना जनजाति के लिए व्यक्त की वह किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं मानी जा सकती।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में एक उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, मैं समझता हूं सदन में—

श्री अध्यक्ष : जनजाति, राजस संघ की बात हो रही है, बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : वह पैसा उसी में जाता है। जो केन्द्र से पैसा मिलता है उसका उपयोग भी इन्हीं स्कीम्स के लिए होता है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें अब। चुन्नीलाल जी।

श्री जगदीप धनखड़ : ताकि केन्द्र सरकार की असिस्टेंस लैप्स नहीं हो, जनजाति का विकास हो—

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री जगदीप धनखड़ : तो क्या उच्च स्तरीय जांच इस प्रकार की व्यवस्था करने का इरादा है?

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि पूर्व में लैम्प्स और पैक्स के माध्यम से क्या इस तरह की दुकानें प्रारम्भ की थीं, यदि की थीं तो कितना पैसा बकाया है उनके ऊपर और क्या उसी के आधार पर यह

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

"आपणी दुकान" चालू करने का आधार बनाया है? यदि नहीं, तो उसमें क्या संशोधन किये हैं? दूसरा, क्या दस हजार रुपये में कोई दुकान चलाई जा सकती है? यदि नहीं, तो क्या उससे कुछ आधार बढ़ायेंगे दस हजार से ऊपर?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज-शाहबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने एक गम्भीर सवाल किया है कि दस हजार रुपये बिना ब्याज के कर्जे के और जो चार हजार रुपये आवश्यक उपकरणों के लिए जनजाति सहकारी निगम के माध्यम से दिये जा रहे हैं, क्या यह पर्याप्त हैं? मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह रुपया पर्याप्त नहीं है। और बढ़े, इसके बारे में क्या व्यवस्था हो, वह की जाएगी, उसकी व्यवस्था होगी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मोदीजी का सवाल है, इन्होंने यह कहा है कि राजस संघ में भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ है, अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि पिछले सत्र में हमने इस बात का, माननीय श्री शेखावत साहब के निर्देश के अनुसार इस राजस संघ में सुधार हो, इस दृष्टि से हमने प्रयास किये और जिन-जिन अधिकारियों ने पिछले टाइम में, कांग्रेस के शासन में खासकर, जो घपलेबाजी की है, उनका विस्तृत लेखांकन कर जांच करवायी गयी। अध्यक्ष महोदय.......

श्री किशन मोटवानी : आपके राज वालों की नहीं?

श्री नन्दलाल मीणा : और जांच के आधार पर जो अधिकारी-कर्मचारी दोषी पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। इसलिए मैं समझता हूं मोदीजी को इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहिए कि जो कदम वर्तमान सरकार ने उठाये हैं वह आदिवासियों के हित में हैं। यह स्कीम "आपणी दुकान", उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, यह पहला एक परीक्षण के तौर पर, अध्यक्ष महोदय, हमने प्रारम्भ किया है, जैसे मैंने पहले ही निवेदन किया है कि आदिवासी इलाके में सूदखोर और मुनाफाखोर, आदिवासियों का शोषण करते हैं, उस शोषण से मुक्ति दिलाना जनजाति विकास विभाग का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रथम दायित्व बनता है। इस दायित्व का निर्वहन हम कैसे करें, तो सबसे प्रारम्भ में हमने शुरूआत यह की अध्यक्ष महोदय।

डॉ. हरिसिंह (फुलेरा) : शोषणकर्त्ता आप ही लोग हैं उनके। यह बी.जे.पी. वाले लोग ही शोषणकर्त्ता हैं उनके।

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय चौधरी साहब, + + + की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर साहब, बिराजिये।

डॉ. हरिसिंह : यह तराजू, तराजू, यह ही शोषण करते हैं तो उनसे मुक्ति तो आप पा नहीं सकते। ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : तो यह परीक्षण हमारा सफल हुआ, अध्यक्ष महोदय, परन्तु इसमें जो कमियां, खामियां हैं, कुछ पैसा और बढ़ाने की...

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक प्रश्न पूछने दें।

श्री नन्दलाल मीणा : इन दुकानों को पंचायत स्तर पर ले जाने की व्यवस्था, आदिवासियों को उसमें हिस्सेदारी देने की, यह सारी व्यवस्थाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल मीणा)

में इतना ही निवेदन करूंगा कि 25, 26 और 27 नवम्बर को उदयपुर में हमारी बैठक है।

उस बैठक में जो भी कमियां-खामियां हैं उनका विस्तार से सारे अधिकारियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श करेंगे और उसका समाधान दिसम्बर तक निश्चित रूप से होगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लैम्प्स में बांसवाड़ा में कौनसी तारीख में भ्रष्टाचार हुआ और क्या उस वक्त कांग्रेस का शासन था या भारतीय जनता पार्टी का शासन था?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। अभी लैम्प्स की बात नहीं हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : और उस भ्रष्टाचार में वहां कौन-कौन अधिकारी शामिल थे और क्या आपने उसको भंग किया? उसके बाद में आपने क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री महावीर भगोरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने तेंदू पत्ते के बारे में जानना चाहा था।

श्री अध्यक्ष : एक ही प्रश्न है और 20 मिनट से ऊपर हो गये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल से सम्बन्धित था परन्तु माननीय सदस्य को मैं सूचित करना चाहूंगा कि यह मसला बांसवाड़ा का नहीं है, बांसवाड़ा के पास में एक कूपड़ा गांव है, वहां का है और शायद आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कांग्रेस शासन में कांग्रेस के नुमाइन्दे जो वहां पर वोटों के आधार पर अध्यक्ष मनोनीत हुए थे उनके काले-कारनामे हैं मैने सहकारिता मंत्रीजी को भी पत्र लिखा है कि ऐसे लोगों के दरवाजे वहां सड़क पर घूमने के लिये नहीं होने चाहिये, उनको तो चारदीवारी में, कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है। माननीय सहकारिता मंत्री जी इस पर....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री विष्णु मोदी : लैम्प्स कूपड़ा में क्या भ्रष्टाचार हुआ और आपने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न बहुत काफी हो चुका, अब बिराजें आप....(व्यवधान) दयाराम जी, बिराजें आप।

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष जी, मुझे एक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष : पूछ लें आप। एक सप्लीमेंट्री और कर लें आप। 20 मिनट से ऊपर हो गये।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जनजाति विकास निगम का उद्देश्य बताया कि जन-जातियों को शोषण से मुक्ति दिलाना है पर मत्स्य आखेट के लिए आपने जो समितियां बना रखी हैं उन समितियों का मुख्य काम मछलियां मारना और निगम को तोल देना है। उससे जो प्राफिट होता है वह प्रोफिट तो निगम खाता है और उन समितियों को केवल दो रुपये, तीन रुपये, चार रुपये किलो मछलियां खरीदकर जो उनको पैसा मिलता है वही आप देते हैं तो किस तरह से आदिवासियों को आप शोषण से मुक्त करना चाहते हैं। क्या निगम का उद्देश्य गरीबों का शोषण करना है या भला करना है या शोषण से मुक्त करना है?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री नन्दलाल मीणा)

खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने मछलियों की दरों के बारे में यह बताया है कि काफी शोषण हो रहा है। जनजाति सहकारी विकास निगम द्वारा जयसमन्द जलाशय, माही जलाशय और कड़ावा जलाशय का फिशरीज आखेट का काम हाथ में लिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मोदी जी अच्छी तरह से जानते है, इनकी वैरायटी तो मैं नहीं जानता, यह एक नम्बर की क्वालिटी की मछलियों का जयसमन्द में, 29 रुपये प्रति किलो से पेमेंट होता है, माही बजाज सागर में और कड़ावा जलाशय में 17 रुपये की दर से होता है, इस तरह से अलग-अलग दरें हैं। अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द की मछली कलकत्ता जाती है और हिन्दुस्तान में काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक वगैरह नहीं होते हैं इसलिए उसका भाव ज्यादा है।

श्री नाथू सिंह (पंचायती राज राज्य मंत्री) : मोदी जी के स्वास्थ्य का यही राज है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, फिर भी जैसा मैंने निवेदन किया इनकी रेट्स रिवाइज की जाएंगी। अभी काम शुरू नहीं हुआ है। रेट्स रिवाइज करके इस साल के लिए जो वहां सब-कमेटी बनी हुई है वह रिवाइज्ड रेट को लागू करेगी।

श्री दयाराम परमार : मैं प्रोफिट की बात कर रहा हूं, रेट की बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि पिछली जन-जाति सलाहकार परिषद् की बैठक में उठाया गया था और कमिश्नर टी.ए.डी. की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है वह सारे कार्यकलापों की जो राजस संघ के माध्यम से डील होते हैं उनके गुण-दोष के बारे में वह रिपोर्ट देगी और मैं उसे परिषद् से सदस्यों के सम्मुख रखूंगा।

जो भी निर्णय होगा, वह अपन मिल बैठ कर लेंगे और आदिवासियों का हित होगा। जो अहित अब तक हुआ है, पर अब तो कम से कम हित हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब क्या बाकी रह गया? अब बिराजें आप। एक ही सप्लीमेंट्री के लिए कहा था।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राजस संघ का बोर्ड है, जो विधिवत् काम कर रहा है क्या माननीय मंत्री जी उसको पुनर्गठन करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री हरजी राम जी बुरडक।

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : जो बोर्ड बना है अभी जो चल रहा है उसका क्या पुनर्गठन करने जा रहे हैं आप?

श्री नन्दलाल मीणा : हां, यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

3. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर मिडिल स्कूल खोलने की घोषणा बजट भाषण में की गयी थी? यदि हां, तो इस घोषणा पर किस सीमा तक अमल हुआ? नहीं, तो क्यों?

(श्री हरजीराम बुरडक)

(2) क्या उक्त घोषणा के अनुसार वर्तमान बजट वर्ष में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिडिल स्कूल खोली जाएगी? और नहीं, तो क्यों?

(3) इस वर्ष राज्य में कितनी मिडिल स्कूलें खोली गयीं तथा उनमें कितनी स्कूलें ऐसे स्थान पर खोली गयीं। जिन पंचायतों में पहले से मिडिल स्कूल थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं जिनमें एक भी मिडिल स्कूल नहीं है? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जी, नहीं। वर्ष 1995-96 के बजट भाषण में नये उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में यह घोषणा नहीं की गयी थी कि राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा।

बजट भाषण में यह घोषणा की गयी थी कि बजट वर्ष 1995-96 में 600 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा जिससे राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो।

(2) चालू वित्तीय वर्ष में 600 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की घोषणा के विरुद्ध 658 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। इसके बावजूद राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में उच्च प्राथमिक विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी है। हालांकि वित्तीय प्रावधानों की सीमा को देखते हुए और सत्र के मध्य में राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में और अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोली जाएगी, परन्तु अगले वर्षों में भी बाकी ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की दिशा में प्रयासरत रहेगी।

(3) राज्य में इस वर्ष 658 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है जिनमें से अधिकांश विद्यालय ऐसी ग्राम पंचायतों में क्रमोन्नत किये गये हैं जिनमें उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कुछ विद्यालय ऐसी ग्राम पंचायतों में भी क्रमोन्नत किये गये हैं जिनमें पहले से ही उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध थी। ऐसे विद्यालय बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका विद्यालय खोलने के कारण विद्यालयों की छात्र संख्या को ध्यान में रखकर क्रमोन्नत किये गये हैं।

जो सूची आपने मांगी है प्रत्येक पंचायत समिति वाइज, वह इस समय तुरन्त नहीं मिल पायी, वह आपको उपलब्ध करा देंगे।

(4) जिन पंचायतों में मिडिल स्कूल की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनकी पंचायत समितिवार सूचियां बनाई जा रही हैं। जो पृथक् से उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, उत्तर के भाग एक में पहले तो उन्होंने यह कहा कि यह घोषणा नहीं की गयी थी कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर एक स्कूल खोला जाएगा और इसी में आगे उन्होंने यह कहा है कि यह कहा गया था कि 600 विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा जिससे राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। खोल दिया जायेगा और सुविधा

(श्री हरजीराम बुरडक)

उपलब्ध हो जायेगी इसमें क्या अन्तर है? अगर आप नहीं खोलो तो सुविधा वहां उपलब्ध हो जाए, ऐसा आपके पास क्या साधन है जिसको आपने अभी काम में ही नहीं लिया, वह कौनसी सुविधा हैं? आपने खुद ने मान लिया कि हमने यह कहा था कि सारी पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और यह नहीं कहा कि स्कूलें सब पंचायतों में खोलेंगे, तो सुविधा उपलब्ध कराने का कौन सा आपका माध्यम है? दूसरा, आपने बजट भाषण में जब यह घोषणा की थी प्रत्येक पंचायत में हम यह सुविधा उपलब्ध कराएंगें और 600 स्कूलों से आप यह सुविधा उपलब्ध करा रहे थे पर 658 खोलकर भी आप नहीं करा पाये, इसका क्या कारण है? आपने प्रश्न के भाग 3 के उत्तर में यह बताया है कि यह हमने अधिकतर स्कूलें वहां खोली हैं जहां पर पहले स्कूलें नहीं थीं और फिर आपके पास आज तक भी सूची नहीं है। बजट के समय में जब आपने घोषणा की थी तब आपको यह ध्यान ही नहीं था कि कितनी स्कूलें खोलेंगे तब प्रत्येक पंचायत में एक स्कूल आ जाएगी और आज की तारीख में ही आपके पास यह सूचना नहीं है कि कितनी पंचायतें ऐसी हैं जहां दुबारा स्कूलें खोल दीं, कितनी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर एक भी स्कूल नहीं है? यह भी आपके पास सूची नहीं है और साथ में आप यह भी कह रहे हैं कि अधिकांश स्कूलें वहीं खोली गयी हैं जहां स्कूलें नहीं थीं और अधिकांश ऐसी जगह खोली गयी हैं जहां पहले मिडिल स्कूलें थीं इसीलिए यह 658 खोलकर भी आप इसको कवर नहीं कर पाये। इसलिए मंत्री महोदय आप थोड़ा स्पष्टीकरण दें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध होने का हमारा तात्पर्य यह है कि अगर वहां पहले से ही सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल उपलब्ध है उस पंचायत में तो छठी से पढ़ने की सुविधा उस विद्यालय में पहले से मौजूद है फिर उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, हमारा तात्पर्य केवल इतना ही है। तो ऐसी पंचायतें जहां पर पहले से ही सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, उनको अतिरिक्त मिडिल स्कूल देकर के उसको पूरा करने के लिये लिखा है। 658 विद्यालय........ (व्यवधान) यह सच है कि हमने 600 विद्यालय जो मांगे थे, हमने पिछले साल 1000 विद्यालयों की जगह 1192 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले थे और उस समय हमने 994 स्कूल पंचायतों को ही कवर करते हुए बनाये थे, इस बार जब हम इसकी सूची को लेकर के बैठे थे, जिस समय हमने घोषणा की थी, हमारी पुरानी पंचायतों में 1600 में पूर्ति होगी लेकिन बाद में जब सभी पंचायतों की सूचियां मंगायी गयीं तो वह सूचियां लगभग 1268 की आयीं। अब 1268 में ये 600 विद्यालय खोलने थे तो अधिकांश स्कूल उसमें, मेरे पास सारे आपको एक-एक विद्यालय के अनुसार उसकी जनसंख्या, उसमें कितने बच्चे हैं और पांचवीं में कितने पढ़ते हैं, तो हमने कोशिश की कि 15 बच्चों से ज्यादा बच्चे जहां पढ़ते हैं, उन स्कूलों को हम पहले राउण्ड में लें ताकि जो हमें टोटल पूर्ति करनी थी उस हिसाब से हो जाए। उस दृष्टि से मैं सोचता हूं कि आपकी जो पंचायत समिति है उसमें केवल एक गांव बचा है जो पंचायत होते हुए भी, हम उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं दे पाये। उसके पीछे यही था कि उसमें 36 तो टोटल बालक हैं और पांचवीं में केवल 4 बच्चे हैं। उसको छोड़ने के बाद, जैसे आपने एक हरिजन बस्ती का मांगा। यद्यपि नियमों के हिसाब से लाडनूं में आलरेडी ही वहां छठी की पढ़ाई की व्यवस्था है अगर इस नियम को मैं लागू करता हूं तो लाडनूं में जिस

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

हरिजन बस्ती में आपने स्कूल मांगा उस स्कूल को मैं नहीं दे सकता हूं। इसी प्रकार कई विधायक ऐसे हैं जिनकी पूरी पंचायत समिति में पंचायतों के पूरे मिडिल स्कूल खुल चुके हैं लेकिन फिर भी पंचायतों के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें किसी में पांचवीं में 36 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 48 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 28 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसको भी हमने ध्यान में रखा है और सारे विधायकों को कम से कम 2 स्कूल मिल जाएं, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कोशिश की कि प्रत्येक को कम से कम, शहरी क्षेत्र को छोड़कर, और इस कारण से भी हो सकता है कि जितनी हम उम्मीद करते थे कि सारे के सारे पूरा कर लेंगे, वह पूरा नहीं कर पाये। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला रहा हूं कि जैसे पिछले साल एक हजार दिये, इस बार 600 दिये। अगली बार जो और कमी-पूर्ति रही है लेकिन कुछ पंचायतों में तो यह सब करने के बाद भी जैसे हम ने पिछले साल खोला, लेकिन खोलने के बाद अब हमारे पास यह आ रहा है कि यह तो अनार्थिक विद्यालय के रूप में चल रहे हैं। हमने पंचायत को समझकर के खोल दिये लेकिन पंचायतों में मुश्किल से 54 बालक हैं उस पूरे स्कूल में और छठी में 6 बालक हैं, तो उस समय जो हर पंचायत में खोलने वाला काम था वह लग रहा है कि जितने बच्चे होने चाहिए आसपास के स्कूलों के कारण से उनकी उतनी संख्या नहीं बन पा रही है, इस कारण से यह कमी रही है।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर दिया—

डॉ॰ हरिसिंह (फुलेरा) : आप भारत सरकार के पापुलेशन की स्टेटिस्टक्स को चैलेंज कर रहे हैं। बच्चे ही अवेलेबिल नहीं हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : आपने जो उत्तर दिया, पहला तो आपने यह कहा कि जहां हाई-स्कूल हैं। (व्यवधान) जहां हाई स्कूल हैं या हाई-स्कूल से ऊपर की स्कूलें हैं वहां छठी की व्यवस्था उपलब्ध है इसलिए वहां हमने नहीं खोले, तो आपने यह मानकर के भी सबको कवर नहीं कर सके। जहां हाई स्कूलें हैं, उनको आपने मान लिया कि वहां मिडिल स्कूल की जरूरत नहीं है लेकिन उसको छोड़कर के भी बाकी सब को कवर नहीं किया। दूसरी बात आपने यह कही कि लड़कों की संख्या कम थी इसलिए वहां मिडिल स्कूलें नहीं खोलीं, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि जितनी भी पंचायतें मिडिल स्कूल सुविधा से वंचित हैं उनमें लड़कों की संख्या अगर पूरी होती तो आप खोल देते? क्या यह सही है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने आपको पहले ही कहा है कि टोटल जो भी प्रस्ताव मैंने आप लोगों से मांगे थे और जो दिये हैं उनके आधार पर मैंने हरेक के बच्चों की संख्या उनमें ली है और उसके आधार पर ही जो अधिक बच्चों की संख्या के स्कूल थे उनको तो लिया। जैसे आपने सात स्कूलें मांगी या इस साल केवल एक ही मांगी तो मैंने उन सातों में से भी पिछली बार जैसे आपको छह विद्यालय दिये तो उसी संख्या को ध्यान में रखकर ही दिये हैं। इस बार आपका केवल एक ही विद्यालय था तो मैंने एक ही कर दिया और एक इसके अतिरिक्त और किसी से मांग आयी थी तो उसको भी ध्यान में रखकर कि हर विधायक को कम से कम दो विद्यालय मिलें, इस बात को 200 के हिसाब से सोचा तो उसमें अधिकांश संख्या में उसकी पूर्ति हो जाती है। यह बात सही है कि शत-प्रतिशत तो यह नहीं कह सकता हूं कि मैंने सारी संख्या के हिसाब से एक भी नहीं छोड़ा होगा। उसमें कोई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कमी-खामी रह सकती है लेकिन मैंने इसको प्राथमिकता अवश्य दी कि मैं संख्या को ध्यान में रखकर के विद्यालय खोलूं ताकि अनार्थिक विद्यालय वह नहीं हो जाए। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अब आप जिन पंचायतों में विद्यालय नहीं खोल पाये हैं, उनमें कब तक खोल देंगे ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैंने आपको कहा न कि अगले बजट में हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं__(व्यवधान) लेकिन उसमें भी जो बात हमने__(व्यवधान)

इसमें भी आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि छात्र-संख्या को फिर भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा, क्योंकि सारी पंचायतों में कई ऐसी पंचायतें हैं जिनमें अभी स्कूलों में पहली से पांचवीं तक के छात्रों की कुल संख्या 50 को भी क्रास नहीं कर पायी है। अगर इसके आधार पर खोलेंगे तो स्कूल तो खुलेगा लेकिन वह स्कूल अनार्थिक हो जाएगा इसलिये उसको जरूर ध्यान में रखना होगा।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं__

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है__

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि__

श्री अध्यक्ष : शैलेन्द्र जोशी। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं__

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें (व्यवधान) राधेश्याम जी, शैलेन्द्र जोशी जी का प्रश्न है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 658 प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल में कन्वर्ट किया गया है लेकिन उनमें छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है, पहला प्रश्न। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने 658 जो प्राइमरी से मिडिल में कन्वर्ट किये हैं उनमें छात्राओं के लिए कितने स्कूल कन्वर्ट किये हैं ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि छात्रों की संख्या के अनुपात में इस समय बिल्कुल भी अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गयी है और स्कूल बंद करने की नौबत आ गयी है। खास तौर पर दौसा जिले में आपने कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हुए, राजनैतिक भेदभाव दूर करते हुए आपने सर्वांगीण रूप से स्कूल खोले हैं। मेरा यह कहना है कि अन्य जिलों के मुकाबले दौसा जिले में जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार अधिकांशतया जीते हैं, वहां पर आपने स्कूलों की संख्या नगण्य प्राय रखी है जो कि एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकार्ड है। (व्यवधान) हमने सब कुछ किया। आपने तो गणेश जी को दूध पिलाया। इसके अलावा क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आप बिराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों की नियुक्ति करने का__

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : हमने गणेश जी को दूध पिलाया, आपने सांपों को दूध पिलाया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप असंतुष्ट हैं, असंतुष्ट गतिविधि बढ़ाओ मत।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप तो कांग्रेस (आई) में हैं ना ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी सी.आर. बिगड़ जाएगी, आप पहले से ही असंतुष्ट हैं।

19

(20)

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : मुख्यमंत्री जी ने आपको ज्यादा बढ़ावा दिया, उसी का नतीजा है यह।

श्री अध्यक्ष : माननीय, जवाब आने दें_(व्यवधान) माननीय, जवाब आने दें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में वास्तव में शिक्षकों की नियुक्ति में पंचायती राज और हमारे बीच में जो प्रारम्भ में एक समझौता था कि 3 साल तक उनके अध्यापक काम करते रहेंगे और हम पहले साल एक प्रधानाध्यापक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देते हैं। सातवीं क्लास जब होती है तब दो थर्ड ग्रेड के अध्यापक और देते हैं और जब आठवीं क्लास बन जाती है तो दो थर्ड ग्रेड के अध्यापक और देते हैं। उसके कारण से जैसे ही हमारा स्कूल खुला तो पंचायत समिति का अध्यापक और देते हैं। उसके कारण से जैसे ही हमारा स्कूल खुला तो पंचायत समिति का अध्यापक सोचता है कि यह अच्छी जगह है, मुझे बाद में पता नहीं किस जगह भेजें तो वहां किसी न किसी तरह से, जब कि तीन साल का हमारा और इनका एग्रीमेंट है कि ये अध्यापक नहीं हटाएंगे लेकिन ये नीचे से अध्यापक को हटाते हैं। इस कारण से विद्यालयों में जरूर कमी आयी है लेकिन अब की बार हमने अभी लेन-देन किया और लगभग 1200 अध्यापक हमने इनसे एडवांस में और ले लिए ताकि हम हरेक विद्यालय में दो-दो और अतिरिक्त लगा सकें। यह हमने और अतिरिक्त व्यवस्था की है। मैं सोचता हूं कि उस हिसाब से प्रयास किया है, आपने पूछा कि छात्राओं के कितने हैं तो छात्राओं के केवल 11 विद्यालय हमने इसमें मिडिल स्कूल के खोले हैं और 30 संस्कृत के विद्यालय, उच्च प्राथमिक, खोले हैं इस तरह से मैं सोचता हूं कि लगभग सवा सौ स्कूल ऐसे हैं जहां_(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : महिलाओं के सिर्फ 11 स्कूल खोले हैं आपने, इससे ज्यादा महिलाओं के साथ आप क्या अत्याचार कर सकते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह जो जिस प्रकार शिक्षकों की व्यवस्था की है, वह मैं सोचता हूं कि जो पुरानी जो एक कमी चली आ रही थी उसकी पूर्ति करने का प्रयास किया है और आप लोगों को भी यह अनुभव होता है कि, प्रयास हुआ है और वहां अध्यापक पहुंचे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ओमप्रकाश जी।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से_

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आपका बाद में। ओमप्रकाश जी के बाद में आपका_(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से_

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ बजट शिक्षा को समर्पित किया जाता है और महिला शिक्षा की यह दुर्गति कर रखी है_(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि आगामी बजट में बालिकाओं के ज्यादा स्कूल खोले जाएं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान) इसका जवाब हो गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कि 658 में से मात्र 11 स्कूल क्रमोन्नत किये गये हैं। इससे ज्यादा और महिलाओं को धकेले जाने की कोई प्रवृत्ति_(व्यवधान)_

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय,. आप कहते हैं कि संतुलन बनाया है यह तो घोर असन्तुलन का परिचायक है और जबकि यह बजट शिक्षा को समर्पित है।—(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में कोई असंतुलन नहीं है। मैं आपको अभी भी बता सकता हूं कि जितने बालिका के उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले हैं, एक ही गांव में चार स्कूल हैं और उसके कारण से बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेरे गांव में ही चल रहा है उसमें 76 बालिकाएं कुल हैं, क्योंकि वहां सैकण्डरी स्कूल अलग है लड़कियों का; लड़कों का सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल और है तो उसके कारण से बालिकाओं का मिडिल स्कूल अलग करने का मैं बहुत ज्यादा औचित्य नहीं सोचता, सैकण्डरी से बच्चियों का स्कूल अलग से बनना चाहिये ताकि अनार्थिक नहीं हो, पैसे का सदुपयोग हो और अध्यापकों का पूरा लाभ मिले। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : फिर आपने 11 क्यों खोले ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : 11 क्यों खोले ?

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : फिर आपने सैकण्डरी कितने खोले ? यह भी बता दें कि महिलाओं के सैकण्डरी कितने खोले ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि—

श्री अध्यक्ष : अमरा राम जी, ओमप्रकाश जी का प्रश्न है, उनके बाद आप पूछ लेना।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि—

श्री अमरा राम चौधरी : बाड़मेर जैसे जिले में जहां महिलाओं की सात प्रतिशत शिक्षा है—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अभी अनुमति नहीं दी है, आप बिराजिये।

श्री अमरा राम चौधरी : बाड़मेर जिले में आपकी स्त्रियों की शिक्षा कम है, तो उसके लिए बालिकाओं की स्कूल को क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी, बिराजिये। आपको भी समय देंगे। ओमप्रकाश जी।

श्री ओम प्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि—

श्री अमरा राम चौधरी : बाड़मेर जिले में स्त्रियों की शिक्षा बहुत कम है। सात प्रतिशत हमारी बालिकाएं पढ़ी-लिखी हैं। क्या ऐसे जिले में आपका कोई विचार है कि वहां पर बालिकाओं की स्कूलों को क्रमोन्नत किया जाए ?

श्री अध्यक्ष : अभी आप बिराजिये, अभी ओमप्रकाश जी का प्रश्न है, उसके बाद लक्ष्मण सिंह जी का है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि इस समय वर्तमान में शिक्षकों की स्थिति क्या है ? चालीस छात्रों के अनुपात में एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है—

श्री ओमप्रकाश शर्मा : पंचायतों में स्कूल ―(व्यवधान)―

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस समय चालीस छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी है तो राजस्थान में कुल कितने शिक्षकों की कमी है, एक तो यह।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि 1200 से अनुबन्ध किया जा रहा है। बिराजिये आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय बतायें कि वर्तमान में शिक्षकों की कमी कब तक पूरी कर देंगे ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अभी लेन-देन की बात कर रहे थे।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या आपने अधिकांश स्थानों पर जहां पंचायत मुख्यालय हैं, वहां पर स्कूलें खोली हैं और वहां पर अध्यापक पहुंचे ऐसी कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो कब तक वहां ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी ? यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : यह लेन-देन की बात कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं एक बात पूछना चाहती हूं कि यह लेन-देन की बात कर रहे हैं, उसमें महिला शिक्षिकाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है, कभी आपने सोचा है ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महिला शिक्षिकाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका भी कृपया मंत्री महोदय जवाब दें। महिला शिक्षिकाएं जो पहले सांगानेर पंचायत समिति में थीं वहां से उनकी सीनियोरिटी शुरू हुई, फिर उनको चाकसू भेज दिया तो वहां से शुरू हुई, फिर वहां से आगे दूदू भेज दिया, तो वहां से शुरू हुई। क्या उनके साथ करना चाहते हैं ? महिला अध्यापिकाओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी सीनियोरिटी का आप अभी जो लेन-देन कर रहे हैं, उसमें महिला अध्यापिकाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में आपने कभी विचार किया है ?

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : दूसरा, जब आप यह कह रहे हैं कि हमने माध्यमिक स्कूल खोले तो मैं यह जानना चाहती हूं कि महिलाओं के लिए आपने कितने माध्यमिक स्कूल खोले ?

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्कूल खोलने का नहीं है। प्रश्न उससे भी गम्भीर है। वह है बजट कि सेंक्टिटी का। राजस्थान के मुख्य मंत्री बहुत कुछ सोच-समझ कर बजट में घोषणा करते हैं कि उस प्रत्येक पंचायत में जहां पर कोई भी मिडिल स्कूल नहीं है, मिडिल स्कूल खोल दी जाएगी और राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी बाद में उसकी क्रियान्विती नहीं करके, जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्य मंत्री जी के बजट का उन्होंने जो अपमान किया है, जो धज्जियां उड़ायी हैं, मेरे ख्याल से ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने को मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब यह बजट

(श्री लक्ष्मण सिंह)

बनाया गया था तो बजट बनाते समय क्या मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को मालूम नहीं था कि राजस्थान की कितनी पंचायतें ऐसी हैं जहां पर मिडिल स्कूलें नहीं हैं? अगर उस वक्त उनको यह मालूम था तो फिर उनको उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिये था। मैं शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जिस वक्त आपने वजट प्रस्तुत किया, उस वक्त कितनी पंचायतें ऐसी थीं जहां पर कोई भी मिडिल स्कूल नहीं थी और आपने यह मिडिल स्कूल खोल दी? उसके पश्चात कितनी पंचायतें ऐसी बची हैं जहां पर मिडिल स्कूल नहीं हैं और उन पंचायतों में आप मिडिल स्कूल कब तक खोल देंगे?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी एक जवाब दिया कि हम यह सोचते हैं कि मिडिल स्कूलें लड़कियों की अलग करने की बजाय सैकण्डरी स्टेज पर उनकी स्कूलें अलग की जायं इसलिये हमने जो प्रतिशत दिया है, वह कम नहीं है और आगे जैसा उस हिसाब से, पालिसी से अगर करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि राजस्थान के तमाम समाज के लोग अभी भी यह चाहते हैं और उनकी यह निश्चित धारणा है जिसके कारण से महिला शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही है। प्राथमिक स्टेज तक तो गांव के लोग या जो सेमी अरबन एरियाज हैं, वहां पर बच्चियों को बच्चों के साथ भेज देते हैं लेकिन प्राथमिक स्तर के बाद में मिडिल स्टेंडर्ड की जब पढ़ाई आती है तो उस वक्त बहुत सी लड़कियों के ड्राप-आउट्स सिर्फ इसलिए होते हैं कि वे मिडिल स्कूलों में लड़कियों की स्कूलें अलग चाहते हैं इसलिये आप इस पालिसी और मान्यता को बदलें। प्राथमिक स्कूलों में भी मेरा आपसे और माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन है और बहुत समय पहले मैंने अपनी गवर्नमेंट के वक्त में भी यह लिख कर भेजा था और आपको भी निवेदन करना चाहती हूं कि प्राथमिक विद्यालय में जहां सिर्फ एक टीचर अवलेलेबल है तो वहां निश्चित रूप से वह लेडी टीचर होनी चाहिए। जो बच्चे और बच्चियों दोनों को पढ़ा सके और अगर एक से ज्यादा हैं तो आप एक लेडी टीचर के अलावा दूसरा मेल टीचर चाहे तो रखें लेकिन एक लेडी टीचर प्राथमिक शाला में जरूरी तौर पर होनी चाहिये, जिससे उन गांवों की बच्चियां उसमें आने के लिये इन्करेज हों और दूसरा निवेदन यह है कि मिडिल स्कूल अगर लड़कियों का आप अलग से नहीं बनाएंगे तो हायर एजुकेशन के लिए बच्चियों का आगे बढ़ना रूक जाएगा। वह आप निश्चित रूप से करिये और आप इसमें अपनी मान्यता में तब्दीली करिये।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि—

श्री अध्यक्ष : चार सप्लीमेंट्री हो गये, जवाब आ गया—(व्यवधान)—

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री जुबेर खान : जो इन्होंने प्राथमिक शालाओं की संख्या मांगी थी, वह संख्या गत एक वर्ष पहले मांगी थी—

श्री राधेश्याम : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने हाउस में यह कहा है कि हर क्षेत्र को दो मिडिल

(श्री राधेश्याम)

स्कूल दिये गये हैं। मैं उनमें से बदकिस्मत आदमी हूं जिसको एक भी नहीं मिला, हालांकि मंत्री महोदय बहुत मधुर भाषी हैं, अच्छा व्यवहार इनका है, बहुत सुन्दर ढंग से पेश आते हैं लेकिन स्कूल मेरे को एक भी नहीं दिया।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र में, पिछले सत्र में एक हजार मिडिल स्कूल क्रमोन्नत हुए उनमें से एक दिया, बड़ी कृपा की इन्होंने। लेकिन इस बार मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक घासीपुरा ग्राम पंचायत है। एक मिनट जरा ध्यान दीजिये, घासीपुरा ग्राम पंचायत के लिए मैंने आपसे कई दफा निवेदन किया।

श्री कालूलाल गूजर : अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना में सूर्य ग्रहण हो गया था इसलिए इनको स्कूल नहीं दी गयी।

श्री मोहनलाल मोदी : वह तो आपके भी लग जाता। मुख्य मंत्री जी इसी डर से गये नहीं, नहीं तो आपके भी ग्रहण लग जाता।

श्री अध्यक्ष : माननीय, बिराजिये आप।

श्री मोहनलाल मोदी : मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घासीपुरा पुरानी पंचायत है, वहां पर छह मिडिल स्कूल हैं और लड़कों की संख्या पूरी है, जितना इनका क्राइटेरिया है, उससे ज्यादा है और कितनी ही दफा मैं इनके पास निवेदन करने गया हूं कि इस पंचायत में आप मिडिल स्कूल खोलें लेकिन मेरे समझ में नहीं आती कि किस कारण से उन्होंने इसको रखा है।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो जानकारी ली है पंचायत समितियों से कि पांचवीं कक्षा में या फला स्कूल में—

श्री अध्यक्ष : अब समय समाप्त होने वाला है, आप जवाब तो आने दीजिये।

श्री जुबेर खान : कितने बच्चे पढ़ते हैं, यह एक साल पुरानी है। वहां बी.डी.ओज. ने उनके पास पुरानी सूचना के आधार पर जानकारी भेजी है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो स्थिति है, स्कूलों में बच्चों की कुल संख्या और पांचवीं की संख्या, फिर से मंगाइये और उस आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत करें। आपके पास गलत सूचनाएं भेजी गयी हैं उस वजह से पंचायत मुख्यालय रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। जवाब तो देने दीजिये इन्हें।

श्री विष्णु मोदी : यह सवाल पोस्टपोन कर दीजिये। इस सवाल को पोस्टपोन कर दीजिये, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं आ पाया।

श्री अध्यक्ष : सारा जवाब दिया है।

श्री विष्णु मोदी : इस सवाल को पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री विष्णु मोदी : क्वेश्चन ऑवर खत्म हो रहा है। आप यह सूचनाएं भी मंगवा लेंगे इसलिए आप कम से कम इस सवाल को पोस्टपोन कर दीजिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का पोस्टपोनमेंट कर दीजिये क्योंकि—

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : माननीय

(श्री फतेह सिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं—

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : मंत्रीजी के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री विष्णु मोदी : इनके पास सूचना भी आ जाएगी। जवाब आ जाएगा। यह महत्त्वपूर्ण सवाल है इसलिये आप कृपा करके पोस्टपोन कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सारा जवाब आया है कि 1200 अध्यापक और लेने हैं।

श्री फतेह सिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं पिछले सत्र में कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में—

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। एक-एक बात नहीं, इंडिविजुअल बात आप वहां कर लेना। आप मंत्री महोदय की बात नहीं सुनेंगे? समय समाप्त हो रहा है।

श्री फतेह सिंह : सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ में एक तामिजला और बड़ाज में दो लड़कियों की मिडिल स्कूलें क्रमोन्नत हुई अब उसमें—(व्यवधान)—

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड, मैं बता दूं—(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, सूचना पूरी नहीं है। न पंचायतों के रिकार्ड इनके पास आये हैं।

श्री विष्णु मोदी : आप पोस्टपोनमेंट कर दीजिये। अध्यक्ष महोदय, इस सवाल को पोस्टपोनमेंट कर दीजिये।

श्री फतेह सिंह : आप चालू रखेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं समझता हूं कि जितनी जानकारी चाही है, मैंने पूरी दी है। यहां तक कि प्रत्येक एम.एल.ए. को कितनी स्कूलें दी हैं, उसको भी मैं अपनी लिस्ट में एक-एक को बता सकता हूं कि मैंने किस एम.एल.ए. को कितनी स्कूलें दीं। कांस्टीट्यूएंसी वाइज पिछली बार कितनी दीं और इस बार कितनी स्कूलें दीं, सारी सूचना मेरे पास में है। दो मिडिल स्कूल कुशलगढ़ में दी थीं—(व्यवधान)—

श्री फतेह सिंह : मिडिल स्कूल करके रोक दी तो क्या वह स्कूल चलेगा या नहीं चलेगा—(व्यवधान)—

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह शिक्षा से सम्बन्धित **बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है—(व्यवधान)**

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। शोकाभिव्यक्ति।

श्री रामस्वरूप मीणा : मीणा समाज को चोर कहने वाले मुख्य मंत्री इस्तीफा दें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मीणा समाज को चोर कहने वाले मुख्य मंत्री इस्तीफा दें।

(श्री रामस्वरूप एवं श्री महेन्द्र कुमार मीणा विधायक द्वारा सदन में धरना।)

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति। निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जाएगा :—

श्री सुखदेव प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल, राजस्थान, श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ, श्री बेअंत सिंह, श्री सुखमोय सेन गुप्ता, श्री बृज सुन्दर शर्मा, श्री गोकुल चन्द जाटव, श्री बृजेन्द्र सिंह, श्री जगन्नाथ पटेल, श्री मोतीबाबा, श्री हरिकिशन व्यास, श्री आर.आर. मोरारका, प्रो. एन.जी. रंगा एवं डॉ. सुब्रह्मण्यम् चन्द्रशेखर। माननीय मुख्य मंत्रीजी।—(व्यवधान)—शोकाभिव्यक्ति हो रही है, आप बिराजिये। माननीय सदन के नेता।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली में नैना साहनी की हत्या हुई तो उस पर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा कि—

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति तो होने दीजिये आप।

श्री विष्णु मोदी : इतनी नृशंस हत्या की निन्दा की जानी चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली में नैना साहनी की हत्या हुई तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इस तरह की हत्याओं की कड़ी शब्दों में निन्दा करनी चाहिये लेकिन जुलाई महीने में डूंगरपुर में मीनाक्षी चौबीसा की नृशंस हत्या की गयी और वह हत्या नैना साहनी की हत्या से ज्यादा डरावनी हत्या थी, जो जघन्य अपराध किया गया—

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये, शोकाभिव्यक्ति हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : और उसके बाद में इस सरकार के मंत्रियों के दबाव के कारण, क्योंकि वह आर.एस.एस. के लोग थे—

श्री अध्यक्ष : अब अंकित नहीं करें। अंकित नहीं होगा।

श्री विष्णु मोदी : X X X

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : X X X

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। शोकाभिव्यक्ति होने दें।

श्री नाथूराम अहारी : X X X

श्री अध्यक्ष : अब हो गया, आप बिराजिये। शोकाभिव्यक्ति होने दें। (व्यवधान)—

(माननीय सदस्य श्री महेन्द्र मीणा एवं श्री रामस्वरूप मीणा द्वारा धरना समाप्त)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, जो भाकड़ी में बलात्कार हुआ है, उसके अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक होगी ?

श्री रामनाराण मीणा : पार्टी के लोग मंदिरों को तोड़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कोटा में खेजड़ी के हनुमानजी के मंदिर को तोड़ दिया गया।—(व्यवधान)—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : गृह मंत्री या तो इस्तीफा दें। अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री इस्तीफा दें—(व्यवधान)—

श्री रामनारायण मीणा : श्री राम सेवा धाम सेवा आश्रम ट्रस्ट—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। —(व्यवधान)—

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अपराधियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा ? —(व्यवधान)— माननीय गृह मंत्री इस्तीफा दें। — (व्यवधान)-

श्री रामनारायण मीणा : भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लड़ाई से नगर विकास न्यास के—(व्यवधान)—

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री रामनारायण मीणा : धमकी दी जा रही है। कोटा में धार्मिक स्थानों को नष्ट करने का जिस तरह से कुत्सित प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नगर विकास न्यास द्वारा—

X X X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : सचिव जी।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा नोमिनेटेड अध्यक्ष द्वारा उसकी मैं भर्त्सना करता हूं और आशा करता हूं कि खेजड़ी के हनुमान के मंदिर को तोड़ा गया, उसकी सुरक्षा की जाय, चारदीवारी की जाए और श्री राम धाम आश्रम के जो महन्त हैं उनकी सुरक्षा की जाय। उनके द्वारा जो धार्मिक स्थान बनाया गया है उनकी पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां दें और जो महन्त हैं अवधेश कुमार जी, आपकी यात्राओं में जाते हैं, एक तो एकात्मा यात्रा वगैरह में, उन्हीं को आप नहीं छोड़ रहे हो। ऐसे महन्त अवधेश कुमार दास जी महाराज की सुरक्षा की गारन्टी दें। कोटा से आने वाले माननीय मंत्रीजी, आप भी इस बात का ध्यान रखें। ऐसे महात्माओं की इज्जत करो जो धर्म के नाम पर आपको वोट दिलाते हैं। इस आशा के साथ आप धर्म का भी नाम लोगे, धार्मिक स्थानों की सुरक्षा करेंगे, कोटा की सुरक्षा करेंगे और सूर्य नारायण मंदिर में वहां टट्टी-पेशाब किया जाता है, अतिक्रमण कर लिया गया है, उन धार्मिक स्थानों को आप ऐसे महात्माओं को, ऐसे महन्तों को देंगे, या अपनी सुरक्षा करेंगे या देवस्थान मंत्री को कहेंगे कि उनकी तोड़फोड़ की कार्यवाही करे। वहां जाने को, दर्शन करने को लोगों को जगह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे धार्मिक स्थानों की जितनी इज्जत की जाए, जितना रख-रखाव किया जाए उतना ही आपके हित में है, राजस्थान के हित में है। धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाकड़ी में जो गोपाली के साथ बलात्कार हुआ है उसके लिए गृह मंत्री इस्तीफा दें, नहीं तो अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? 10 दिन से बराबर मेरे फोन करने के बावजूद भी अपराधियों को आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? इसी गांव में चार बार बलात्कार एक साल में हुए हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया ? गृह मंत्री जवाब दें या इस्तीफा दें।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। सचिव, विधान सभा।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

पहले शोकाभिव्यक्ति का रखा हुआ है इसलिए जो आज का आर्डर पेपर है उसमें पहले वह है, पहले वह होना चाहिए। फिर उसकी सेंक्टिटी नहीं रहती है।...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी : पहले शोकाभिव्यक्ति है। क्योंकि आपकी विधान सभा चलाने की मंशा नहीं है इसलिए यह 30 तारीख तक या 2 तारीख तक आप चलाना चाहते हैं, आप रश-थ्रू करना चाहते हैं। आपने खुद ने जो बिजनस लिस्ट भेजी है उसको आप सुपरसीड कर रहे हैं। आपने पहले शोकाभिव्यक्ति की घोषणा कर दी उसके बाद में आप बिजनस ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने शोकाभिव्यक्ति के लिए कहा था और उस समय आप कोई सुनने को तैयार नहीं थे। हमने कहा पहले...

श्री विष्णु मोदी : तो क्या शोकाभिव्यक्ति अब नहीं पढ़ी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : और अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उसको बदल ले और पहले यह सारा का सारा बिजनस ले लिया जाय उसके बाद शोकाभिव्यक्ति कर ली जाय।

श्री विष्णु मोदी : नहीं, क्या आपने शोकाभिव्यक्ति पढ़ी हुई मान ली ?

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्षजी, एक बात है कि शोकाभिव्यक्ति एक स्पेशल चीज है, उसका एक अलग महत्त्व है।

श्री अध्यक्ष : बिलकुल है।

श्री शिवनाथ सिंह : और हम उस महत्त्व को घटायें, यह अच्छा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि___

श्री अध्यक्ष : उसका महत्त्व घटाने का कतई विचार नहीं है पर कुछ माननीय सदस्य यहां बैठ गये___

श्री शिवनाथ सिंह : जब शोकाभिव्यक्ति का आइटम है तो उसको पहले लिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमन्त्री) : मेज पर रख रहे हैं। ___(व्यवधान)___

श्री शिवनाथ सिंह : मेज पर रखने के बाद में लेओ चाहे उसके पहले लेओ लेकिन उसकी यह इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप फिर सोचिये और शोकाभिव्यक्ति वाला मामला पहले कीजिये उसके बाद रखिये आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ती हमे लेकिन उस आइटम को हम इस तरह से नजरअंदाज करके उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है। हम दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दे रहे हैं उसको उसी रूप में, उसी मान्यता के, उसी श्रद्धा के रूप में हमको लेना चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : इसमें सैकण्ड में आपने शोकाभिव्यक्ति दी है क्वेश्चन के बाद में, तो उसको सुपरसीड करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी है? ___(व्यवधान)___

एक माननीय सदस्य : खड़े हो कर बोलने लग गये आप तो।

श्री विष्णु मोदी : आवश्यकता किस बात की है जो आप अपनी बिजनस लिस्ट है उसको इम्प्लीमेंट करिये।

श्री शिवनाथ सिंह : पहले लेओ न आप। ___(व्यवधान)___

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो आप नारे लगा रहे थे और अब आप ऐसी बात कर रहे हैं। जिस समय अध्यक्ष महोदय ने शोकाभिव्यक्ति की बात कही उस समय माननीय सदस्य नारे लगाते हुए यहां वैल में आ गये, यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। यह संवेदनशीलता की स्थिति नहीं है। मैं समझती हूं, यह बिलकुल गलत बात है और अभी आप यह इस तरह की बात कहना चाह रहे हैं जो हम करना चाह रहे थे तो आप वह करने नहीं दे रहे थे और अब आप इसमें अपनी प्रमुखता दिखाने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगी___

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने किस तरह की परम्पराएं बनायी हैं, यह तो सब को मालूम है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कि आप शोकाभिव्यक्ति से प्रारम्भ करें। धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने इस सदन की क्या परम्पराएं छोड़ी हैं? यह आपको मालूम है कि कितनी स्वस्थ परम्पराएं आपने बना कर छोड़ी हैं इस सदन के लिए जो आप हमें उपदेश दे रहे हैं?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट - 1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला सीकर के बेरोजगार युवकों को ऋण

1. **श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मोहनलाल मोदी)

(1) प्रधान मन्त्री रोजगार, गारन्टी योजना के तहत सीकर जिले में वर्ष 1994-95 में कितने बेरोजगार युवकों को ऋण उपलब्ध कराया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सीकर जिले में कितने लोगों को ऋण देने हेतु चयन किया गया एवं किस-किस बैंक को कितना लक्ष्य दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चयनशुदा युवकों में से बैंक द्वारा किस-किस के आवेदन अस्वीकृत किये गये व क्यों ?

उत्तर

(1) प्रधान मन्त्री रोजगार योजना के तहत सीकर जिले में वर्ष 1994-95 में जिन युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया गया, उनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) सीकर जिले में प्रधान मन्त्री रोजगार योजना के तहत वर्ष 1994-95 में ऋण उपलब्ध करवाने हेतु चयनित युवाओं की सूची परिशिष्ट "आ" तथा बैंकों को आबंटित लक्ष्य की बैंकवार सूचना परिशिष्ट "इ" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) प्रधानमन्त्री रोजगार योजना के तहत वर्ष 1994-95 में चयनशुदा युवाओं में से बैंकों द्वारा अस्वीकृत आवेदन पत्रों की सूचना परिशिष्ट "ई" सदन की मेज पर रख दी गयी है। (सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विदेशी उद्यमियों द्वारा संचालित परियोजनाएं

2. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन-किन विदेशी उद्यमियों के साझे एवं सहयोग से कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं ? उक्त योजनाओं के उत्पाद क्या-क्या हैं तथा कब तक वस्तुयें उपभोक्ताओं के लिए बाजार में आएंगी ?

(2) आगामी पंचवर्षीय योजना हेतु कौन-कौन सी परियोजनाओं का समझौता हो चुका है तथा कौन-कौनसी परियोजनाओं का करार होना बाकी है।

(3) सरकार द्वारा इस प्रकार के उद्योगों के लिए किस प्रकार क्या-क्या मदद दी जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के आधार पर राज्य में जिन कम्पनियों द्वारा विदेशी साझे व सहयोग से निवेश किया गया है, उनके उत्पादों की सूचना सहित सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) परियोजनाओं का समझौता पंचवर्षीय योजना के आधार पर नहीं किया जाता है।

(3) राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता/सुविधाओं के विवरण की सूची "ख" सदन पटल पर रख दी गयी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—2 देखें)

कोटा जिले के विद्यालयों में रिक्त पद

3. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले के सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूलों में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के कर्मचारी व अधिकारियों के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) रिक्त पदों को भरने का सरकार कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले के हायर सैकण्डरी व सैकण्डरी के रिक्त पदों की संवर्गवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक (मावि) एवं द्वितीय वेतन व तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट—3 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या—4

(स्थगित)

प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राणावतों का आकोला (उदयपुर) द्वारा अनियमितताएं

5. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राणावतों का आकोला (कानोड़) तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर को साक्षरता अभियान के दौरान आखर देवरा का प्रभारी नियुक्त किया गया था? यदि हां, तो किस-किस स्थान का कब से कब तक का तथा इनके क्या-क्या अधिकार एवं कर्तव्य थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रधानाध्यापक को उक्त अवधि में क्या-क्या सामग्री आखर देवराओं के उपयोगार्थ कब-कब दी गयी तथा इन्होंने कब-कब कौन-कौन सी सामग्री किस-किस आखर देवरा में किस-किस व्यक्ति को वितरित की? प्राप्त करने वाले (साक्षर) के हस्ताक्षर, सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अवधि में प्रधानाध्यापक ने केरोसीन के परमिट द्वारा आखर देवराओं के लिए केरोसीन प्राप्त किया? यदि हां, तो किस-किस परमिट नम्बर द्वारा किस-किस उचित मूल्य की दुकान से कब-कब कितनी-कितनी राशि का केरोसीन प्राप्त किया तथा उसका उपयोग कहां-कहां कब-कब किया गया? परमिट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अवधि में इन आखर देवराओं का उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण एवं सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा? निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त प्रधानाध्यापक को उक्त अभियान में उन द्वारा की गई अनिमितताओं के लिए दोषी मानती है? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से प्राप्त किये केरोसीन का दुकानदारों को भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब-कब किस-किस दुकानदार को कितना-कितना, यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इन दुकानदारों का भुगतान करने का

(श्री दयाराम परमार)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सहित सूचां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रत्येक पंचायत में स्थित सबसे बड़े विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पंचायत प्रभारी बनाये जाने के निर्देश होने से आकोला पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को पंचायत के समस्त ग्रामों का प्रभारी (आखर मुखिया) नियुक्त किया गया था। इनके अन्तर्गत (1) आकोला (2) कुडीयान (3) खेड़ी (4) रोयणा फला (5) समेल (6) देवली (7) खण्डेवला (8) हरजी बुझ की भागल (9) सुरखण्ड़ एवं (10) पिपलवास ग्रामों के कुल 158 आखर देवरें आते हैं। पंचायत प्रभारी का कार्य ग्राम प्रभारियों से समन्वय रख समस्त पंचायत क्षेत्र के आखर देवरों का पर्यवेक्षण करना तथा तहसील प्रकोष्ठ से समय-समय पर सामग्री प्राप्त कर वितरण की सही एवं उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना है तथा रात्रि के समय रोशनी (लालटेन, केरोसीन इत्यादि) की व्यवस्था करना है।

(2) उक्त प्रधानाध्यापक को दिनांक 3-9-94, 29-9-94, 8-10-94 एवम् 26-10-94 को उनकी मांग के अनुसार निम्नांकित सामग्री तहसील प्रकोष्ठ से उपलब्ध कराई गयी। इनमें से इनके द्वारा आखर दूतों को जो सामग्री वितरित की गई है उनका विवरण निम्न प्रकार है। वितरित की गयी समस्त सामग्री की आखरदूतों की रसीदों की प्रतियां रखना श्रम साध्य एवं व्यय साध्य नहीं है—

प्रकोष्ठ से उपलब्ध कराई सामग्री		वितरित की गई सामग्री
1. आखर [illegible] पुस्तकें	1707	1550
2. आखरदूत मार्गदर्शिका	167	150
3. स्लेट	1460	1460
4. बॉलपेन	125	240
5. पैन्सिल	1225	1225
6. रोल अप बोर्ड	01	निल
7. चॉक पैकेट	50	40
8. बर्तन पैकेट	40	40
9. कॉपी (अभ्यास पुस्तिका)	125	125

(3) पंचायत स्तर पर आखरदूतों को आश्यकतानुसार परमिट जारी कर केरोसीन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिनांक 19-एवं 31-12-94 को दिये गये थे। इसके सम्बन्ध में दिनांक 22-12-94 की बैठक में दूरस्थ पंचायत प्रभारियों ने परमिट प्राप्त करने बार-बार तहसील में आने में कठिनाई जताई, जिस प्रकार निर्णय लिया गया कि पंचायत प्रभारी स्वयं आवश्यकतानुसार निर्धारित प्रारूप में परमिट जारी कर देवें जिसका भुगतान बाद में प्रकोष्ठ से कर देना निश्चित किया। इन्हीं मौखिक निर्देशों के तहत उक्त प्रधानाध्यापक ने आवश्यकतानुसार समय-समय पर आखर दूतों को परमिट जारी किये। परमिट के द्वारा केरोसीन स्वयं आखरदूतों ने ही दिया। इस प्रकार के अब तक कुल 144 परमिट जारी किये गये। जिनमें आखरदूतों द्वारा 288 लीटर केरोसीन प्राप्त किया तथा केरासीन डीलर श्री मोहन लाल खेमराज चौधरी को कुल 108 परमिट के 517/- रूपये भुगतान किये गये।

दिनांक 26-6-95 के पश्चात श्री मदन लाल चौथमल जैन केरोसीन डीलर के नाम जारी कुल 36 परमिट का भुगतान जांच प्रक्रिया में होने के कारण अभी तक नहीं किया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(4) सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र में प्रभावी ढंग से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु समय-समय पर प्रभारी नियुक्त किये गये थे। तहसील कार्यालय के आदेश दिनांक 26-11-94, 17-12-95 एवं 22-5-95 द्वारा जारी आदेशानुसार आकोला पंचायत हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति भीण्डर को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया था। सहायक परियोजना अधिकारी भीण्डर द्वारा दिनांक 3-12-94 को इस क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया गया। उन्होंने 90 प्रतिशत स्लेटें और आखर प्रताप पहली पुस्तक सभी के पास उपलब्ध होना बताया।

(5) जिला कलक्टर, उदयपुर के अनुसार अब तक किसी प्रकार अनियमितता/शिकायत तहसील कार्यालय वल्लभनगर को प्राप्त नहीं हुई है।

(6) दिनांक 26-5-95 तक श्री मोहनलाल खेमराज चौधरी (डीलर) कानोड़-बी को कुल 108 परमिटों के 517 रूपये का भुगतान किया जा चुका है इसके बाद जारी किये गये कुल 36 परमिट जो श्री मदनलाल चौथमल जैन (डीलर) कानोड़ के नाम जारी किये गये थे, का भुगतान रुपये 209.08 किया जाना शेष है जो शीघ्र ही किया जा रहा है।

(अतारांकित प्रश्न में उल्लेखित राणावतों का आकोला (कानोड़) नामक कोई राजस्व ग्राम नहीं है। तहसीलदार वल्लभनगर के अनुसार उपरोक्त सूचना आकोला पंचायत से संबंधित है)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम

6. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न संकायों की परीक्षाओं में कितने-कितने छात्र/छात्राएं सम्मिलित हुए तथा परीक्षा परिणाम का प्रतिशत क्या रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम का प्रतिशत निरन्तर गिरता जा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम के स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न संकायों की परीक्षाओं में सम्मिलित हुए छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम के प्रतिशत के विवरण की सूची परिशिष्ट-1 पर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां, बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम में आई गिरावट के स्तर को सुधारने हेतु, बोर्ड द्वारा अध्ययन कराया जा रहा है। अध्ययन दल द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर परीक्षा परिणाम सुधार हेतु प्रयास किया जाएगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति नैनवां (बूंदी) के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र

7. **डॉ. रामराय शर्मा (जमवारामगढ़)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति नैनवां (बूंदी) में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए सामान की खरीद बाबत तथा अन्य खरीद

(डॉ. रामराय शर्मा)

के सम्बन्ध में की गई जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) दोषी अधिकारी/कर्मचारी को कब तक दण्डित कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रारमभिक जांच की गई है आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जांच में दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय

8. **श्री मोहन लाल मोदी** (नीमकाथाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र नीमकाथाना के किन-किन पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किन पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) घासीपुरा पंचायत मुख्यालय पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोलने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र नीमकाथाना में निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त हुये :—

1. आगबाड़ी 2. खादरा 3. माउण्डास आर एस 4. गावली 56. घासीपुरा 6. राजपुरा 7. श्यामपुरा 8. गोडावास 9. लादीकवास 10. मोकलवास 11. झाराना

(2) वर्ष 95-96 में विधानसभा क्षेत्र नीमकाथाना में जो विद्यालय प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत किये गये हैं निम्नानुसार हैं :—

1. आगबाड़ी 2. खादरा 3. राजपुरा वर्ष 1995-96 में 658 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया है जिसमें से अधिकतर विद्यालय उन ग्राम पंचायतों में क्रमोन्नत किये हैं जिनमें उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसमें पंचायत मुख्यालय की बात नहीं, वरन् समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्र में कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था।

(3) गांव की जनसंख्या, विद्यालय की छात्र संख्या, कक्षा-5 की छात्र संख्या, फीडर विद्यालयों की संख्या एवं निकटतम समकक्ष विद्यालय की दूरी को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या—9

(स्थगित)

उच्च प्राथमिक विद्यालय हुडास (नागौर) के अध्यापकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

10. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम हुडास

(श्री हरजीराम बुरडक)

पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर में कौन-कौन अध्यापक कब-कब से कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के कुछ अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस अध्यापक के विरुद्ध कब-कब क्या शिकायतें प्राप्त हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त शिकायतों की जांच की गयी यदि हां, तो यह जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गई, यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालय हुडास पं.स. लाडनूं जिला नागौर में वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार से है : —

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	शाला में पदस्थापन तिथि
1.	श्री रामचन्द्र प्र/अ.	10.4.95
2.	श्री भंवरलाल, अध्यापक	18.10.91
3.	श्री मोटाराम, अध्यापक	10.8.81
4.	श्री हरिचंदाराम, अध्यापक	8.8.91
5.	श्री भंवरलाल बावरी, अध्यापक	24.1.74
6.	श्री डूंगरराम, अध्यापक	12.11.87
7.	श्री गोतम डांटी, शा.शि.	3.4.95

(2) उक्त विद्यालय के निम्न अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है : —

क्र.सं.	नाम कर्मचारी व पद	शिकायत प्राप्त होने की तिथि	शिकायत का विवरण
1	2	3	4
1.	श्री भंवरलाल, अध्यापक	14.6.95	एल.आई.सी. ब्रांच सुजानगढ़ से अधिकृत एजेन्ट संबंधी।
2.	श्री भंवरलाल बावरी, अध्या.	28.8.95	विद्यालय समय में शराब पीकर उत्पात मचाना अभद्र व्यवहार व गाली गलोच
3.	श्री मोटाराम, अध्यापक	28.8.95	" " "

(3) शिकायतों की प्राथमिक जांच हेतु जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी। जांच अधिकारी की पदोन्नति होने के कारण दूसरे जांच अधिकारी की नियुक्ति अक्टूबर, 1995 में की गयी है। जांच प्रक्रियाधीन है।

म्यूच्युअल हाउसिंग सोसायटी में प्रशासक की नियुक्ति

11. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा म्यूचुअल हाउसिंग सोसायटी का पंजीयन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सोसायटी के संचालक मंडल के सदस्यों के स्थाई पते सहित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सोसायटी द्वारा अब तक कितने सदस्य बनाये गये तथा कितने की सदस्यता समाप्त की गयी ? नाम जद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सोसायटी द्वारा किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि किस जगह ली गयी तथा उसका क्या-क्या एवं किस प्रकार से उपयोग किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सोसायटी का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो निर्धारित

(श्री रामनारायण मीणा)

कार्यक्षेत्र के विवरण सहित कार्यक्षेत्र के बाहर किये गये कार्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त सोसायटी के चुनाव समय पर नहीं करवाये जाने के कारण प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। म्यूचुअल हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर का पंजीयन राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के तहत किया गया है। उक्त समिति में दिनांक 7-7-95 से संचालक मंडल को भंग कर वर्तमान में प्रशासक नियुक्त किया गया है। जिनका पता निम्न है—

(2) मैनेजर मेडिकल, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., नवजीवन सहकारी बाजार, भवानी सिंह रोड, जयपुर।

समिति के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) प्रशासक समिति को अब तक समिति का पूर्ण रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है। अतः पूर्ण रेकार्ड उपलब्ध होने पर ही उत्तर दिया जाना संभव होगा।

(4) जी, हां। पंजीकृत उपनियमों के अनुसार उक्त समिति का कार्यक्षेत्र जयपुर शहर है। पूर्ण रेकार्ड उपलब्ध नहीं होने से कार्यक्षेत्र के बाहर किये गये कार्य की जानकारी नहीं है अतः कोई उत्तर दिया जाना संभव नहीं है।

(5) जी, हां। चुनाव समय पर नहीं होने के क्रम में दिनांक 7.7.95 को प्रशासक नियुक्त किया जा चुका है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट—4 देखें)

पीपल्दा (कोटा) की विद्युत आपूर्ति

12. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील पीपल्दा जिला-कोटा में हमेशा ही विद्युत आपूर्ति में रूकावट आती रहती है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इटावा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं। तहसील पीपल्दा जिला कोटा के क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति राज्य के अन्य क्षेत्रों की भांति ही की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता के अनुसार अपरिहार्य कारणों को छोड़कर आठ घण्टे प्रतिदिन पारी में उपलब्ध कराई जा रही है तथा रोशनी हेतु सायं 6 से 10 बजे तक सिंगल फेसिंग सप्लाई दी जा रही है।

(2) इटावा क्षेत्र में भी उपरोक्तानुसार विद्युत आपूर्ति तकनीकी व्यवधानों को छोड़कर नियमित तथा सुचारू रूप से की जा रही है। विद्युत आपूर्ति अपरिहार्य कारणों को छोड़ कर नियमित है।

सहायक अभियन्ता कार्यालय रींगस (सीकर) के अधीन विद्युत मण्डल की बकाया

13. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री घीसाराम यादव पुत्र श्री लालूराम यादव निवासी-अरणियां खाता सं. 23-118 ल.ओ. स्थाई विच्छेद (पीडीसी)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

सहायक अभियन्ता, रींगस (ओ एण्ड एम) जिला सीकर में विद्युत मण्डल की राशि बकाया है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) उक्त राशि कब से एवं क्यों बकाया पड़ी है ?

(3) उक्त राशि वसूली करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) अब उक्त राशि कब तक वसूल करली जाएगी ?

(5) उक्त राशि वसूली में बरती गई ढिलाई के लिए क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री घासीराम यादव, अरणियां की ओर विद्युत मण्डल की 6,338.00 रूपये की राशि बकाया है।

(2) यह राशि माह जुलाई, 1987 से बकाया थी।

(3) अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से दिनांक 9.5.89 को इ.यू.डी.आर. के तहत कार्यवाही करने हेतु नोटिस दिया गया था।

(4) बकाया राशि वसूली के प्रकरण जिला कलक्टर, सीकर को भेजा जा रहा है।

(5) इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है क्योंकि विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया था तथा बकाया राशि वसूल करने हेतु कार्यवाही की गयी है।

ग्राम चीथवाड़ी (चौमूं) का अपूर्ण ग्रिड सब स्टेशन

14. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी में चार माह पूर्व 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की आधार शिला रखी गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि समारोह में यह घोषणा की गयी थी कि तीन माह में उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य पूर्ण कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? अब उक्त ग्रिड सब स्टेशन का कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि तहसील चौमूं के ग्राम चीथवाड़ी में 33के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने हेतु आधारशिला रखी गयी थी।

(2) किसी भी ग्रिड सब स्टेशन बनाने हेतु वर्ष के फेज प्रोग्राम में कार्य को सम्मिलित करना आवश्यक है। तत्पश्चात वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य किया जाता है। इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गयी हैं एवं कार्य शीघ्र चालू कर पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह सही नहीं है। इस कार्य को उप मुख्य अभियन्ता (एस.टी.डी.पी.) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पत्र दिनांक 27.9.1995 द्वारा जारी स्वीकृति के अधीन फेज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है। इस कार्य को शीघ्र आरम्भ किया जा रहा है तथा इस वित्तीय वर्ष तक संसाधनों की उपलब्धतानुसार इसे पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परम्परागत ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम

15. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) राज्य में परम्परागत ऊर्जा उत्पादन का कार्यक्रम किस एजेन्सी द्वारा चलाया जा रहा है तथा उस पर गत तीन वर्षों में कितनी राशि व्यय की गयी और कितनी बिजली पैदा की गयी वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) चालू वर्ष के लिए इस कार्यक्रम पर कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी तथा कितनी बिजली पैदा होगी ?

(3) इस कार्यक्रम के लिये सरकार द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किये गये हैं ? दिशा निर्देशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित योजनाओं की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा उत्पादन का कार्य राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा निर्देशित किया जा रहा है।

(2) गत तीन वर्षों में ऊर्जा उत्पादन कार्य को निर्देशित करने हेतु हुई राशि का व्यय विवरण संलग्न प्रपत्र (अ) में दिया जा रहा है।

गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। (विवरण संलग्न प्रपत्र-स) में देखें।

चालू वर्ष के लिये इस कार्यक्रम पर कुल राशि व्यय का विवरण प्रपत्र-ब पर उपलब्ध है।

(3) राज्य के लिये कोई आबंटन अलग से नहीं किया गया है पर भारत सरकार ने देश के आठवें प्लान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 2000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन पवन, सौर ऊर्जा, माइनर माइक्रो हाइडल व बायो ऊर्जा के माध्यम से करने के दिशा निर्देश गैर परम्परागत ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, नयी दिल्ली से प्राप्त हुए हैं। गैर परम्परागत साधनों के माध्यम से लगाई गयी इकाइयों को औद्योगिक इकाइयों की तरह ही समझा जाएगा व उन्हें वही इन्सेंटीवस दिये जाएंगे जो आज औद्योगिक इकाइयों को दिये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में दिशा निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(4) सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिये जो योजनाएं प्रस्तावित हैं वह संलग्न प्रपत्र-स पर उपलब्ध हैं।

(प्रति/ विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

कृषि कार्य हेतु विद्युत कनेक्शन

16. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

राज्य में 1 अप्रेल 1995 से 30 सितम्बर 1995 तक कृषि कार्य हेतु कितने विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में 1.4.95 से 30.9.95 तक कृषि कार्य हेतु 9356 विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। जिलेवार संख्या सूची "अ" संलग्न है। तहसीलवार संकलन कराने में समय लगेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जन्तुआलय जयपुर में मांस प्रदाय

17. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री विष्णु मोदी)

(1) जयपुर स्थित जंतुआलय में जानवरों को दिये जाने वाले मांस की सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है?

(2) क्या यह सही है कि जंतुआलय में जानवरों को दिये जाने वाले मांस की सप्लाई का ठेका किसी निजी व्यक्ति को दिया हुआ है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में यह ठेका किस-किस व्यक्ति को किस-किस दर पर कितना-कितना मांस सप्लाई किये जाने हेतु दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की हुई है कि ठेकेदार द्वारा सप्लाई किये जाने वाला मांस निर्धारित मात्रा एवं स्तर के अनुरूप हो? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या विभाग को गत तीन वर्षों से इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ठेकेदार द्वारा सप्लाई किये जाने वाला मांस निर्धारित मात्रा एवं स्तर का सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण जानवरों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा जयपुर जन्तुआलय के मांस भक्षी जन्तुओं को भैंस मांस की आपूर्ति हेतु प्रतिवर्ष नियमानुसार खुली निविदाएं समाचार पत्रों के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं तथा प्राप्त न्यूतम दर पर भैंस मांस क्रय किया जाता है।

(2) जी, हां।

गत तीन वर्षों का विवरण निम्न प्रकार सदन की मेज पर रख दिया गया है :—

वर्ष	आपूर्तिकर्ता	दर	मात्रा प्रतिदिन
1993-94	श्री अब्दुल शकूर व्यापारियों का मोहल्ला, हकीम जी गली, सांगानेरी गेट, जयपुर	1.50 प्र.कि.	250 किलो प्रतिदिन
1994-95	श्री फरीद गली मदान, मोती डूंगरी रोड, जयपुर	1.57 प्र.कि.	250 किलो प्रतिदिन
1995-96	श्री इकबाल अहमद कुरेशी घाट की गुणी, जयपुर	3.07 प्र.कि.	250 किलो प्रतिदिन

(3) जी, हां। सप्लाई किया जाने वाला मांस जंतुआलय स्थित वध गृह में प्रतिदिन भैंसों को वध किया जाकर विभाग के प्रतिनिधि के समक्ष तुलवाया जाकर प्राप्त किया जाता है तथा जन्तुओं को वितरित किया जाता है।

मांस का स्तर :—

मांस आपूर्तिकर्ता वध से पूर्व अपनी भैंसों के स्टॉक की स्वस्थ्यता के सम्बन्ध में पशु चिकित्सक को एन्टी मोर्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। आपूर्ति किये जाने वाले मांस में आन्त, ओजरी, खुर, सींग, फेफड़े शामिल नहीं हैं।

(4) जी, नहीं। विभाग को गत वर्षों में मांस की मात्रा एवं स्तर के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और नाही जन्तुआलय के जानवरों के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ा है।

सीमेन्ट उद्योगों से प्रदूषण

18. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने सीमेन्ट उद्योग हैं तथा इनमें से कितने बन्द हैं? उत्पादन क्षमता के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिसिंह)

(2) उक्त में से कौनसी इकाई प्रदूषण रहित है तथा अन्य ईकाइयों से प्रदूषण संबंधी क्या-क्या समस्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त उद्योगों को प्रदूषण रहित करने के लिए विभाग एवं उद्योग द्वारा कोई कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस उद्योग के लिए क्या तथा प्रदूषण समस्या का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 150 सीमेन्ट उद्योग प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा चिन्हित किये गये हैं। इनमें से 20 उद्योग बंद हैं। उत्पादन क्षमता के विवरण सहित सूची संलग्न है।

(2) उक्त में से कोई सी भी ईकाई प्रदूषण रहित नहीं है। इन उद्योगों से सस्पेंडेड पार्टिकूलेट मैटर (धूल के कण) के विसर्जन के कारण वायु प्रदूषण की समस्या होती है।

(3) प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों की सान्द्रता हेतु मानक निर्धारित किये हुए हैं एवं उद्योगों को बाध्य किया जाता है कि उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगायें एवं प्रदूषित तत्त्व निर्धारित मानकों के अनुरूप ही वातावरण में विसर्जित करें। राज्य में 120 उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा रखे हैं। जोकि कुल कार्यरत उद्योगों का 92.3% है। शेष उद्योगों के विरुद्ध नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निगरानी प्रकरण दर्ज पंजिका का संधारण

19. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा द्वारा ग्राम पंचायतों से संबंधित निगरानी प्रकरणों के निपटारे बाबत निगरानी दर्ज पंजिका का संधारण किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1991 एवं 1992 में (जनवरी से दिसम्बर तक) कितनी निगरानियां दर्ज की गयी ? क्रमानुसार मय दिनांक सूची सदन की मेज रखें।

(2) क्या उपरोक्त निगरानियों के निर्णय के खिलाफ वर्ष 1991 एवं वर्ष 1992 (जनवरी से दिसम्बर तक) में पुनः विचार याचिका (रिव्यू प्रार्थना पत्र) दर्ज कराये गये हैं ? क्रमानुसार मय दिनांक सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। वर्ष 1991 में निगरानी दर्ज पंजिका के अनुसार क्रमांक 269 से 599 तक कुल 331 निगरानी तथा वर्ष 1992 में क्रमांक 211 से 243 तक कुल 33 निगरानियां दर्ज की गयीं। क्रमानुसार मय दिनांक सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। वर्ष 1991 में कोई रिव्यू प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ। वर्ष 1992 में (जनवरी से दिसम्बर तक) 2 पुनः विचार याचिका (रिव्यू प्रार्थना पत्र) प्राप्त होने पर दर्ज किये गये। क्रमानुसार मय दिनांक के सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायती राज वित्त आयोग

20. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पंचायती राज वित्त आयोग का गठन कब किया गया तथा अब तक इस आयोग पर कुल कितना व्यय हुआ ? व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक इस आयोग ने कौन-कौन सी रिपोर्ट सरकार को कब-कब प्रस्तुत की है ? रिपोर्ट की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आयोग द्वारा अन्तिम रिपोर्ट कब तक दी जायेगी और यह आयोग कब तक कार्यरत रहेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज वित्त आयोग का गठन 23 अप्रेल, 1994 को किया गया था। आयोग पर होने वाला व्यय इस विभाग द्वारा नहीं उठाया जाता। अतः मदवार विवरण इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) राज्य वित्त आयोग ने अभी तक सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(3) राज्य वित्त आयोग द्वारा अन्तिम रिपोर्ट 31.12.95 तक देने की संभावना है। वित्त आयोग का कार्यकाल 31.12.95 तक बढ़ाया गया है।

पथ परिवहन निगम आगार

21. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किन-किन सम्भागीय एवं जिलों में एक से अधिक रोडवेज के डिपो हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उदयपुर सम्भाग में भी किसी जिले में एक से अधिक डिपो हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सम्भाग में भी एक से अधिक डिपो कायम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में ?

उत्तर

(1) प्रदेश के जिन सम्भागीय मुख्यालयों एवं जिलों में एक से अधिक रोडवेज के आगार हैं, उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "क")

(2) जी, नहीं। उदयपुर सम्भाग के किसी जिले में एक से अधिक आगार खोले जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—6 देखें)

तिजारा (अलवर) में निगम द्वारा संचालित बसें

22. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा एवं सब तहसील-टपूकड़ा में निगम द्वारा बस सेवायें नियमित एवं सुचारू रूप से नहीं चलाई जा रही हैं विशेष तौर पर तिजारा से फिरोजपुर, टपूकड़ा से नूंह रोड पर एवं भिवाड़ी तिजारा से कोट-कासिम ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त रूट पर बसें चलाकर जनता को राहत देना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या अलवर एवं किशनगढ़ बास से

(श्री एमादुद्दीन अहमद खां)

कोटकासिम के लिए बस सेवा के परिचक्र काफी कम हैं एवं सायंकाल चार बजे से कोई बस सेवा नहीं है? क्या रात्रि की एक मात्र बस भी कभी ब्रेक डाउन व अन्य कारणों से रद्द कर दी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रूट पर बस सेवा को सुधार कर जनता को राहत देना चाहती है? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या दिल्ली, मेरठ तक जाने वाली बस वाया कोटकासिम जाती थी? यदि हां, तो उसे बन्द क्यों कर दिया गया? क्या सरकार जनहित में उसको तुरन्त चालू करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) निगम द्वारा उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप वर्तमान में इन मार्गों पर पर्याप्त बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं।

(3) जी, नहीं। उपलब्ध यात्री भार के अनुरूप निगम द्वारा वर्तमान में अलवर से कोटकासिम वाया किशनगढ़ बास के लिए दैनिक 8 परिचक्र, अलवर से किशनगढ़ बास के बीच दैनिक 50 परिचक्र एवं किशनगढ़ बास से कोटकासिम के बीच दैनिक 24 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। किशनगढ़ बास से कोटकासिम के लिए सांयकाल 4 बजे के बाद 4.30, 5.15, 6.00 एवं 7.30 बजे बस सेवा संचालित है। इस मार्ग होकर रात्रि में अलवर से रोहतक के लिए संचालित की जा रही बस सेवा वर्षाकाल में सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण बंद कर दी गयी थी। जिसे सड़क में सुधार हो जाने के बाद पुनः संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) निगम द्वारा देहली जाने वाली बस वाया कोटकासिम संचालित की जा रही थी जो अब भी संचालित की जा रही है। मेरठ जाने वाली कोई बस कोटकासिम होकर संचालित नहीं की जा रही थी। वर्तमान में दिल्ली के लिये कोटकासिम होकर 3 वाहन संचालित हैं।

भीम (राजसमंद) से बसों का संचालन

23. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 पर स्थित उप जिलाधीश मुख्यालय भीम से प्रतिदिन कितनी प्राइवेट तथा निगम की बसों का कहां-कहां पर किस-किस समय आवागमन होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीम के बस स्टेशन पर यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए क्या सरकार बस स्टेशन पर नगण्य सुविधाओं में वृद्धि कर उपयुक्त शेड, शौचालय, प्याऊ तथा पक्का प्लेटफार्म बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विवरण संलग्न परिशिष्ट (क) तथा (ख) पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में भीम में बस स्टैण्ड ग्राम पंचायत का है। जिसका उपयोग निगम व निजी वाहनों द्वारा किया जा रहा है। परिवहन निगम और पंचायत राज विभाग में समन्वय कर व्यवस्था सुधारने का विचार राज्य सरकार रखती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीमा पॉलिसी का परिपक्वता पर भुगतान

24. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीमा पालिसी की परिपक्वता की तिथि पर पालिसी धारक को भुगतान नहीं करने पर बाद की अवधि के लिये पालिसी धारक को ब्याज देय होता है ? यदि हाँ, तो किस दर से किन-किन परिस्थितियों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि बीमा पालिसी संख्या 61774 का परिपक्वता दिनांक 1 सितम्बर, 1993 को भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) बीमा पालिसी संख्या 61774 श्री बाबूलाल जैन, सेवानिवृत्त उप कोषाधिकारी, नैनवां की दिनांक 1-9-93 को परिपक्व हुई पालिसी के क्लेम प्रपत्र दिनांक 1.10.93 को प्राप्त हुए। श्री जैन को निम्न प्रकार से बीमा राशि का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है :—

अधिकार /दिनांक पत्र संख्या	राशि
1. 005624/1-1-94	19036.00
2. 005891/8-4-94	14123.00
3. 007033/10-8-95	3571.00
4. 007067/2-12-94	2564.00
5. 007936/13-9-95	2222.00

नियमों में ब्याज संबंधी प्रावधान के नहीं होने के फलस्वरूप कोई ब्याज देय नहीं है।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के रिसर्च एसोसियेट्स

25. **श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के आदेश संख्या सीटीएई/ई.एसटीटी/91/3204-25 दिनांक 30-3-91 के तहत कुछ रिसर्च एसोसियेट्स कार्यरत थे एवं उनका वेतनमान 2700-100-3200 रुपये एक मुश्त वेतन श्रृंखला पर अंकित किया गया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि विश्वविद्यालय के आदेश संख्या आर.ए.यु/ई. एस.टी.टी/ग्रेड प्रथम/93/5270-80 दिनांक 8-12-93 के तहत जो बिन्दु संख्या-1 में उल्लेखित है को नियुक्ति तिथि से 2000-60-2300-75-3200-100-3500 रुपये का रनिंग वेतनमान दिया गया ? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आदेश संख्या पी.डी. ग्रेड-2/आई.सी.ए.आर/42/92-93 /962-67 दिनांक 7/15 दिसम्बर, 1992 के तहत कुछ अन्य रिसर्च एसोसिएट्स को 2700-100-3200 के वेतनमान में एक मुश्त वेतन पर रखा गया ? यदि हाँ, तो आदेश की प्रति और व्यक्तियों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के आदेश संख्या एच.ए.सी/ई.एस.टी.टी/ 93/4680-97 दिनांक 1/2 नवम्बर, 93 के तहत बिन्दु संख्या 3 में अंकित व्यक्तियों को 700 रुपये, की पुरानी स्केल के अन्तर्गत नवीन वेतन

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

2200 रुपये + मंहगाई भत्ता/मकान किराया और अन्य सुविधाओं के आदेश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा एक ही वेतन श्रृंखला एवं एक ही पद पर कार्यरत कुछ रिसर्च एसोसियेट्स को 2000-3500 रुपये का वेतनमान नियुक्ति तिथि से दिया जा चुका है लेकिन ए.आर.एस. दुर्गापुरा, जयपुर, ए.आर.एस. नवगांव-अलवर आर.सी.ए. उदयपुर और ए.आर.एस. श्री गंगानगर में कार्यरत रिसर्च एसोसियेट्स श्री शैतान सिंह शेखावत, श्री लीलाधर शर्मा, श्री सुरेश मुरोलियां, श्री राजेन्द्र बाबू दुबे और श्री मालीराम नेहरा को यह वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? व इन्हें ये वेतनमान नियुक्ति तिथि से कब तक दिए जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। अधिष्ठाता, सी/टी/एई उदयपुर ने अपने आदेश में सी/टी/एई स्थापना 91/3209-25 दिनांक 30.3.91 द्वारा आई.सी.ए.आर. की स्कीम "स्टडी ऑन केनाल इरिगेशन सिस्टम" में कार्यरत रिसर्च एसोसिएट्स को वेतन श्रृंखला रुपये 2700-100-3200 दी गई। (आदेश की प्रति संलग्न है।) (प्रपत्र सं. 1)

(2) जी, हां। राकृवि आदेश, क्रमांक आर.ए.यू/स्थापना ग्रुप-प्रथम/93/5270-30 दिनांक 7/8.12.93 द्वारा बिन्दू सं.-1 में उल्लेखित व्यक्तियों में से निम्न व्यक्तियों को वेतन श्रृंखला रुपये 2000-3500 व्यक्तियों में से निम्न व्यक्तियों को वेतन श्रृंखला दी गई है—

1. श्री सी.के. सक्सेना

2. श्री जी.पी. विश्वकर्मा

(आदेश की प्रति संलग्न है) प्रपत्र सं. 2

(3) जी, हां। विश्वविद्यालय ने आदेश सं.पी.डी. ग्रेड-2/आई.सी.ए.आर. 42/92-93/962-67 दिनांक 2/18.12.92 द्वारा आई.सी.ए.आर. के पत्र सं.24(1)/90 शिक्षा—III दिनांक 30.10.92 की अनुपालना में स्थिर वेतन, आल इण्डिया कोर्डिनेटेड स्कीम ऑफ होम साइंस उदयपुर में कार्यरत रिसर्च एसोशियएट्स को 2700-3200 का स्थिर वेतन दिया गया आदेश की प्रति संलग्न है। (प्रपत्र सं. 3)

(4) विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में बिन्दु सं.—3 में संन्दर्भित रिसर्च एसोसिएट्स को रुपये 700/- तथा उस पर देय भत्ते देने की अनुमति दी गयी है जिसकी अनुपालना में अधिष्ठाता, गृह विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर ने आदेश सं. 4680-97 दिनांक 1/4.11.93 के द्वारा उक्त वेतलन दिया गया। आदेश की प्रति संलग्न है। (प्रपत्र सं. 4) वर्तमान में भी इन रिसर्च एसोसिण्ट्स को उपरोक्त राशि ही दी जा रही है।

(5) हां। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ कार्यरत रिसर्च एसोसिएट्स को वेतन श्रृंखला रुपये 2000-3500 दी गयी। सर्व श्री शैतान सिंह शेखावत, लीलाधर शर्मा, सुरेश मुरलिया, राजेन्द्र बाबू दूबे तथा मालीराम नेहरा को आई.सी.ए.आर. की स्कीम "प्रमोशन ऑफ रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट एफोर्डस ऑन हाई ब्रिडस इन सलेक्टेड क्राप्स" जिसमें किये कार्यरत हैं, में देय स्थिर वेतन 2700-100-3200 दिया गया है। इस स्कीम में

(कृषि राज्य मंत्री)

कार्यरत इन व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर वेतन श्रृंखला 2000-3500 देने के क्रम में विश्वविद्यालय को प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। संदर्भित स्कीम के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए उक्त प्रतिवेदनों का परीक्षण कर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। सरकार इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। उपरोक्त व्यक्तियों की नियुक्ति जिन पदों पर हुई है वे पद राज्य सरकार द्वारा सृजित नहीं किये गये हैं।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आमेर (जयपुर) में बागवानी योजना

26. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत सरकार की बागवानी योजना के अन्तर्गत तहसील आमेर जिला-जयपुर में अब तक किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) आमेर तहसील में किस-किस किसान को उक्त योजना के अन्तर्गत किस-किस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक उक्त तहसील में कितने एकड़ में किस-किस ग्राम के किस-किस किसान के पोधे लगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की बागवानी योजना के अन्तर्गत तहसील आमेर जिला-जयपुर में उद्यान विभाग के गठन से अब तक निम्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं. मद	राशि (रू)
(अ) केन्द्रीय परिवर्तित योजना	
1. सब्जी मिनिकट	4650.00
2. मसाला विकास योजना	8844.00
3. मशरूम की खेती	570.00
4. ट्रीपिकल एरिड जोन फुट	
—कृषक प्रशिक्षण	2000.00
—ग्रीन हाऊस	45000.00
—छोटी नर्सरी विकास	20000.00
—ड्रिप सिंचाई	317852.00
—क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	3463.00
(ब) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाएं	
पोषाहार कार्यक्रम	11300.00
(स) स्पाइसेज बोर्ड	
—मसाला परियोजना	6600.00
—मसाला योजनान्तर्गत पौध संरक्षण उपकरण	1051.50
योग :	421330.50

(2) आमेर तहसील में जिन-जिन किसानों को उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई गयी का विवरण सूची अनुसार निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	मद	कृषकों की संख्या	सूची परिशिष्ठ
1.	सब्जी मिनिकट	31	1
2.	मसाला विकास योजना		
	—वर्ष 1993-94	48	2
	—वर्ष 1994-95	44	3
3.	मशरूम की खेती	6	4
4.	कृषक प्रशिक्षण	2	5
5.	ग्रीन हाऊस	1	6
6.	छोटी नर्सरी विकास	1	7
7.	ड्रिप सिंचाई	8	8
8.	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	12	9

(कृषि राज्य मंत्री)

1	2	3	4
9.	पोषहार कार्यक्रम		
	—वर्ष 1993-94	156	10
	—वर्ष 1995-96	70	11
10.	मसाला परियोजना	55	12
11.	मसाला योजना के अन्तर्गत पौध संरक्षण उपकरण	3	13

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में अब तक तहसील आमेर में 7.5 एकड़ (5 हैक्टेयर) क्षेत्र में किसानों के यहां लगाए गए पौधों की सूची परिशिष्ठ 9 पर उपरोक्तानुसार संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--7 देखें)

ड्रेनेज स्कीम हेतु अवाप्त भूमि का भुआवजा

27. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माटून्दा (बूंदी) ड्रेनेज स्कीम जोन नम्बर 7, पार्ट II के अन्तर्गत निकाली गयी मेन सब ड्रेन-3 (सीपेज ड्रेन) में आई भूमि खसरा संख्या 1569 ग्राम माटून्दा, मेन ड्रेन नम्बर 1 में आई भूमि खसरा संख्या 1856 ग्राम माटून्डा, औकारपुरा ड्रेनेज जोन नम्बर 8 की केरियर ड्रेन नम्बर 5 के लिए अवाप्त भूमि तथा पूर्व के खसरा संख्या 75 वर्तमान खसरा संख्या 371 व 64 ग्राम बाजड़ की में से नहर में आई 3 बीघा 2 बिस्वा में से 17 बिस्वा भूमि की मुआवजा राशि अदा नहीं की गयी है? यदि हां, तो मुआवजा राशि अदायगी के लिए क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त भूमि की मुआवजा राशि निर्धारित करके अवार्ड कब तक जारी कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) (अ) जी, हां। ग्राम माटून्दा के खसरा नं. 1569 एवं 1856 की आंशिक भूमि अवाप्ति के लिए धारा 4 के संशोधित प्रस्ताव की विज्ञप्ति के पश्चात भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं तहसीलदार बून्दी द्वारा कृषकों से आपसी समझौते के आधार पर मुआवजे भुगतान की कार्यवाही की जा रही है जिसके अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं तहसीलदार बून्दी द्वारा इस सम्बन्ध में कृषकों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(ब) औकारपुरा केरियर ड्रेन नं. 5 जोन नं. 8 के निर्माण में आई भूमि के मुआवजे हेतु धारा 4 की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं तहसीलदार बून्दी द्वारा कृषकों से आपसी समझौते के प्रयास किये जा रहे हैं एवं तदनुसार मुआवजे भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। भूमि अवाप्ति एक अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही होकर न्यायालय द्वारा दिए अवार्ड के आधार पर ही मुआवजा भुगतान किया जाना है जिसके अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं तहसीलदार, बून्दी द्वारा इस सम्बन्ध में कृषकों को नोटिस भी जारी किये जा चुके हैं।

(स) नहरों का निर्माण वर्ष 1960 में किया गया था तथा नहरों के अन्तर्गत अवाप्त भूमि का मुआवजा भुगतान कृषकों को किया जा चुका है। ग्राम बाजड़ के पूर्व के खसरा नं. 75 वर्तमान खसरा नं. 371 एवं 64 की नहर में अवाप्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धी रिकार्ड देखने के पश्चात ही इसका उत्तर दिया जाना

(सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

सम्भव हो सकेगा, क्योंकि यह प्रकरण लगभग 25-30 वर्ष पुराना है। रिकार्ड की जांच एवं मौके पर सर्वे करने के पश्चात् मुआवजा सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) भूमि अवाप्ति अधिकारी-कम-तहसीलदार बून्दी से अवार्ड जारी कराने हेतु लगातार सम्पर्क किया जा रहा है तथा न्यायालय द्वारा अवार्ड जारी होते ही भुगतान कर दिया जायेगा।

तख्तपुरा (बीकानेर) द्वारा सेनिटरी डिग्गी का निर्माण

28. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप-निवेशन क्षेत्रातंर्गत ग्राम तख्तपुरा द्वारा सेनीटरी डिग्गी का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में इस डिग्गी की क्या हालत है?

(2) क्या सरकार इस डिग्गी की मरम्मत कराकर ग्राम पंचायत, तख्तपुरा को सुपुर्द करेगी?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि उपनिवेशन क्षेत्रांतर्गत ग्राम तख्तपुरा में सेनीटरी डिग्गी का निर्माण करवाया गया है। वर्तमान में यह डिग्गी क्षतिग्रस्त है।

(2) इस विभाग के पास डिग्गियों की मरम्मत बाबत 5 डिग्गियों की मरम्मत के प्रस्ताव मय तखमीना के प्राप्त हुए हैं जिसमें उक्त डिग्गी की मरम्मत के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। शीघ्र ही क्षेत्रीय विकास आयुक्त द्वारा डिग्गी चयन समिति की बैठक बुलाई जाकर वित्तीय उपलब्धता एवं अन्य तकनीकी इत्यादि मापदण्ड को देखते हुए इस डिग्गी की मरम्मत बाबत निर्णय पर विचार किया जावेगा।

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार

29. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में 30 जून, 1995 में किस-किस श्रेणी में कुल कितने बेरोजगार थे? 30 जून, 1990 को इनकी संख्या क्या थी?

(2) क्या सरकार अन्य कुछ राज्यों की भांति शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

(3) पिछले पांच वर्षों में किस-किस वर्ष में कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान कराया गया?

उत्तर

(1) रोजगार कार्यालयों में जीवित पंजिका पर उपलब्ध विभिन्न श्रेणी के आशार्थी :—

क्र.सं.	श्रेणी	30-6-90	30-6-95
1.	कुल पंजीकृजत	9,49,713	8,30,149
(अ)	अनुसूचित जाति के आशार्थी	1,33,940	1,27,258
(ब)	अनुसूचित जनजाति के आशार्थी	63,182	61,619
(स)	महिलाएं	78,864	83,880
(द)	विकलांग	13,488	17,372

(2) जी, नहीं। विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) गत पांच वर्षों में नियोजित कराये गये शिक्षित आशार्थी :—

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

योग्यता	वर्ष				
	1990	1991	1992	1993	1994
सैकण्डरी	600	901	1297	583	1011
हा.सै.	1810	3165	3642	1925	1602
स्नातक	2651	3822	5427	3876	3401
अधिस्नातक	420	428	516	377	362
योग :	5481	8316	10882	6761	6376

राज्य के पंजीकृत हेरीटेज होटल्स

30. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने हेरीटेज होटल्स अब तक पंजीकृत हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें

(2) इन हेरीटेज होटल्स में वर्ष 1994-95 में कुल कितने पर्यटक ठहरे ?

(3) इन हेरीटेज होटल्स में अब तक कितनी-कितनी राशि ऋण व सहायता के तौर पर दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने अब तक 23 हेरीटेज होटलों का वर्गीकरण किया है। सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में अलग से आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं।

(3) इन हेरीटेज होटलों को पर्यटन विभाग द्वारा कोई ऋण राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है। राजस्थान स्टेट केपिटल इन्वेस्टमेन्ट सबसीडी स्कीम 1993 के तहत होटल खीमसर फोर्ट, खीमसर को रु. 5.64 लाख एवं होटल केसल, बीजापुर, चित्तौड़गढ़ को रु. 0.84 लाख रू. की राशि अनुदान स्वरूप स्वीकृत की गयी है। वर्तमान में और किसी हेरीटेज होटल का आवेदन लम्बित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—8 देखें)

राज्य के पर्यटन स्थलों का विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन

31. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पर्यटन विकास की दृष्टि से जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, झुंझुनूं, नागौर व चूरू, जिलों के लिए पर्यटक विशेषज्ञों से अध्ययन कार्य करवाया गया था ? यदि हां, तो उक्त अध्ययन दल में कौन-कौन व्यक्ति थे और क्या उक्त दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्य योजना हाथ में ली है ? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार प्रदेश में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से हाड़ौती, बगड़, बृज व मेवात क्षेत्र सहित अन्य जिलों का अध्ययन सर्वे करवा कर एक मास्टर प्लान बनाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग ने मरू त्रिकोण एवं मेवाड़ क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिये मैं ए.एफ. फर्ग्युशन, नई दिल्ली तथा शेखावटी क्षेत्र के लिये मै. जे.पी. एस. एसोसियेट्स, नई दिल्ली के द्वारा सर्वेक्षण कराया है। इनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

(पर्यटन राज्य मंत्री)

(2) सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट को केन्द्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये भिजवाया गया है, जो कि अभी अपेक्षित है।

(3) हाड़ौती क्षेत्र का सर्वेक्षण मै. टाटा कंसलटेंसी, नयी दिल्ली से कराया गया है। जो भी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता के लिए भारत सरकार को भेजी जा रही है। प्रदेश के बाकी क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने हेतु पंजीकृत कन्सलटेंट्स से निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं।

कार्यरत अकादमियां एवं संस्थाएं

32. श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग के अन्तर्गत कौन कौनसी अकादमियां और संस्थान कार्यरत हैं और उनके, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी और अरबी फारसी शोध संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सचिव/निदेशक की प्रारम्भिक अर्हताएं, वेतनमान आदि का निर्धारण किसके द्वारा किस नियम अथवा अधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है और अर्हताएं और परिवेतनमान क्या हैं?

(3) क्या यह सही है कि इन अकादमियों के अध्यक्ष के साथ राज्य सरकार ने अपनी बैठक दिनांक 21-5-73 में अकादमियों के सचिवों के वेतनमान को पुनरीक्षित किया था और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की बैठक सामान्य सभा में सचिव के वेतनमान पर पुनर्विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ? यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में सरकार को क्या कठिनाई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव की अर्हताएं क्या सरकार से स्वीकृत हैं, यदि हां, तो क्या? वर्तमान सचिव कौन से हैं तथा क्या वे इन अर्हताओं की पूर्ति करते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि अकादमी के कर्मचारी भविष्य निधि की बजाय पेंशन योजना लागू करने की मांग अन्य स्वायत्तशासी संस्थानों की तरह कर रहे हैं? यदि हां, तो प्रोविडेन्ट फण्ड की जगह पेंशन योजना लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

उत्तर

(1) कला एवं संस्कृति विभाग के अर्न्तगत निम्नलिखित अकादमियां और संस्थाएं कार्यरत हैं :

1. राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर
2. राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जोधपुर
3. जयपुर कत्थक केन्द्र, जयपुर
4. रवीन्द्रमंच, जयपुर

उक्त अकादमियों संस्थाओं के प्रशासनिक अधिकारी क्रमशः निम्नांकित हैं :—

1. श्री विपिन बिहारी सक्सेना
2. श्री पी.पी. विडियासर, आर.ए.एस. (प्रतिनियुक्ति)
3. श्री वी.एन. सेवानी, उप शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग (अतिरिक्त कार्यभार)
4. सुश्री श्रुति भारद्वाज, आर.ए.एस.

(2) राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एवं

(कला, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

राजस्थान ललित कला अकादमी के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सचिव हैं। सचिव के पद को प्रारम्भिक अर्हताएं, वेतनमान आदि का निर्धारण राज्य सरकार के स्तर से किया जाता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एवं राजस्थान ललित कला अकादमी के अर्हताएं और वर्तमान वेतनमान संलग्न किये जा रहे हैं।

जहां तक टोंक स्थित अरबी फारसी शोध संस्थान का सम्बन्ध है, यह अकादमी न होकर एक राजकीय विभाग है और विभाग में विभागाध्यक्ष निदेशक नियुक्त होता है। निदेशक के पद की अर्हताएं/वेतनमान भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं जो कि संलग्न है।

(3) जी, हां। इस प्रस्ताव में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी एवं राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिवों के वेतनमान 375-850 से बढ़ाकर 500-1000 करने की सिफारिश की थी जिसे राज्य सरकार ने आदेश सं. एफ. 1(59) शिक्षा/ग्रुप—4/73 दि. 12.11.74 द्वारा स्वीकार कर लिया।

(4) जी, हां। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 11(1) क्र.सं/92 दि. 2.5.94 द्वारा निर्धारित की गयी अर्हताओं की प्रति संलग्न है। वर्तमान में सचिव के पद श्री पी.पी. विडियासर आर.ए.एस. अधिकारी, प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। प्रतिनियुक्ति पर सचिव की नियुक्ति अस्थायी है, इसके लिए निर्धारित योग्यताओं का होना आवश्यक नहीं है। यह नियुक्ति विधान के नियमों के अनुसार चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक ही है।

(5) जी, हां। चूंकि इस सम्बन्ध में प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है। यह राज्य सरकार की नीति सम्बन्धी प्रकरण है, अतः इसका परीक्षण किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महिला एवं बाल विकास विभाग में रिक्त पद

33. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में काफी संख्या में अधिकारियों व कर्मचारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब-कब से और क्यों? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पद खाली रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना को संचालित करने में बाधा आ रही है? यदि हां, तो इसके निराकरण के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी, हां। जिलेवार रिक्त पदों की सूची व अन्य विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी, हां। रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय मदनमोहन मालवीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर का स्नातकोत्तर विभाग

34. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(1) क्या यह सही है कि मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में स्नातकोत्तर विभाग चलाये जा रहे हैं? यदि हां, तो स्नातकोत्तर विभागों को सृजित करने की स्वीकृति कब-कब प्राप्त हुई?

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के स्नातकोत्तर विभाग में अनेकों पद रिक्त हैं? यदि हां, तो व्याख्याता, रीडर, प्रोफेसर के कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में पेथोलोजिस्ट के पद पर कार्यरत चिकित्सक कब से कार्यरत हैं तथा क्या इन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर के मौलिक सिद्धान्त विभाग एवं कौमारभृत्य विभाग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की वित्तीय स्वीकृति मार्च, 1992 में आने के बावजूद भी पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया? यदि हां, तो अब कब तक इसे प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी, हां।

स्नातकोत्तर विभाग का नाम	वर्ष
रसशास्त्र भेषज्य कल्पना	1973-74
द्रव्य गुण विज्ञान	1981-82
काय चिकित्सा	1986-87

(2) जी, हां। आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में स्नातकोत्तर विभागों में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :—

पद नाम		रिक्त पदों की संख्या एवं तिथि
प्रोफेसर	3 पद	दि 23-8-85 से 1 पद
		दि 1-10-87 से 1 पद
		दि 1-11-87 से 1 पद
रीडर	5 पद	दि 4-9-79 से 1
		पद दि 23-2-82 से 3 पद
		दि 23-8-85 से 1 पद
लेक्चरर	2 पद	दि 28-12-87 से

(3) महाविद्यालय अनुसंधान केन्द्र में पेथोलोजिस्ट के पद पर डॉ. चन्द्र कुमार गुप्ता दिनांक 10-5-80 से निरन्तर कार्यरत है। पेथोलोजिस्ट का पद राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं नेचुरोपेथी सेवा नियम, 1973 में समावेश करने हेतु कार्यवाही की जा रही है। पद के सेवा नियमों में समाविष्ट नहीं होने के कारण इन्हें स्थाई नहीं किया गया है।

(4) जी, हां। महाविद्यालय में कौमारभृत्य एवं मौलिक सिद्धान्त में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मद से क्रमोन्नत करने की स्वीकृति क्रमशः 1990-91 एवं 1991-92 में प्राप्त हुई लेकिन प्रारम्भिक व्यवस्थाओं हेतु बजट आबंटन क्रमशः 1.00 लाख मार्च, 1991 जिसे व्यय करने की स्वीकृति वित्त विभाग से फरवरी 1992 में प्राप्त हुई। तदुपरान्त प्रारम्भिक व्यय किये गये तथा मौलिक सिद्धान्त के लिये 2.50 लाख की प्रारंभिक व्यवस्थाओं की स्वीकृति भी मार्च, 1992 में प्राप्त हुई जो महाविद्यालय में 21-3-92 को प्राप्त हुई जो वित्तीय वर्ष 1991-92 में व्यय किया जाना असंभव था जिसको वर्ष 1992-93 में करने हेतु पत्रांक 3414 दिनांक 23.5.92 द्वारा भारत सरकार को निवेदन किया गया, परन्तु स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत पदों का सृजन राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के बजट आंबटन करने पर ही किया जाने के कारण पदों का सृजन नहीं हुआ है। इसलिए

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

विश्वविद्यालय से सम्बद्धता भी प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं किये जा सके हैं।

अब भारत सरकार के उक्त विषयों में होने वाले व्यय के लिये बजट आबंटन एवं राज्य सरकार द्वारा पदों का सृजन हो जाने पर ही विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जायेगा। भारत सरकार को प्रतिवर्ष बजट प्रस्ताव नियमित भिजवाये जाते रहे हैं किन्तु भारत सरकार से बजट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

राजकीय आयुर्वेद औषधालय चन्दवाजी एवं भादवा (जयपुर) में नियुक्त वैद्य

35. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद औषधालय चन्दवाजी और भादवा जिला जयपुर में कार्यरत वैद्य कब से नियुक्त हैं? उनका स्थान्तरण कब-कब हुआ, कब-कब निरस्त हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चन्दवाजी (जयपुर) और भादवा (जयपुर) में पदस्थापित वैद्यों ने स्थानान्तरण हेतु न्यायालयों से स्थगन प्राप्त किया है? यदि हां, तो उसमें प्रभारी अधिकारी किसको लगाया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि अब भी उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्या प्रभारी अधिकारी द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर दी गई और जवाब पेश कर दिया गया? यदि नहीं, तो अब तक जवाब न देने का कारण क्या रहा?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्थगन के विरुद्ध अपील की गयी थी? यदि हां, तो उसके क्या नतीजे रहे? यदि नहीं, तो अपील न करने के क्या कारण रहे?

(5) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों की ढिलाई रोकने के लिये पुख्ता व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय आयुर्वेद औषधालय, चन्दवाजी (जयपुर) में आयुर्वेद चिकित्सक पद पर श्री ओमप्रकाश जोशी दिनांक 26.9.88 से पदस्थापित हैं। इनका स्थानान्तरण आदेश दिनांक 1.12.90 से साईवाड़ (जयपुर) किया गया था, बाद में आदेश दिनांक 17-1-91 से निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात श्री जोशी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30-7-94 द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बालेटा (अलवर) किया गया था, जो कि आदेश दिनांक 21-6-95 द्वारा निरस्त किया गया है।

राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भादवा (जयपुर) में आयुर्वेद चिकित्सक पद पर श्री नागरमल शर्मा जून, 1981 से पदस्थापित हैं। श्री शर्मा का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 30.7.93 द्वारा नन्दवाड़ा (अजमेर) किया गया था, जो कि आदेश दिनांक 7.8.93 द्वारा निरस्त किया गया था। पुनः आदेश दिनांक 21.10.94 द्वारा उनका स्थानान्तरण नन्दवाड़ा (अजमेर) किया गया तथा आदेश दिनांक 29.12.94 द्वारा श्री नागरमल शर्मा का स्थानान्तरण नन्दवाड़ा (अजमेर) से भादवा (जयपुर) किया गया।

(2) यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधाल, चन्दवाजी (जयपुर) में पदस्थापित

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

चिकित्सक श्री ओमप्रकाश जोशी ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया था। इस वाद में सहायक जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया हुआ है।

(3) किन्तु यह सही नहीं है कि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, भादवा (जयपुर) में पदस्थापित चिकित्सक श्री नागरमल शर्मा ने न्यायालय में कोई वाद दायर कर रखा है। जी, हां। ऊपर उत्तर में वर्णित वाद विचाराधीन है। उपरोक्त वाद के तथ्यात्मक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर प्रभारी अधिकारी ने वाद का जवाब दिनांक 23.1.95 को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

(4) जी, नहीं। निदेशालय के आदेश दिनांक 21.6.95 द्वारा श्री ओम प्रकाश जोशी का बालेटा (अलवर) किया गया स्थानान्तरण निरस्त कर दिये जाने के कारण अपील नहीं की गई है।

(5) न्यायिक प्रकरणों के महत्त्व को देखते हुए, प्रभारी अधिकारियों को पूर्ण सतर्कता रखने के निर्देश यथा समय दिये जाते हैं।

राजकीय संस्थाओं द्वारा निर्मित औषधियां

36. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30-9-1995 तक कितने मूल्य की आयुर्वेदिक औषधियां राजकीय संस्थानों में निर्मित हुई और कितने मूल्य की औषधियां बाहर से खरीदी गई? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार का आयुर्वेदिक औषधियां निर्माण हेतु कोई शोध कार्यक्रम भी है?

(3) राज्य में औषधालयों को औषधियों का वितरण किस आधार पर होता है? किस-किस औषधालय को इस वर्ष अब तक कितनी मूल्य की औषधि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 में दिनांक 30.9.95 तक विभागीय रसायनशालाओं द्वारा 87,34,675.80 रुपये मूल्य की आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया गया है। माहवार निर्मित औषधियों का विवरण संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में अभी तक बाजार/बाहर से निर्मित औषधियां क्रय नहीं की गयी हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) राज्य में संचालित विभागीय औषधालयों व चिकित्सालयों को औषधियों का वितरण औषधियों की उपलब्धता पर, निम्न मापदण्ड के अनुसार सीमा निर्धारित कर किया जाता है :—

1. बहिरंग विभाग हेतु प्रतिरोगी प्रतिदिन 1.00 रुपया।

2. अन्तरंग विभाग हेतु प्रति रोगी प्रतिदिन 3.00 रुपये।

चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में विभागीय औषधालयों व चिकित्सालयों को सितम्बर 1995 तक 1,41,18,036.00 रुपये मूल्य की औषधियां सप्लाई की गयी हैं। सप्लाई की गयी औषधियों का औषधालयवार विवरण (परिशिष्ट क-4) सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शोकाभिव्यक्ति

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, श्री सुखदेव प्रसाद जी का दिनांक 18 मई, 1995 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। यह हमारे लिए बहुत ही दुःख का विषय है।

श्री सुखदेव प्रसाद जी, 1966 से लेकर 1972 तक एवं 1982 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 20 फरवरी, 1988 को उनको राजस्थान का आठवां राज्यपाल नियुक्त किया गया। 17 जनवरी, 1990 तक आप इस पद पर रहे।

श्री सुखदेव प्रसाद जी एक बहुत ही सामान्य घर से निकले और वहीं उन्होंने शिक्षा का अध्ययन किया, करने के बाद लगातार समाज में किस प्रकार से सेवा की जा सकती है, उन्होंने अपना सारा समय वीकर सेक्शंस की सेवा में लगाया। स्वभाव से बहुत ही शांत प्रकृति के व्यक्ति थे, विद्वान भी थे और राजस्थान में जब राज्यपाल के पद पर उन्होंने कार्य किया, मैं इतना कह सकता हूं कि सारे वर्गों को किस प्रकार से प्रसन्न रखा जाय, निरन्तर उनकी इस बात की चेष्टा रही है।

उनकी मृत्यु से हम सब को दुःख हुआ है। मैं उनके प्रति श्रृद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, इस सम्बन्ध में भगवान से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब यू.पी. के राज्यपाल रहे हैं। राज्य सभा के कई वर्षों तक सदस्य रहे, कांग्रेस पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति रहे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। उसके साथ ही वह भारत के कई प्रतिनिधि मण्डलों में विदेशों में गये और विदेशों में अपनी योग्यता की, सहनशीलता की और सादगी की उन्होंने छाप छोड़ी। दुःख की बात है कि 21 अगस्त, 1995 को रात्रि में उनका निधन हो गया। हम सब को इसके लिए दुःख है।

मैं उनको अपनी ओर से श्रृंद्धाजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बेअंत सिंह जी की दिनांक 31 अगस्त, 1995 को हत्या कर दी गयी। मैं ऐसा समझता हूं कि वह पंचायत से लेकर पंजाब के मुख्य मंत्री के पद पर जिस गति से पहुंचे हैं और जिस-जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना कार्य किया है वहां उन्होंने अपनी सहनशीलता की, अपने साहस की, अपने सौजन्यता की एक प्रकार से छाप छोड़ी है। वह पंजाब विधान सभा के भी कई वर्षों तक सदस्य रहे, मंत्रिमण्डल के भी सदस्य रहे और इस सारे कार्यकाल में उन्होंने जिस प्रकार की गतिविधियां कीं उनसे पंजाब की जनता में उनके प्रति बहुत स्नेह था।

1992 में संभवतः जब चुनाव हुए उस समय उन चुनावों के पश्चात पहली बार वे मुख्य मंत्री बने। जिस समय यह पंजाब के मुख्य मंत्री बने थे, पंजाब के हर क्षेत्र में आंतकवादियों का जबरदस्त आंतक था। कोई आदमी आसानी से घूम-फिर सके, चल सकें, इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। अन्य राज्यों के लोग भी पंजाब जाने घबराते थे और पंजाब में रहने वाले नागरिक वे चाहे सिख हों, चाहे हिन्दू हों, आतंकवादियों के आतंक से इतने प्रभावित थे कि एक प्रकार से पंजाब रणस्थली बनी हुई थी। उस समय उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और मैं यह कह सकता हूं कि उसी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

व्यक्ति की यह करामात थी कि पंजाब में आतंकवाद को उन्होंने समाप्त किया। लेकिन खेद का विषय है कि वह आतंकवादियों के ही शिकार हुए। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा व्यक्ति सदा-सर्वदा के लिये हिन्दुस्तान में याद रहेगा कि हिन्दुस्तान में जहां खालिस्तान की मांग को लेकर पंजाब को भारत से अलग करने की चेष्टा की जा रही थी, हथियारों के बल पर चेष्टा की जा रही थी, पंजाब में उस प्रकार की शांति उन्होंने स्थापित की जिसके कारण आम-आदमी चाहे कोई भी हो वह व्यक्ति बेअंत सिंह जी के आगे निश्चित रूप से श्रद्धापूर्वक नमन करेगा।

आज उस व्यक्ति के निधन से पिछले दिनों में कई बार चर्चाएं हुई कि आतंकवाद फिर से जोर पकड़ेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि बेअंत सिंह जी ने जिस प्रकार का काम किया है और जनता में जिस प्रकार की विश्वसनीयता पैदा की, उसके आधार पर इसके तो कोई कारण नहीं बन सकते लेकिन निश्चित रूप से उनकी मृत्यु से हम सबको ज्यादा दुःख हुआ है, पूरे देश को इनकी मृत्यु से दुःख हुआ है।

ऐसी स्थिति में मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और साथ ही उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, सुखमोय सेन गुप्ता का 18 मई, 1995 को देहावसान हो गया। ये त्रिपुरा के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और विद्वता के साथ-साथ राजनैतिक क्षेत्र का भी उनको बहुत अनुभव था। त्रिपुरा की जिस प्रकार की उस समय की स्थिति थी, पहले मुख्य मंत्री बनकर उस स्थिति को किस प्रकार से नियंत्रण में लाया जाय उसका उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। उसमें उनको सफलता मिली।

मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, बृज सुन्दर जी शर्मा बूंदी के थे, इस सदन के कई वर्षों तक सदस्य रहे, मंत्रिमण्डल के सदस्य रहे। इनका देहावसान 28 मई, 1995 को हुआ ये बहुत ही विनोदप्रिय व्यक्ति थे। हर क्षेत्र के अंदर वह अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ने वाले व्यक्ति थे। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन से लेकर राजस्थान के मंत्रिमण्डल तक जिस पद पर रहे, विधान सभा के जिस समय सदस्य रहे, उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप इस विधान सभा में छोड़ी है। वह हमारे बीच से उठ गये।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने के लिये शक्ति प्रदान करे इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, श्री गोकुल चन्द जाटव की 16 मई, 1995 को मृत्यु हो गयी। मेरे समझ में यह विधान सभा के चार बार सदस्य रहे और चार बार सदस्य रहते हुए इन्होंने विधान सभा में शिड्युल्ड कास्ट और बाकी के विकर सेक्शंस के प्रति बहुत रुचि से डिबेट्स में भाग लेते थे। एक प्रकार से एक प्रतीक थे कि किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ें और हम हमारे समाज की किस प्रकार की सेवा करें। उनके कई लेख भी प्रकाशित हुए थे। उन लेखों की चर्चा कई बार विधान सभा में हुई है। मैं समझता हूं इस प्रकार का व्यक्ति हमारे बीच से उठकर चला गया।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता भगवान से प्रार्थना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

भरतपुर के महाराजा, सांसद व विधायक श्री बृजेन्द्र सिंह जी का 8 जुलाई, 1995 को स्वर्गवास हुआ। अध्यक्ष महोदय, वह एक विद्वान व्यक्ति थे। राजा होकर बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जनता में बहुत लोकप्रिय थे। मैंने कई प्रसंगों में उनको देखा है कि कहीं भी कोई संकट का समय आ जाय तो जनता में जब वह जाकर खड़े होते थे तब जय गोवर्धन नाथ के साथ तो बात शुरू होती थी और दो-चार मिनट में अपनी सारी बात कहकर उस सारे वातावरण को शांत करने की उनकी क्षमता थी।

कई वर्षों तक वह बीमार रहे और इस बीमारी में भी मैं एक बार जब उनसे मिला तो मैं समझता हूं कि विनोदप्रिय स्वभाव था। बात भी बहुत ही सरल भाषा में और सरल रूप में करते थे इसलिये हर आदमी को अपनी ओर आकर्षित करना उनके लिये एक सहज स्वभाव की सी बात थी। वह भी हमारे बीच में से चले गये।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे इस बात की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

राजस्थान विधान सभा के पूर्व सदस्य, श्री जगन्नाथ जी टोंक जिले से विधान सभा के लिये निर्वाचित हुए थे। वह बिल्कुल किसान जिस प्रकार का व्यक्ति होता है उसी प्रकार की उनकी वेशभूषा, उसी प्रकार की भाषा और उसी प्रकार की चर्चा करने के वह आदी थे। विधान सभा में जब भी कभी बोलते थे तो ठेठ मारवाड़ी भाषा में बोलते थे और मारवाड़ी भाषा में ही अपनी सारी बात को रखकर वह किसानों के दुःख-दर्द और अपने क्षेत्र की कमियों का निरन्तर उल्लेख करते रहे। हम उनको जगन्नाथ बाबा भी कहते थे।

श्री जगन्नाथ जी की इस मृत्यु पर हम सबको दुःख है इसलिए मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री मोती बाबा चौधरी की मृत्यु 13 मई, 1995 को हुई। मोती बाबा, जैसे बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार का उनका स्वभाव था। मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं उसी वाली क्षेत्र से वह निर्वाचित हुए थे। सरल स्वभाव के और अपनी बात कहने में जड़, जब भी वह विधान सभा में बात बोलते थे उस समय अपने क्षेत्र की, किसानों की बातों को रखने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था और उनकी बातों का प्रभाव भी मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय के मंत्रिमण्डल पर पड़ता था, उनकी बातों को स्वीकार भी किया जाता था। वह मोती बाबा हमारे बीच से उठ गये।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, श्री हरिकिशन जी व्यास 1952 में इस विधान सभा के सदस्य थे। महाराजा अनोप सिंह जी की मृत्यु के बाद वह स्थान खाली हुआ उस पर बाई-इलेक्शन में जीतकर आये। 1952 से लेकर 1957 तक वह विधान सभा के सदस्य रहे। बड़े जागरूक सदस्य थे। कोई मसला ऐसा नहीं होगा जिस मसले की उन्होंने यहां पर चर्चा नहीं की हो। साथ ही हर चीजों से परिचित रहने की एक आदत थी। विधान सभा में सदस्य के नाते 6 नम्बर में मैं रहता था, 5 नम्बर में वह रहते थे, पड़ौसी थे और पड़ौसी होने के नाते विधान सभा की सारी गतिविधियों में तैयारी किस प्रकार से की जाय, हमारी एक प्रकार की जोड़ी थी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दुर्भाग्य से 1957 के बाद वह कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। कई समाचार-पत्रों में सम्पादन किया। कई समाचार-पत्रों में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में काम किया और इसके साथ ही एक झुझारू व्यक्तित्व के थे। जिस समय वह नागपुर (महाराष्ट्र) में पढ़ते थे उस समय, शायद मुझे दिन की गलती हो सकती है, उस व्यक्ति ने 53 दिन तक भूख-हड़ताल की थी और भूख-हड़ताल के कारण उस समय उनके कुछ फिजिकल डेफिसियेंसीज क्रिएट हो गयीं जिसके कारण आगे की उम्र में वह बीमार रहे, डायबिटिज हो गयी, आंखें करीब-करीब चली गयी थीं। लगातार इलाज कराते रहे। इलाज कराने के लिये रूस भी गये और बाकी के देशों में भी गये। लेकिन बीमारी से उनको मुक्ति नहीं मिली। हमारे बीच में से वह उठ गये।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक-संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति दे।

श्री आर.आर. मोरारका का 28 मई, 1995 को स्वर्गवास हो गया। 1952 की लोक सभा से लेकर 1952, 1957 और 1962 तक वह लोक सभा के सदस्य रहे और उसके बाद एक बार राज्य सभा के सदस्य रहे। लोकसभा में सदस्य रहने के नाते यह पब्लिक अकाउन्टस कमेटी के चेयरमेन थे और पुराने विधायक जानते हैं कि पार्लियामेंट में उस समय पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का कितना उस समय महत्त्व था। उस कमेटी के चेयरमेन रहकर उन्होंने जिस प्रकार की रिपोर्ट दी है वह आज भी पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के लिए एक इतिहास का विषय है। बहुत बड़े दिग्गजों को किस प्रकार से उन्होंने अपने काबू में लिया। उस समय के आई.सी.एस. ऑफिसर्स कितने निपुण होते थे लेकिन मैंने कई जगह सुना है कि आई.सी.एस. भी जब उनके सामने जाते थे, पूरी तैयारी के साथ जाते थे। उन्होंने इतना ही नहीं कि सिर्फ पी.ए.सी. में ही काम किया, विश्व में कई बार भारत के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व का किया और वहां भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। यह झुन्झुनूं जिले के नवलगढ़ के रहने वाले थे। वहीं उनका जन्म हुआ और प्रारम्भिक शिक्षा भी वहीं हुई। वह भी हमारे बीच से चले गये।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

प्रोफेसर एन.जी. रंगा, 8 जून, 1995 को इनका स्वर्गवास हुआ। मैं ऐसा समझता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में लोक सभा की सदस्यता का उन्होंने एक रिकार्ड कायम किया है। जितने लम्बे अर्से तक वह लोकसभा और राज्य सभा दोनों के मिलाकर सदस्य रहे, आज तक हिन्दुस्तान की लोक सभा और राज्य सभा में इतनी लम्बी अवधि तक कोई सदस्य नहीं रहा और न लम्बी उम्र तक। जिस लम्बी उम्र तक वह लोक सभा के सदस्य थे उतनी उम्र के भी बहुत कम सदस्य होंगे। आज तक तो मैंने जो जानकारी की है उसके हिसाब से इस प्रकार का कोई व्यक्ति था नहीं। प्रोफेसर रंगा ने लगातार स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किया। उस समय से संघर्ष करते करते जब देश आजाद हुआ उस आजादी के साथ ही उनका एक लक्ष्य था कि किसानों का विकास और किसानों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जाय। किसानों की समस्याओं को लेकर कई बार उन्होंने पार्टी के अन्दर भी विवाद खड़ा कर दिया। अपने सिद्धान्तों के प्रति कभी समझौता नहीं किया।

मुझे याद है को आपरेटिव फार्मिंग का जब मामला आया उस समय प्रोफेसर रंगा और चौधरी चरण सिंह जी ने नेहरू जी तक का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विरोध किया कि हिन्दुस्तान में को आपरेटिव फार्मिंग चल नहीं सकती और उसका विरोध करते हुए वह इतने अधिक उग्र हो गये कि उनको बहुत मुश्किल से शान्त किया गया। उस समय के उनके भाषण आज भी इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारी किसानों की नीति किस प्रकार की होनी चाहिए। वह विद्वान थे, उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखीं। आज भी उन पुस्तकों का कई बार अध्ययन किया जाता है। ऐसा महान व्यक्ति हमारे बीच से उठ गया।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर सुब्रह्मण्यम चन्द्रशेखर का 22 अगस्त, 95 को देहावसान हुआ। उनको पद्म विभूषण की उपाधि से हिन्दुस्तान की सरकार ने सम्मानित किया। उन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं। जिसमें खास तौर से एक पुस्तक "मैथेमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लेक होल्स," इस किताब के ऊपर सारे संसार में काफी चर्चा हुई। इस किताब से उनकी विद्वता का पता लगता है और सब्जेक्ट के ऊपर कितना उनका अधिकार था, उस अधिकार की इस बात से जानकारी मिलती है। वह हिन्दुस्तान के जाने माने विद्वानों में से थे, जिन्होंने इस एक गहन विषय पर और एक गम्भीर विषय पर चिन्तन करने के पश्चात् यह पुस्तक लिखी। वह विदेशों में गये, विदेशों में भी अपनी विद्वता की उन्होंने छाप छोड़ी। इस प्रकार का महान व्यक्ति हमारे बीच से चला गया।

मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद जी एक पिछड़े हुए समाज के व्यक्ति थे और 1936 में अपने विद्यार्थी जीवन में ही राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। वह जेल भी गये थे, 1942 में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे। 15 वर्ष तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे और चार वर्ष तक भारत सरकार के उप मंत्री भी रहे। उन्होंने अपनी प्रशासनिक योग्यता की छाप छोड़ी। सार्वजनिक जीवन में भी वह काफी सक्रिय व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रान्त है जो देश का सबसे बड़ा प्रान्त है, उसमें वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए जो प्रयत्न किये, उनसे वह जुड़े रहे अपने 60-65 साल के जीवन तक। यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी कीं। वह एक सादगी की प्रतिमूर्ति थे। जब वह गवर्नर थे तब मैं उनसे मिला था। बातचीत में जैसा निरभिमान मैंने एक गवर्नर का देखा, दूसरे गवर्नर के मुकाबले मैं समझता हूं कि वह एक बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। हृदय गति रूक जाने से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उनका 15 अगस्त को इसी वर्ष देहावसान हो गया।

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद उस्मान आरिफ साहब 15 वर्ष तक राज्यसभा के मेम्बर रहे। भारत सरकार में उप मंत्री भी रहे, गृह समिति के अध्यक्ष भी रहे और पांच साल

(श्री परसराम मदेरणा)

तक वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। उनकी राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में, राष्ट्रीय एकता और साथ में धर्म निरपेक्षता में अगाढ़ आस्था थी। करीबन तीन साल पहले मैं बीकानेर एक सम्मेलन में गया था। मुशायरे में, उसमें वह भी उपस्थित थे। वह साहित्यिक प्रकृति के शेर भी लिखते थे उस वक्त उन्होंने अपनी तरफ से एक शेर लिखकर मुझे बताया, कहा कि मैंने अभी तैयार किया है—

"इससे बढ़कर दुश्मनी ए इन्सानियत नहीं देखी।
फिरका परस्ती से डरो, शैतान का खतरा नहीं॥"

उस वक्त उन्होंने कहा कि मैंने अभी यहां पर बैठे-बैठे ही लिखा यह है। वह विद्वान आदमी थे उनका गुर्दे की लम्बी बीमारी के बाद 22 अगस्त, 1995 को निधन हो गया।

अध्यक्ष महोदय, 31 अगस्त को पंजाब सचिवालय में आतंकवाद के दरिन्दों ने एक बम विस्फोट में मुख्य मंत्री पद पर आसीन सरदार बेअंत सिंह जी की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी। अध्यक्ष महोदय, यह हत्या बहुत ही हृदय विदारक और दर्दनाक थी। उन्होंने जो कार्यरतापूर्ण दुष्कृत्य किया उससे राष्ट्र को गहरा आघात लगा है।

वह प्रारम्भ में सरपंच भी रहे, सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के सदस्य भी रहे, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना के अध्यक्ष भी रहे। विधान सभा में बार-बार सदस्य भी रहे और दरबारा सिंह मंत्रिमण्डल में वह राजस्व और लोक निर्माण मंत्री भी थे। उनका अपना सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन सरपंच से उन्होंने प्रारम्भ किया था और 25 फरवरी, 1992 को उन्होंने मुख्य मंत्री का पदभार सम्भाला। उस समय पंजाब, जैसा कि सदन के नेता अभी कह रहे थे आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झुलस रहा था। ऐसी प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सरदार बेअंत सिंह जी ने जिस आत्मविश्वास के साथ में जिस योजनाबद्ध तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाकर प्रभावी तरीके से आतंकवाद का सफाया करने का जो बीड़ा उठाया उसमें उनको भारी सफलता प्राप्त हुई। पंजाब में अमन-चैन और शान्ति स्थापित करने का श्रेय भी उनकी पुलिस फोर्स को जाता है जिसका जो मोरल उन्होंने ब्लिट किया था। लेकिन इसका बहुत बड़ा श्रेय किसी एक व्यक्ति विशेष को जाता है तो वह सरदार बेअंत सिंह जी को जाता है। सरदार बेअंत सिंह जी की यह सब उपलब्धि उनके अदम्य उत्साह, साहस और प्रशासनिक क्षमता से सम्भव हो सकी थी।

25 फरवरी, 1992 को जब वह मुख्य मंत्री बने थे अधिकांश लोगों ने चाहे वह पंजाब के हों या देश के अन्य प्रान्तोंके हों, गम्भीरता से उनके मुख्य मंत्रित्व को नहीं लिया था। सालभर के अन्दर, बन्दूकों के साये में जो पंजाब जी रहा था और जिस वक्त वह मुख्य मंत्री बने थे, पूरे पंजाब में रात को आतंकवादियों का शासन था। ऐसे कठिन समय में चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में वह व्यक्ति जो पंजाब को आतंकवाद से मुक्ति दिला सके। वह स्वयं आतंकवाद के शिकार हो गये। पंजाब ने ही नहीं राष्ट्र ने उनकी असामयिक मृत्यु से एक लक्ष्यभेदी दृष्टिवाला, प्रखर राष्ट्रवादी, दृढ़ निश्चयी, कर्तव्यनिष्ठ, कुशल प्रशासक और लोकतन्त्र में शान्ति स्थापित करने वाला एक सपूत खो दिया।

अध्यक्ष महोदय, सरदार बेअंत सिंह जी की असामयिक हत्या के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियां तेज की है। आई.एस.आई. दूसरे देशों के रिक्रूट्स को प्रशिक्षण दे रहा है और विस्फोटक सामग्री देकर भारत में भेज रहा है। अभी पंजाब के डी.जी. श्री के.पी.एस. गिल का 19 तारीख को एक प्रेस इन्टरव्यू अखबार में छपा था।

(श्री परसराम मदेरणा)

उसमें उन्होंने कहा है कि आई.एस.आई. ने देश के कई प्रान्तों के अन्दर आतंकवादियों को उसने भेज दिया है और वह फैल गये हैं। क्योंकि राजस्थान आज सीमा पर आया हुआ प्रान्त है, इनकी मृत्यु और हत्या के बाद हमारी और राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिन चुनौतियों में जिस अद्वितीय साहस से उन्होंने मुकाबला किया, ऐसे साहसी राजनेता की शहादत हमारे राष्ट्रीय संकल्प को और मजबूत करेगी। 31 अगस्त को उनकी नृंशस हत्या कर दी गयी।

कांग्रेस से वरिष्ठ नेता सुखमोय सेन गुप्ता जी, त्रिपुरा के मुख्य मंत्री बने, पांच साल तक रहे। वे कुशल प्रशासक थे और त्रिपुरा राज्य के चहुंमुखी विकास के लिये वह जीवनभर प्रयत्नशील रहे। उनका 18 मई, 1955 को देहांत हो गया।

बृजसुन्दर जी शर्मा छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे आजादी के आन्दोलनों से जुड़े रहे। राजस्थान के निर्माण और विकास में उनकी महती भूमिका रही है। वे पांच बार विधान सभा के सदस्य रहे और पहले राजस्थान की अन्तरिम सरकारों में वे 6 बार मंत्री रहे। इंटक के नेता थे, एक बहुत खुश मिजाज व्यक्ति थे और अन्तरराष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलनों में, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में 1965 में सम्मेलन हुआ उसमें भारत के प्रतिनिधि मण्डल का उन्होंने नेतृत्व किया। वह संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष थे, फुटबॉल एसोसियेशन के अध्यक्ष रहे, वह खुद फुटबॉल और हॉकी के अच्छे खिलाड़ी थे। शास्त्रीय संगीत में वह रूचि रखने वाले व्यक्ति थे। एक दफा उन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम अपने घर पर बनाया था उसमें मुझे भी बुलाया था। उनकी भी राजस्थान के निर्माण में और सदन की कार्यवाही के अन्दर बहुत योगदान है। 28 मई, 1995 को उनका निधन हो गया।

श्री गोकुल चन्द जी जाटव पांच बार विधान सभा के सदस्य रहे और जब वह लगातार सदस्य रहे तो मैं खुद भी इस सदन का सदस्य था। वह समाज में पिछड़े वर्ग से होकर एक निर्भीक पार्लियामेंटेरियन थे, विधान सभा सदस्य थे। सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में और जिन लोगों की दयनीय दशा है उनके उत्थान के सम्बन्ध में उनके ऐसे सुझाव आते थे कि निश्चित तौर पर पूरा हाउस बहुत शान्ति केसाथ में उन्हें सुनता था। वह नगरपालिका के भी सदस्य रहे, वह एक सहसम्पादक भी थे। अस्पृश्यता जो हमारे समाज का बहुत बड़ा अभिशाप है पहले भी था और आज भी है, इसके सम्बन्ध में हमेशा उनके लेख प्रकाशित होते रहे। उनका विधान सभा के कार्यकाल में बहुत बड़ा योगदान रहा है। 16 मई, 1995 को उनका निधन हो गया।

पूर्व महाराजा भरतपुर श्री बृजेन्द्र सिंह जी का निधन हुआ है इसी अवधि में। वह 1929 में गद्दी पर पदासीन हुये भरतपुर के राजा के तौर पर। विदेशों में शिक्षा ली, मिलिट्री की ट्रेनिंग ली और न्याय के सम्बन्ध में उन्होंने कोटा के राज्य में प्रशिक्षण लिया वह चतुर्थ लोक सभा के भी सदस्य रहे, और राजस्थान विभान सभा के भी 1952 में सदस्य चुने गये थे।

मुख्य मंत्री जी ठीक कह रहे थे वह बहुत सरल स्वभाव के थे। राजा और भूतपूर्व राजा होने के बाद में भी भरतपुर की आम जनता में उनके प्रति हमेशा स्नेह, प्रेम रहा। मुझे भी उनके साथ एक दो मीटिंगों में जाने का मौका मिला। वह हमेशा अपनी बृज भाषा में बोला करते थे। और सुनने वाले को आकर्षित करने की उनमें अद्वितीय कला थी।

मुझे अच्छी तरह याद है कि 1972 में जो

(श्री परसराम मदेरणा)

बाढ़ आयी थी, मैं भरतपुर गया था। सब कम्युनिकेशन टूट गये थे तो नेकर पहने हुए पूरे शहर में मेरे साथ वह घूमे थे। जनता की समस्याओं से, राजा नहीं रहते हुए भी बराबर वह लगे रहे और उनके समाधान में हमेशा वह चिन्तित रहते थे। कुम्हेर काण्ड जिसकी चर्चा होती है, मैं उनसे मिला था। उन्होंने कहा मेरा तो ट्रेजरार ही यहां शिड्यूल कास्ट का रहा है हमेशा ही भरतपुर स्टेट का। शिड्यूल कास्ट के लोगों में भी उनके प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा और आस्था थी। उनका 28 जुलाई, 1995 को हृदय गति रूक जाने से देहावसान हो गया।

श्री जगन्नाथ जी पटेल, मुख्यमंत्री जी अभी जो कह रहे थे वह मिलिट्री में भी मेजर थे और सूबेदार-मेजर के पद से वह रिटायर हुए। जो ट्रेनिंग उन्होंने सैनिक काल में ली उसका हमको आभास यहां विधान सभा के प्रागंण पर उनके बोलने की चुस्ती, इशारों की बात बहुत दंबग तरीके से रखना, बहुत गम्भीर तरीके से ऊंचे शब्दों में रखना, यह उनकी कार्यशैली थी। किसानों की समस्या और कृषि विकास के मामले में उनका बहुत योगदान रहा है वह बहुत सक्रिय व्यक्ति थे और बहुत लम्बी आयु के बाद उनका भी 23 सितम्बर, 1995 को देहान्त हो गया।

श्री मोतीबाबा सिरवी समाज के धर्म गुरू थे। वह 1957 से 1962 तक पांच साल के लिए विधान सभा के सदस्य भी रहे। वह हमेशा किसानों की समस्या उठाने में प्रयत्नशील रहते थे और किसानों की मौलिक समस्या पर उनकी गूढ़ पकड़ थी। उनका उनके समाज में बहुत बड़ा आदर था। मैं समझता हूं कि शायद सिरवी समाज में अपने यहां से सोजत से आने वाले माननीय सदस्य के बाद दूसरे सबसे बड़े धर्म गुरू थे। उनका 13 मई, 1995 को देहान्त हो गया।

श्री हरिकिशन व्यास, एच.के. व्यास के नाम से प्रसिद्ध थे। पहली विधान सभा के सदस्य थे। स्टूडेंट फेडरेशन के महासचिव वह 1939 में बने। एक साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान भी सक्रिय संघर्ष किया। इस विधान सभा के अन्दर, मैं उस समय सदस्य नहीं था लेकिन मैं सदन की गैलेरी में कई दफा बैठता था, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जिस दिन एच.के. व्यास ने सदन के अन्दर अपने विचार नहीं रखे हों और विचार नहीं रखने में भी कई दफा उनको सदन से बहिंगमन भी करना पड़ा। लेकिन वह एक निर्भीक पार्लियामेंटेरियन थे और अनेक श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए थे।

कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे और इसीलिये उनको छात्रवृत्ति मिली थी क्योंकि हमेशा क्लास में वह फर्स्ट आते थे। वह बड़े विद्वान आदमी थे। ब्लिट्ज के वह संवाददाता भी रहे और एक साप्ताहिक "नया राजस्थान" के सम्पादक भी रहे। आखिरी दिनों में वह दिल्ली में थे। जनयुग के वह प्रधान सम्पादक रहे। पहली विधान सभा में उनका जो योगदान रहा है, वह हमेशा बहुत आदर के साथ स्मरण किया जाएगा।

श्री राधेश्याम राजकुमार मोरारका, आर.आर. मोरारका के नाम से प्रसिद्ध थे, मेधावी छात्र थे, गोल्ड मैडलिस्ट थे। 15 वर्ष वह लोक सभा के सदस्य रहे और 6 वर्ष राज्य सभा के सदस्य, कुल मिलाकर संसद में 21 वर्ष तक उनका योगदान रहा। पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के सम्बन्ध में जैसा कि मुख्य मंत्रीजी उल्लेख कर रहे थे, मैं अखबारों में पढ़ता था। एक-दो दफा

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे उनको पार्लियामेंट में सुनने का मौका भी मिला था। वह बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे और बड़े विद्वान आदमी थे। हालांकि उद्योगपति होकर के भी उनका विस्तृत ज्ञान वित्त, बैंकिंग के सम्बन्ध में और वाणिज्य के सम्बन्ध में उनको महारथ थी। कई विदेशों में यात्राएं भी कीं। उनका 28 मई, 1995 को बम्बई में निधन हो गया।

अध्यक्ष महोदय, प्रोफेसर एन.जी. रंगा, 1930 से 34 तक सैण्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली के मैम्बर रहे। उसके बाद वह कांस्टटीट्यूएट असेम्बली के मैम्बर थे, फिर इंटरिम पार्लियामेंट के भी मैम्बर रहे और उसके पश्चात् वह दो दफा राज्य सभा के और बाकी लोक सभा के सदस्य रहे। 50 वर्ष तक संसद में रहते हुए हो गया तो उनका विशेष सम्मान किया गया। वह एक प्रोफेसर थे। डी.लिट. थे, व विद्वान आदमी थे और वह अपने आप में खुद में एक इंस्टीट्यूशन थे। समाज के गरीब और किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में बहुत निड़रता से पालियामेंट के अन्दर उन्होंने अपने विचार रखे। उन्होंने कुल मिलाकर 25 किताबें लिखीं। खास तौर से बापू ब्लेसेज, वह गांधीवादी थे, व स्वतंन्त्रता सेनानी थे। उनका इस देश के सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

डॉ. सुब्रह्मणयम् चन्द्र शेखर खगोल भौतिकी के वैज्ञानिक थे। नोबल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। उन्होंने जिस थ्यौरी का अन्वेषण किया, उनकी जो थ्यौरी थी, "मैथेमेटिकल थ्यौरी ऑफ ब्लेक होल्स", उसको मान्यता नहीं दी लेकिन कई वर्षों के बाद में 1983 में संसार में इस थ्यौरी को मान्यता मिली और उसी के फलस्वरूप भारत सरकार ने भी 1970 में उनको पद्म विभूषण से सुशोभित किया। अभी नीमकाथाना में सभी खगोल वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे और उनकी थ्यौरी "मेथेमेटिकल थ्यौरी ऑफ ब्लेक होल्स" जो चन्द्रशेखर लिमिट के नाम से प्रसिद्ध है वैज्ञानिक क्षेत्र में, उनका विज्ञान और खगोल भौतिकी को समझने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका भी 22 अगस्त, 1995 को देहान्त हो गया।

इन सभी दिवंगत आत्माओं को मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारों को इस असह्य दुख को झेलने की शक्ति दे।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज इस हाउस में सदन के नेता महोदय ने और विपक्ष के नेता महोदय ने दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं को जो श्रद्धांजलि अर्पित की है उनके साथ मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, श्री सुखदेव प्रसाद, पूर्व राज्यपाल, राजस्थान; श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ, पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री बेअंत सिंह, पूर्व मुख्य मंत्री पंजाब श्री सुखमोय सेन गुप्ता, पूर्व मुख्य मंत्री, त्रिपुरा श्री बृज सुन्दर शर्मा, पूर्व सदस्य प्रथम, द्वितीय, तृतीय विधान सभा, श्री गोकुल चन्द जाटव, पूर्व सदस्य विधान सभा श्री बृजेन्द्र सिंह, पूर्व सदस्य पंचम विधान सभा, श्री जगन्नाथ पटेल, पूर्व सदस्य, चतुर्थ विधान सभा श्री मोती बाबा, पूर्व सदस्य द्वितीय विधान सभा श्री हरिकिशन व्यास, पूर्व सदस्य, प्रथम विधान सभा श्री आर.आर. मोरारका, पूर्व सांसद, राजस्थान प्रोफेसर एन.जी. रंगा, पूर्व सांसद, वयोवृद्ध

(श्री फतेहसिंह)

गांधीवादी नेता व स्वतंत्रता सेनानी एवं डॉ. सुब्रह्मणयम् चन्द्रशेखर, विख्यात खगोल वैज्ञानिक एवं नोबल पुरस्कार विजेता, इन नेताओं का स्वर्गवास हुआ है। ये सब उच्च पदों पर रहे हैं और उच्च पदों पर रहते इन्होंने अपने जीवन में जनता के हित में अच्छे काम किये हैं।

इन सब के बारे में हमारे नेताओं ने विवरण के साथ में कुछ कहा है, मैं भी उनके साथ में अपनी बात को सम्मिलित करता हूं, जो नेता आज हमारे बीच में नहीं रहे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्माओं को चिर शांति प्रदान करे और उनके परिवार को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही मेरी कामना है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने जो शोकाभिव्यक्ति का प्रस्ताव रखा है उसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुए जो पूर्व राज्यपाल राजस्थान के श्री सुखदेव प्रसाद जी एवं श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ, पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, श्री बेंअत सिंह पूर्व मुख्य मंत्री, पंजाब जिन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया है वह निश्चित रूप से देश की अखण्डता के लिए लड़ने वाले उन तमाम योद्धाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे। जहां श्री सुखमोय सेन गुप्ता, पूर्व मुख्य मंत्री, त्रिपुरा, श्री बृज सुन्दर शर्मा, पूर्व सदस्य श्री गोकुल चन्द जाटव, पूर्व सदस्य श्री बृजेन्द्र सिंह जी, पूर्व सदस्य, श्री जगन्नाथ पटेल पूर्व सदस्य, श्री मोती बावा पूर्व सदस्य, श्री हरिकिशन व्यास पूर्व सदस्य, जिन्होंने इस प्रान्त के ही नहीं पूरे देश के मेहनतकश किसान और मजदूरों की आवाज को संगठित करने, उनकी आवाज को ऊपर तक उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए में बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्री आर.आर. मोरारका और प्रोफेसर एन.जी. रंगा, प्रो. एन.जी. रंगा इस देश के किसानों के संगठित आन्दोलन के लिए इस इतिहास में प्रथम मील के पत्थर रहे हैं। उन्होंने किसानों को संगठित करने में, आजादी के पूर्व और उसके बाद भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है इसलिए उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

डॉ. सुब्रह्मण्यम् चन्द्रशेखर जो एक विख्यात वैज्ञानिक थे उनको भी मैं मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रकृति से कामना करता हूं कि उनके परिवारजन और इस देशवासियों को उनकी रिक्तता के कारण जो दुःख हुआ, उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, पिछले कुछ महीनों में हमने अनेक नेताओं को खोया है। ये सभी देश के महान सपूत थे। इनके निधन से सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी रिक्तता आयी है। अध्यक्षजी, अधिकांश से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है।

श्री सुखदेव प्रसाद जी राजस्थान के राज्यपाल तो थे ही उससे पहले संसद सदस्य एवं खान मंत्री के रूप में उनसे बहुत बार मिलना होता था। वे इस बात के एक प्रतीक थे कि पिछड़ेपन से ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा जा सकता है।

अध्यक्ष जी, श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ एक शायर थे, संसद के सदस्य रहे हैं और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल का पद उन्होंने सम्भाला और बहुत बखूबी से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया।

सरदार बेअंत सिंह जी का जब जिक्र आता है तो विवश होकर सोचना पड़ता है कि क्या अच्छाइयों का बदला इसी रूप में दिया

(श्री शिवनाथ सिंह)

जाएगा। सरदार साहब से जब पंजाब की बागडोर सम्भाली तब एक अंधकार का युग था। उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से आतंकवाद पर काबू पाया। आज हम देखते हैं कि जिस रोज उन्होंने पंजाब की बागडोर सम्भाली और जिस रोज यह इस संसार से गये एक बदला हुआ पंजाब हमारे सामने आता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अपने कुशल प्रशासन से आतंकवाद पर बखूबी काबू पाया जा सकता है।

गुप्ता साहब त्रिपुरा के मुख्य मंत्री रहे और बहुत योग्यता से उन्होंने शासन किया।

बृज सुन्दर जी शर्मा बहुत याद आते हैं। कितने विनोद प्रिय, कितने सादा थे और उनसे मिल कर कितनी प्रसन्नता होती थी।

श्री गोकुल चन्द जाटव जब भी कभी मौका मिलता था अपनी कविताओं से, अपनी सुन्दर बातों से लोगों का मन मोह लिया करते थे।

महाराजा श्री बृजेन्द्र सिंह जी एक ऐसी कड़ी हैं जिन्होंने राजाशाही को भुगता और जब समय का परिवर्तन आया, देश के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता थी, उन्होंने अपने आपको उसमें ढाला और लोकतंत्र के एक प्रबल समर्थक रहे, स्तम्भ रहे।

माननीय अध्यक्ष जी, जगन्नाथ पटेल, मोती बाबा बहुत सक्रिय सदस्य इस विधान सभा के रहे हैं।

श्री एच.के. व्यास पहली विधान सभा के सदस्य थे, अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे और जो बोलते थे सुनने को मन करता था कि व्यास बोल रहे हैं सुना जाए। मुझे याद है पूरी तरह से जब राजस्थान का टीनेंसी बिल एक्ट के रूप में बनाया जा रहा था उनका कितना योगदान इस एक्ट के बनाने में था। उनके मन में किसान के लिए पीड़ा थी और क्या प्रावधान किसानों के हित में किया जासकते हैं उन्होंने अपने पूरे योगदान से उसको निभाया।

श्री आर.आर. मोरारका हमारे निकट के साथी थे। मेरे ख्याल से 26 या 27 साल की उम्र में वह लोक सभा के सदस्य हमारे जिले से बने। तीन बार वे वहां गये। जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे, पब्लिक एकाउण्ट्स कमेटी के चेयरमैन के रूप में उन्होंने जो अपना योगदान दिया इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उद्योगपति घराने से थे लेकिन साधारण कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमारे जिले में सांसद के रूप में काम किया और कभी यह छाप नहीं छोड़ी कि ये उद्योगपति हैं हमेशा साधारण कार्यकर्ता के रूप में वे पाये गये।

अध्यक्ष जी, रंगा साहब अपने आप में एक संस्था थे। मुझे याद है 1940 का अधिवेशन कांग्रेस का यहां हो रहा था। प्रदेश के और देश के किसान यहां आए थे और प्रो. रंगा साहब के पीछे एक टोली की टोली चला करती थी, रंगा साहब हैं, रंगा साहब हैं। किसानों के मन में उनके प्रति इतना सम्मान था उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया। चाहे बड़े से बड़े नेतृत्व के खिलाफ उन्हें आवाज उठानी पड़े लेकिन उन्होंने किसान के हित को कभी नहीं छोड़ा।

माननीय अध्यक्ष जी, डाक्टर चन्द्रशेखर बड़े वैज्ञानिक थे, उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। मैं उपरोक्त सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।

श्रीमती इंदिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

महोदय, मैं हमारे सदन के नेता और हमारे विरोधी पक्ष के नेता ने जो बोला है, मैं उनके साथ श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। लेकिन कुछ लोगों से मेरे व्यक्तिगत सम्बन्ध थे इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पा रही हूं।

उनमें बेअंत सिंह जी साहब, जो हमारे स्वर्गीय मुख्य मंत्री पंजाब के थे तथा हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य होने के नाते हमारे उनसे व्यक्तिगत सम्बन्ध थे और उन्होंने पंजाब में जिस प्रकार आतंकवाद को खत्म करके प्रजातंत्र की जो स्थापना की, चुनाव कराकर के वहां जनता की सरकार दी, उनके निधन से पंजाब को ही नहीं पूरे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसलिए उनके प्रति हम शोक प्रकट करते हैं।

उनके साथ-साथ बृजसुन्दरजी शर्मा और महाराजा भरतपुर, दोनों ही हमारे परिवार के सदस्य की तरह थे। बृजसुन्दर जी शर्मा स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से मेरे पिताजी के साथ ही थे, मकान भी दोनों ने साथ ही बनाया था, सदा साथ ही काम करते रहे और सदा मुझको लड़की की तरह मानते थे। किन्तु मैं एक बात बताना चाहूंगी कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके अपने साथियों के साथ बर्ताव करते थे। एक बार सुखाड़िया जी के खिलाफ जब मेरे पिताजी अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे थे, 1957 में तो बृज सुन्दर जी मिनिस्टर थे, मेरे पति का उस वक्त कोटा में पोस्टिंग था।

उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि सुखाड़ियाजी नाराज होंगे। जब भी कोटा जाते थे, मेरे मकान पर आकर यही कहते थे कि पार्टी लाइन अलग चीज है, व्यक्तिगत सम्बन्ध अलग चीज है।

इस प्रकार के हमारे नेता जो हमारे राज्य से चले गये हैं उससे राज्य को ही नहीं बल्कि देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके प्रति भी बहुत ज्यादा संवेदना प्रकट करती हूं।

इसी के साथ-साथ भरतपुर महाराज, उनको तो जब मैं पैदा हुई थी तब भी मेरे पिता जेल में थे और उन्हीं के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, बराबर उनको हटाने के लिए आन्दोलन करते रहे किन्तु आजादी के बाद में वह हमेशा यही कहते थे कि तू तो चौबेजी की लाली है, मेरी बेटी है। इसी तरह मेरे साथ ही नहीं जितने कांग्रेसी उनके खिलाफ आंदोलन करते रहे सबको वे अपने बराबर का साथी मानते रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व के उठने से भरतपुर को ही नहीं, पूरे राज्य को नुकसान हुआ है इसलिए उनके प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति के अवसर पर इस सदन में माननीय सदन के नेता, प्रतिपक्ष दल के नेता, अन्य दलों के नेताओं एवं सदस्यों ने श्री सुखदेव प्रसाद जी, पूर्व राज्यपाल राजस्थान, श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ जी, पूर्व राज्यपाल, उत्तरप्रदेश, श्री बेअंत सिंह जी, पूर्व मुख्य मंत्री, पंजाब, श्री सुखोमोयसेन गुप्ता जी, पूर्व (प्रथम) मुख्य मंत्री, त्रिपुरा एवं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री बृजसुंदर जी शर्मा, श्री गोकुलचन्द जी जाटव, श्री बृजेन्द्र सिंह जी, श्री जगन्नाथ जी पटेल, श्री मोती बाबा जी व श्री हरि किशन जी व्यास तथा श्री आर.आर. मोरारका एवं पूर्व सांसद, और प्रोफेसर एन.ज़ी. रंगा साहब, पूर्व सांसद एवं वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता व डॉ. सुब्रह्मणयम् चन्द्रशेखर, नोबेल पुरस्कार विजेता के प्रति जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है व संवेदना प्रकट की है उसमें मैं अपने आप को भारी दिल से सम्मिलित करता हूं।

(श्री अध्यक्ष)

राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद जी का जन्म 20 मार्च, 1921 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पीपड़पंती ग्राम में हुआ। आपने इंटर मीडियट, साहित्य रत्न, आचार्य (प्रथम भाग) तथा उर्दू में आला काबलियत तक शिक्षा ग्रहण की।

अपने छात्र जीवन आप वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गये तथा सन् 1942 में आपने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वर्ष 1952 में आप प्रथम बार उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुने गए एवं बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बनाये गये।

आप 1966, 1972 एवं 1982 में राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1973 से 1977 तक आप केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में इस्पात एवं खनिज उप मंत्री रहे। इससे पूर्व 1969 से 71 तक आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति के संयोजक रहे। आप फरवरी, 1982 से 1985 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस (इ) कमेटी के अध्यक्ष भी रहे।

आपको 20 फरवरी, 1988 को राजस्थान का आठवां राज्यपाल नियुक्त किया गया तथा 17 जनवरी, 1990 तक आप इस पद पर रहे। फरवरी, 1990 में आपने उत्तर प्रदेश के हरदोई क्षेत्र से लोक सभा का उप चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ा।

अध्ययन और समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि रही। आप जीवन पर्यन्त गरीबों, दलितों एवं समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। आप गोरखपुर की अनेक राजनीतिक, शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं से संबद्ध रहे।

अपने राजनीतिक जीवन के दौरान आपने नेपाल, लेबनान, फ्रांस, इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाड़ा, जापान, हांगकांग और हवाई द्वीप की यात्राएं कीं।

श्री सुखदेव प्रसाद जी का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिनांक 18 मई, 1995 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया।

पूर्व राज्यपाल एवं कांग्रेस (आई) के वरिष्ठ नेता रहे श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ का जन्म 5 अप्रेल, 1923 को बीकानेर में हुआ। आपने डूंगर कॉलेज, बीकानेर एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एम.ए. एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त की।

आप वर्ष 1970 में पहली बार राजस्थान से राज्य सभा के सदस्य चुने गये तथा अप्रेल, 1976 एवं अप्रेल, 1982 में पुनः राज्य सभा के लिए चुने गये। संसद के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1976 एवं 77 में राज्य सभा की गृह समिति के सभापति रहे तथा वर्ष 1973 से 76 तक आप संसद की जन लेखा समिति के सदस्य भी रहे। आप राज्य सभा में कांग्रेस (आई) पार्टी के उप सचेतक भी रहे।

आप 8 जून, 1980 से 14 जनवरी, 1982 तक केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में निर्माण एवं आवास उप मंत्री रहे एवं 15 जनवरी, 1982 से कृषि एवं आपूर्ति उप मंत्री रहे। 31 मार्च, 1985 से 1990 तक आप उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे।

साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए समर्पित रहे श्री आरिफ साहब वर्ष 1967 में ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सम्बद्ध हो गये थे। वर्ष 1967 से 74 तक आप बीकानेर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1980 में आप कांग्रेस (आई) पार्टी की ओर से राजस्थान

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा चुनाव के पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये।

आप दिल्ली में उर्दू पत्रिका शोला-ओ-शबनम के संयुक्त संपादक रहे। आप राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान अंजुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, राजस्थान राज्य हज समिति सहित अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

लेखन में आपकी विशेष रुचि थी। आपकी प्रमुख कृतियों में "अकीदत के फूल", "नजर-ए-वतन", "कलम-की-कसनत", "नूर-ए-शहर", "फिक्र-ओ-एहसास" व "जिक्र-ए-महबूब" आदि हैं। "नजर-ए-वतन" को राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू की वर्ष 1976 की श्रेष्ठ पुस्तक के रूप में पुरस्कृत किया गया। आपने अनेक बार अखिल भारतीय मुशायरों में शिरकत भी की।

अपने राजनीतिक जीवन के दौरान आप वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा के 26वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में न्यूयार्क गये तथा वर्ष 1976 और 1980 में हज के लिए गये। भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य के रूप में सऊदी अरब गये। वर्ष 1974 में आपने बगदाद और मास्को की भी यात्राएं कीं।

अध्ययन, लेखन, पिछड़े लोगों के उत्थान, राष्ट्रीय एकता और सूफीवाद में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ का बीकानेर में गुर्दे की लम्बी बीमारी के बाद दिनांक 21 अगस्त, 1995 की रात्रि में निधन हो गया।

पंजाब के मुख्य मंत्री श्री बेअंत सिंह जी का जन्म 19 फरवरी, 1922 को लुधियाना जिले के बिलासपुर गांव में हुआ। आपने पाकिस्तान के ओकारा से मेट्रिकुलेशन किया और स्नातक डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से प्राप्त की।

राजनीति में प्रवेश करने के बाद आप वर्ष 1969, 1972, 1977, 1980 और 1992 में पंजाब विधान सभा के सदस्य चुने गये। 1980 में विधायक निर्वाचित होने पर आप श्री दरबारा सिंह जी की सरकार में लोक निर्माण और राजस्व मंत्री रहे।

विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति, जनलेखा समिति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य तथा विशेषाधिकार समिति और दो बार प्राक्कलन समिति के सभापति भी रहे।

पंजाब में राष्ट्रपति शासन की समाप्ति के बाद फरवरी, 1992 में आप पंजाब के मुख्य मंत्री बनाये गये, आपकी सूझबूझ और सद्प्रयत्नों के परिणामस्वरूप ही राज्य में एक दशक से चले आ रहा हिंसा और उपद्रव का माहौल शांति और सद्भाव में परिवर्तित हुआ। आपने राज्य में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने और राज्य को विकास और समृद्धि के मार्ग पर लाने में अपूर्व साहस, दृढ़ निश्चय और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। मुख्य मंत्री के रूप में आपने राज्य का निरन्तर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान किया।

श्री बेअंतसिंह ने अपना राजनीतिक जीवन वर्ष 1950 में ही शुरू किया जब वे अपने गांव कोटली के सरपंच चुने गये। आप वर्ष 1963 में लुधियाना के केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक चुने गये। आप वर्ष 1943 में सेना में शामिल हुए और 2 वर्ष तक सेना की नौकरी की। कांग्रेस पाटी में रहते हुए आप पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और फिर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे।

(श्री अध्यक्ष)

समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि थी। आपने 20 वर्ष तक अपने क्षेत्र के लोगों विशेषकर दलितों और पिछड़े लोगों की समर्पित भाव से सेवा की। आपने अपने सार्वजनिक जीवन में फिजी, आस्ट्रेलिया, मलेशिया और यूनाइटेड किंगडम सहित अनेक देशों की यात्राएं कीं।

श्री बेअंतसिंह की 31 अगस्त, 1995 को कार बम विस्फोट में मृत्यु हो गयी। पंजाब में शांति और समृद्धि के संवाहक श्री बेअंतसिंह की 'जघन्य हत्या' से देश ने एक कुशल प्रशासक, महान राष्ट्रवादी, शांति और लोकतन्त्र के लिए उग्रवाद के खिलाफ लोहा लेने वाला साहसी व्यक्ति खो दिया है।

त्रिपुरा के प्रथम मुख्य मंत्री रहे श्री सुखोमोय सेन गुप्ता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 76 वर्षीय श्री सेन गुप्ता समाज सेवा के प्रति समर्पित रहने का धैर्य रखते हुए आजीवन अविवाहित रहे।

वर्ष 1972 में जब त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया तब 21 जनवरी, 1972 को श्री सेन गुप्ता को राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। आप इस पद पर एक अप्रैल, 1977 तक रहे।

श्री सेन गुप्ता एक कुशल प्रशासक ही नहीं एक सुलझे हुए राजनेता भी थे। आप नवगठित त्रिपुरा राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

श्री सुखोमोय सेन गुप्ता का 18 मई, 1995 को निधन हो गया।

राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, श्रमिक नेता और पूर्व मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा का जन्म 4 अक्टूबर, 1919 को बूंदी में हुआ। आपने बी.ए.एल.एल.बी. की उपाधि प्राप्त करने के बाद वकालत की।

आप छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गये थे और आजादी के आन्दोलन से जुड़े रहे। आजादी के बाद राजस्थान के निर्माण और विकास में आपका सक्रिय योगदान रहा। आप प्रारम्भ में बूंदी नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे।

आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और सातवीं राजस्थान विधान सभा में सदस्य रहे। पहली तथा दूसरी विधान सभा के लिए आप क्रमशः वर्ष 1954 एवं 1961 में हुए उपचुनावों में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप बूंदी जिले से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे। अपने विधान सभा के दीर्घ कार्यकाल में आप अप्रेल, 1951 से मार्च, 1952, नवम्बर, 1954 से अप्रेल, 1957, जून 1965 से मार्च, 1967, अप्रेल 1967 से जुलाई, 1971 तथा जुलाई, 1981 से फरवरी, 1985 तक राजस्थान सरकार के वित्त श्रम, विधि सहित विभिन्न विभागों के मंत्री रहे।

प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार के गठन से पूर्व वर्ष 1948 और 1951-52 में संयुक्त राजस्थान की अन्तरिम सरकारों में भी आपको मंत्री नियुक्त किया गया।

श्री शर्मा राजस्थान इंटक के कई बार मंत्री और अध्यक्ष रहे। आपने वर्ष 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ के श्रमिक सम्मेलन में भाग लेने गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया।

बूंदी राज्य में लोक परिषद् की स्थापना में आपका सक्रिय योगदान रहा। आप राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान में लोक संगीत को बढ़ावा देने में भी आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। आप अनेक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े रहे। आप

(श्री अध्यक्ष)

फुटबाल एवं हाकी के अच्छे खिलाड़ी रहे तथा राजस्थान फुटबाल संघ के अध्यक्ष भी रहे।

वरिष्ठ नेता श्री बृजसुन्दर शर्मा का 28 मई, 1995 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री गोकुल चन्द जाटव का जन्म सन् 1921 में अलवर में हुआ। आपने मिशन स्कूल, अलवर से प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में हिन्दी प्रभाकर के समकक्ष स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री जाटव ने दूसरी (1957-62) से पांचवीं राजस्थान विधान सभा (1972-77) तक लगातार चार बार अलवर जिले का प्रतिनिधित्व किया। इन चारों विधान सभाओं के लिए आप अलवर जिले के क्रमशः कठूमर, लक्ष्मणगढ़, खैरथल और कठूमर निर्वाचन क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए।

अपने सार्वजनिक जीवन में आप अस्पृश्यता और सामाजिक एकता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। आप 1950 से 60 तक अलवर जिला हरिजन सेवक संघ के मंत्री रहे।

सामाजिक क्षेत्र के साथ-साथ आप राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। वर्ष 1945 में कांग्रेस के प्रारम्भिक सदस्य तथा 1950 में सक्रिय सदस्य बन गये थे। बाद में आप वर्ष 1963 से 68 तक अलवर जिला कांग्रेस के मंत्री भी रहे। वर्ष 1962 में आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गये।

अस्पृश्यता पर आपके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं। आप दलितों के उद्धार के लिये उनकी समस्याओं को विधान सभा में भी उठाते रहे और उनके कल्याण के लिए कार्य करते रहे। वर्ष 1954-57 में आप नगरपालिका, अलवर के तथा वर्ष 1967-72 में नगर सुधार न्यास, अलवर के सदस्य रहे। वर्ष 1950 से 53 तक आप 'स्वतंत्र भारत' साप्ताहिक समाचार पत्र के सह सम्पादक रहे।

श्री गोकुलचन्द जाटव का 13 मई, 1995 को निधन हो गया।

भरतपुर के पूर्व महाराजा, सांसद एवं पूर्व विधायक श्री बृजेन्द्र सिंह का जन्म 1 दिसम्बर, 1918 को हुआ। सन् 1923 में आपका राजतिलक हुआ तत्पश्चात आप अध्ययन हेतु विदेश चले गए। वर्ष 1926 से 1936 तक आपने स्विट्जरलैण्ड एवं इंग्लैण्ड में ब्रियन्सटन कॉलेज में अध्ययन किया। 1936 से 1939 तक आपने ज्यूडीशियल ट्रेनिंग कोटा में हासिल की एवं मिलिट्री ट्रेनिंग सैण्ट्रल इंडिया फोर्स नामक रैजीमेंट में मेरठ में हासिल की।

तत्कालीन भरतपुर रियासत के अन्तिम नरेश श्री बृजेन्द्र सिंह वर्ष 1967 में भरतपुर से चतुर्थ लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए। आप वर्ष 1972 में पांचवीं राजस्थान विधान सभा के लिए भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में भरतपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गये। भरतपुर के सांसद एवं विधायक के रूप में आप अपने क्षेत्र के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे। सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में आपने विश्व के अनेक देशों की यात्राएं कीं।

श्री बृजेन्द्र सिंह का दिनांक 8 जुलाई, 1995 को हृदयगति रूक जाने से निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री जगन्नाथ का जन्म 7 फरवरी, 1903 को टोंक जिले के ग्राम महुआ में हुआ। आपने प्राइमरी स्तर तक शिक्षा ग्रहण की।

आप चतुर्थ राजस्थान विधान सभा के लिए

(श्री अध्यक्ष)

वर्ष 1967 में टोंक जिले के टोडारायसिंह निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप एक जागरूक जन प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए प्रयत्नशील रहे। पूर्व में आप 15 वर्ष तक सैनिक सेवा में रहे तथा हैड मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद आप समाज सुधार और कृषि विकास के कार्यों में लग गए।

लोक संगीत एवं खेलों में आपकी रुचि रही तथा कृषि, भूमि सुधार एवं समाज सेवा में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री जगन्नाथ का उनके पैतृक गांव महुआ में दिनांक 23 सितम्बर, 1995 को निधन हो गया।

श्री मोती बाबा का जन्म भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी संवत् 1970 को पाली जिले की खारची तहसील के ग्राम रानावास में हुआ। आपने प्राइमरी स्कूल बिलाड़ा और रायपुर से शिक्षा प्राप्त की।

आप दूसरी राजस्थान विधान सभा (1957-62) के लिए बाली निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप अपने क्षेत्र की ही नहीं अन्य जन समस्याओं के समाधान के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशील रहे।

जन सेवा के लिए समर्पित श्री मोती बाबा चौधरी सिरवी किसान सभा के अध्यक्ष रहने के अलावा सिरवी समाज के गुरू के पद पर भी रहे। धार्मिक कार्यों में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री मोती बाबा चौधरी का दिनांक 13 मई, 1995 को निधन हो गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, पत्रकार और पूर्व विधायक श्री हरिकिशन व्यास का जन्म अगस्त, 1921 में जयपुर में हुआ। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण आपने सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त कर नागपुर विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. की उपाधि प्राप्त की।

कामरेड श्री व्यास प्रथम राजस्थान विधान सभा के लिए हुए उप-चुनाव में जोधपुर नगर क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप एक जागरूक और जुझारू विधायक रहे। आपने अपने विधान सभा के कार्यकाल में सरकार के कार्य कलापों पर तीखे प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

श्री व्यास बचपन से ही जुझारू प्रवृत्ति के थे। अपने छात्र जीवन में ही आप समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित होकर नागपुर में छात्रों को क्रांति के लिए तैयार करने में जुट गए थे। वर्ष 1939 में आप सी.पी. बरार प्रांतीय स्टूडेंट्स फैडरेशन के महासचिव चुने गये तथा 1940 में साम्यवादी दल के सदस्य बन गये। स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान आपने सक्रिय रूप से संघर्ष किया और गिरफ्तार हुए। रायपुर जेल में आप ने 56 दिन लम्बी भूख हड़ताल की जिससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने आपको रिहा कर दिया। इस बड़ी भूख हड़ताल के कारण आपकी आंतें चिपक जाने पर आपका बड़ा आपरेशन करना पड़ा जिससे शरीर कमजोर हो गया। इसके बावजूद अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आपके संघर्ष और भूख हड़तालों के क्रम में कोई अन्तर नहीं आया।

श्री व्यास भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्य समिति के लम्बे समय तक सदस्य रहे। आप अनेक श्रमिक संगठनों से भी जुड़े

(श्री अध्यक्ष)

रहे। आपने तीन दशक तक प्रदेश कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। आपने वर्ष 1958 में जोधपुर में चले फीस विरोधी, चुंगी कर व गृह कर विरोधी आन्दोलनों का नेतृत्व भी किया।

श्री व्यास राजनेता और श्रमिक नेता होने के साथ-साथ एक सजग और प्रभावशाली पत्रकार भी थे। आप 'ब्लिट्ज़' और 'न्यूज एज' अंग्रेजी साप्ताहिकों के जयपुर में वर्षों तक संवाददाता और हिन्दी साप्ताहिक 'नया राजस्थान' के सम्पादक रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हिन्दी दैनिक 'जनयुग' के आप प्रधान सम्पादक रहे। आपने सोवियत रूस, पूर्वी जर्मनी और चीन सहित अनेक देशों की यात्राएं भी कीं।

श्री हरिकिशन व्यास का लम्बी बीमारी के बाद 15 जून, 1995 को निधन हो गया।

पूर्व सांसद और जाने माने उद्योगपति श्री राधेश्याम रामकुमार मोरारका का जन्म 26 मार्च, 1923 को राजस्थान के नवलगढ़ में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा नवलगढ़ में हुई तथा बम्बई विश्वविद्यालय से आपने बी.कॉम. की उपाधि गोल्ड मैडल सहित प्राप्त की। कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए आप वर्ष 1942 के "भारत छोड़ो" आन्दोलन में भी सक्रिय रहे।

आप पहली बार 1952 में झुंझुनूं निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य चुने गये, तब आप सबसे कम उम्र के सांसद थे। इनके बाद आपने दूसरी और तीसरी लोक सभा में भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1978 में आप राज्य सभा के लिए चुने गये।

संसदीय कार्यकाल के दौरान आप संसद द्वारा गठित अनेक संसदीय एवं प्रवर समितियों के सदस्य रहे। आप वर्ष 1966 से 1967 तक (तीन वर्ष) लोक लेखा समिति के सभापति रहे। आपने वर्ष 1966 में अन्तर संसदीय संघ के केनबरा (आस्ट्रेलिया) सम्मेलन में दल के नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिश सरकार के आमंत्रण पर ब्रिटेन गये। कांग्रेस पार्टी ससंदीय दल का नेतृत्व भी आप द्वारा किया गया। आप भारत सरकार द्वारा गठित अनेक समितियों एवं आयोग आदि के अध्यक्ष भी रहे।

आपने अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन आदि देशों की कई बार यात्राएं कीं। योजना, वित्त, वाणिज्य, उद्योग और बैंकिंग में आपकी विशेष अभिरुचि रही।

श्री मोरारका का रविवार, दिनांक 28 मई, 1995 को बम्बई में निधन हो गया।

भारतीय राजनीति के वयोवृद्ध गांधीवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी प्रो. नायकुलु जी.ए. रंगा का जन्म 7 नवम्बर, 1900 को आन्ध्रप्रदेश के गुन्टूर जिले के निडुबरोलु में हुआ। आपने ऑक्सफोर्ड के सेंट कैथरीन कॉलेज तथा बारनेट हाउस से बी.लिट. की तथा आन्ध्र से डी.लिट. की उपाधि प्राप्त की।

प्रो. रंगा अपने दीर्घकालीन संसदीय जीवन में संसद की स्थापना से लेकर 1991 तक निरन्तर किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। आप वर्ष 1942 से 1956 एवं 1977-79 तक राज्य सभा के तथा दूसरी, तीसरी, चौथी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य रहे। इससे पूर्व आप वर्ष 1930 व 1934 से 1946 तक केन्द्रीय विधान सभा, वर्ष 1946 से 1950 तक संविधान सभा और वर्ष 1950-51 में अन्तरिम संसद के सदस्य रहे। संसद के पचास वर्ष पूर्ण करने पर आपका भारतीय सांसदों द्वारा विशेष सम्मान किया गया था।

अपने संसदीय जीवन में आप संसद की अनेक समितियों से जुड़े रहे। वर्ष 1927 से

(श्री अध्यक्ष)

1930 तक आप पंचायप्पा कॉलेज, मद्रास में अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे। प्रो. रंगा विश्व में सर्वाधिक आयु के सांसद एवं सबसे लम्बे संसदीय जीवनकाल वाले तीन व्यक्तियों में से एक थे। आप अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक संस्थाओं से जुड़े रहे।

आप वर्ष 1946 से 1951 तक आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वर्ष 1947 से 1951 तक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, वर्ष 1952 से 1955 तक कृषिकार लोक पार्टी के नेता, वर्ष 1952 से 1956 तक संसदीय स्वतंत्र पार्टी के नेता तथा वर्ष 1959 से 1969 तक स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रहे। आप वर्ष 1980 एवं 1986 में कांग्रेस (आई) संसदीय दल के उपनेता रहे।

आपने स्वतंत्रता आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। अध्ययन और लेखन के प्रति आपका विशेष रुझान रहा। आपने 65 पुस्तकें अंग्रेजी में तथा 15 पुस्तकें तेलुगू में लिखीं जिनमें बापू ब्लेसेज, गांधियन प्लान, फाइट फार फ्रीडम, रिवोल्यूशनरी पीजेंट्स, इण्डिया इन दी यू.एन. तथा एगोनी एण्ड सोलेस प्रमुख हैं।

आपने ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ, युगोस्लाविया, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया सहित अनेक देशों की यात्राएं कीं।

आपकी पंचायत प्रणाली, ग्रामीण शिल्पकला तथा समग्र ग्रामीण जीवन को प्रोत्साहित करने में विशेष रुचि थी। साहित्य कला और विज्ञान के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय कार्यों के लिये आपको नेहरू पुरस्कार, राजाजी रत्न पुरस्कार और कुशक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसानों, बुनकरों, खेतिहर मजदूरों के कल्याण, सामाजिक आर्थिक भेदभाव के विरूद्ध संघर्ष सफाई, बिजली, संचार, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण विकास के लिए आप निरन्तर कार्य करते रहे।

प्रो. एन.जी. रंगा का 8 जून, 1995 को निधन हो गया।

नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. सुब्रह्मण्यम् चन्द्रशेखर का जन्म 19 अक्टूबर, 1910 को हुआ। आपने स्नातकोत्तर की उपाधि मद्रास से तथा डाक्टरेट की उपाधि कैम्ब्रिज से प्राप्त की। आपने वैज्ञानिक जीवन की शुरूआत शिकागो प्रयोगशाला से की। आप शिकागो यूनिवर्सिटी में सैद्धान्तिक खगोल भौतिक (Theoritical Astrophysicist) के सर्विस प्रोफेसर रहे।

सन् 1983 में भौतिकी में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको डॉ. विलियम फाउलर के साथ नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको यह पुरस्कार आपके महान कार्य "द मैथेमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स" के लिए दिया गया। आपने पूरे विश्व को बताया कि सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद और नहीं बढ़ सकते और ब्लैक होल्स बन जाते हैं। आपके द्वारा स्थापित सिद्धान्त खगोल विज्ञान में "चन्द्रशेखर लिमिट" के नाम से जाना जाता है। आपको सन् 1969 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।

वर्ष 1952 से 1971 तक आप "एस्ट्रोफिजिकल जर्नल" के प्रबन्ध सम्पादक रहे। रोयल सोसायटी, लंदन के फैलो रहने के अलावा आप नेशनल एकेडमी आफ साइंसेज, यू.एस.ए. तथा अमेरिकन फिलोसोफिकल सोसायटी के सदस्य भी रहे। आपको उल्लेखनीय कार्यों के लिए अनेक अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा विभिन्न मैडल प्रदान कर

(श्री अध्यक्ष)

सम्मानित किया गया।

डॉ. चन्द्रशेखर जीवन भर विज्ञान के लिए पूर्णतया समर्पित रहे परन्तु साहित्य, संगीत और यात्रा के प्रति भी उनकी रुचि कम नहीं थी।

खगोल वैज्ञानिक श्री चन्द्रशेखर का निधन दिनांक 22 अगस्त, 1995 को अमेरिका में हो गया।

मैं सभी दिवंगत व्यक्तियों को अपनी ओर से और इस सदन के समस्त माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारजन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत व्यक्तियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें व श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की)

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री हरेन्द्र मिर्धा, सदस्य, विधान सभा को दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री हरेन्द्र जी मिर्धा, सदस्य, विधान सभा ने अपने पिता जी के उपचार हेतु अमेरिका जाने के कारण दिनांक 26 अक्टूबर, 1995 से सत्रांत तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

सचिव, विधान सभा : महोदय, मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1990।

(3) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1992।

(4) राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 1995।

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक :

(1) राजस्थान विक्रय कर विधेयक, 1994।

(2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1995।

(3) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1995।

(4) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1995।

(5) राजस्थान मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 1995।

(सचिव, विधान सभा)

(6) राजस्थान विनियोग (संख्या—1) विधेयक, 1995 ।

(7) राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या—2) विधेयक, 1995 ।

(8) राजस्थान विनियोग (संख्या—3) विधेयक, 1995 ।

(9) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(10) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(11) राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(12) राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(13) राजस्थान कराधान अधिकरण विधेयक, 1995 ।

(14) राजस्थान भूमि एवं भवन कर (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(15) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(16) राजस्थान पास बुक (कृषि जोत) (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(17) राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(18) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1995 ।

(19) राजस्थान गो-सेवा आयोग विधेयक, 1995 ।

अध्यादेश

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का अध्यादेश संख्या—1) सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री सुजान सिंह यादव, सहकारिता मंत्री राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का अध्यादेश संख्या—2) सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री सुजानसिंह यादव (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (1995 का अध्यादेश संख्या—2) सदन की मेज पर रखता हूं ।

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : श्री देवी सिंह जी भाटी, सिंचाई मंत्री, सिंचाई विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं सिंचाई विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 13 (62) सिं/84/पार्ट II दिनांक 17 मई, 1995 जिसके द्वारा राजस्थान सिंचाई और जल निकास नियम, 1955 में संशोधन किया गया, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत, मुख्य मंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6 प्रतिवेदन —

श्री विष्णु मोदी : पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं जवाब दे दूंगा।

व्यवस्था का प्रश्न
अधिसूचना सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह आपसे निवेदन किया कि विधान सभा के सत्र नहीं बुलाना, निश्चित अवधि की बैठकें नहीं करना, विधान सभा में पूछे जाने वाले सवालों का समय पर जवाब नहीं देना, विधान सभा के अन्दर जो आश्वासन दिये गये उनकी पालना नहीं करना और समय-समय पर इस विधान सभा में अध्यक्ष की जो व्यवस्थाएं दी गयी हैं उनकी पालना नहीं करना, यह अध्यक्षीय व्यवस्था कि लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन एवं विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन शीघ्रातिशीघ्र विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिये, इसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय ने 25.3.1971 को जब सतीश चन्द्र जी अग्रवाल ने यह प्रश्न उठाया, काफी देर तक बहस हुई और काफी वाद-विवाद के पश्चात भी उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी :—

"सरकार के पास कई विभाग हैं, आयोग हैं, कई संस्थाएं होती हैं और किसी माननीय सदस्य को यह सम्भव नहीं है कि उनकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल हो सके इसलिए जानकारी नहीं होना स्वाभाविक बात है। जो प्रतिवेदन अलग-अलग विभागों के संस्थाओं के, आयोग के सदन के सामने आते हैं उनके द्वारा ही उन्हें जानकारी दी जाती है। अब जो विपक्ष ने यह बात कही है कि प्रतिवेदन देरी से आते हैं, सन् 1965 के मामले पर सदन आज विचार करे तो यह नहीं के बराबर है क्योंकि उसका अब कोई जीवन्त सम्बन्ध चर्चा से रहता नहीं है और किसी के साथ अन्याय भी हुआ है तो यह सदन न्याय दिलाने की स्थिति में भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इस तरह के प्रतिवेदन जल्दी से जल्दी सदन के सामने आयें।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी जो प्रतिवेदन रखने वाले हैं वे 1 अप्रैल, 1987 से 1988, 1988 से 1989 , 1989 से 1990, 1990 से 1991, 1991 से 1992 और 1992 से 1993 के हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में मैं एक और आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी बात मानता हूं। मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान ली है, बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी : यह 24.9.1979 को जो अध्यक्षीय व्यवस्था हुई, माननीय उपाध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी :—

"कोई भी माननीय मंत्री महोदय अधिसूचनाएं प्रस्तुत करते हैं तो सदन को यह पूछने का अधिकार है कि उससे पहले प्रस्तुत क्यों नहीं की गयी। मेरा निवेदन है कि कोई भी अधिसूचना प्रस्तुत करने से पहले माननीय मंत्रीजी अपने विभाग से संतुष्ट हो जाएं और मालूम कर लें कि यह अधिसूचना समय पर प्रस्तुत क्यों नहीं की गयी, उसके बाद में ही सदन में रखें और यदि सदन की मांग है तो माननीय मंत्री महोदय को सामान्यतया उसकी देरी के कारण बताने चाहिये। लेप्सेज कहीं भी

(श्री विष्णु मोदी)

हो सकते हें लेकिन सदन इसके कारण जानना चाहता है तो माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिए। इसलिए कोई स्पेसिफिक रीजन्स हों तो सदन को वताये जायं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी जी विस्तार से इस बात को बतायें कि यह इतनी देरी से क्यों आये हैं, क्या लेप्सेज रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ? या यह मानस है कि इस विधान सभा को इसी तरह से चलाना है कि चाहे सत्र हो, नहीं हो, आये, चले, जो एक कांस्टीट्यूशनल आब्लीगेशन है उसको पूरा किया, छुट्टी की और अपने राज में मस्त हो जाएं। मैं समझता हूं कि वे विपक्ष में रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में रहे हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और हिन्दुस्तान में इनका एक स्थान है तो उसमें इस सदन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं यह चाहता हूं कि वह अपने मुख्य मंत्रित्वकाल में कम से कम इस तरह की व्यवस्था करें कि जो विधान सभा की मर्यादा है, परम्परा है और परिपाटी है, उसकी जरूर पालना हो।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पाइंट ऑफ आर्डर को माननीय मुख्य मंत्रीजी के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद उठाने वाला था लेकिन मोदी जी ने यह उठाया है उसमें मैं भी एक मिनट अपनी बात कहना चाहूंगा। मोदीजी ने जो बात कही है कि यहां जो रूलिंग दी गयी थी उसकी सरकार ने और मुख्य मंत्रीजी ने अवहेलना की है उसमें रूल 126 है, जिसकी भी स्पष्ट रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी और इस सरकार ने अवहेलना की है। रूल 126 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि—

"In any session or sessions of the House, the House shall discuss every year such of the following reports etc. as have been laid on the Table of the House on the recommendation of the Business Advisory Committee."

अब इसमें, अध्यक्ष महोदय, चार बिन्दु हैं। पहली चीज तो यह है कि यह हाउस डिस्कस करेगा, "शैल डिस्कस", दूसरी चीज यह है कि "एवरी ईयर" तीसरी चीज यह कि कौन-कौन सी रिपोर्ट सरकार जो प्रस्तुत करती है और इनके ऊपर चौथी चीज कि बिजनस एडवाइजरी कमेटी यह तय करेगी कि किस आर्डर के अन्दर इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो आर्डर डिस्कस करने का अधिकार सिर्फ बिजनस एडवाइजरी कमेटी को है और किस आर्डर से मुख्य मंत्रीजी यहां प्रस्तुत करवाते हैं और सरकार प्रस्तुत करती है, यह इसका डिस्क्रिशन है। लेकिन जहां तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न है, यह प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाएगी और इन पर प्रतिवर्ष डिस्कशन होगा। इस चीज को रूल 126 के प्रोविजो में और क्लियर किया गया है—

"Provided that the Speaker may on the advise of the Business Advisory Commitee include for discussion during a particular year any other Board, Corporation or Public Undertaking in the above list."

यानि कि इस लिस्ट के अलावा किसी अन्य बोर्ड, कारपोरेशन की रिपोर्ट को भी अध्यक्ष ही तय करेंगे कि डिस्कस किया जाए। अर्थात् उन रिपोर्ट के अलावा यह जो लिस्ट में दी गयी हैं, इनके ऊपर प्रतिवर्ष यहां डिस्कशन

(श्री लक्ष्मण सिंह)

होगा और प्रतिवर्ष उन रिपोर्ट्स को यहां पर प्रस्तुत किया जाएगा। अब, अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन, चार-चार, पांच-पाच वर्ष की डिले के पश्चात मुख्य मंत्रीजी यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और खासतौर से पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी महत्त्वपूर्ण रिपोर्टस जिनके कि माध्यम से राजस्थान के अन्दर आर.ए.एस. नॉन आर.ए.एस. तथा सेवाओं के लिये चयन किया जाता है जिसके ऊपर प्रदेश के नवयुवकों का भविष्य निर्भर करता है। उस रिपोर्ट्स के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है कि क्या वहां पिछले पांच वर्ष में हुआ है, क्या कार्य प्रणाली है, वहां पर क्या कमियां हैं और उस चीज को मुख्य मंत्रीजी और सरकार इतनी लाइटली लेती हैकि इस रूल 126 की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गयी है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सरकार से निवेदन करूंगा कि पहली चीज तो वह स्पष्ट करें कि क्यों यह सारी रिपोंट इतनी देरी से प्रस्तुत की जाती हैं, उसके लिए खेद प्रकट करें और यह एश्योरेंस दिलवायें कि भविष्य में इस प्रकार से कोई कमी सरकार की तरफ से नहीं की जाएगी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6 प्रतिवेदन मुख्य मंत्रीजी सदन के पटल पर रखने जा रहे हैं। आर्स्टेसिब्ली और सीमिंगली ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी प्रतिवेदन जब इसमें किसी अधिनियम या किसी भी एक्ट के नीचे जिसमें प्रावधान है कि उसका प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सदन के पटल पर रखा जाएगा, यह दायित्व सरकार का है और यह इसलिए रखा जाएगा कि सदन के माननीय सदस्यों को उस पर चर्चा करने का अवसर मिले। जो डेलिगेटेड लेजिस्लेशन है और जो आप विज्ञप्तियां रख रहे थे और रखने जा रहे हो, यह विज्ञप्तियां भी इस सदन में चर्चा की जा सकती हैं और सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन की कमेटी भी इसी परपज के लिए है कि वह यह देखे कि इन्होंने प्रिंसिपल एक्ट के प्रावधानों का कोई ट्रांसगेंस तो नहीं किया है। अब मुख्य मंत्रीजी इसकी टापिकल वैल्यू रही नहीं, कहीं न कहीं लैप्स तो रहा है और चाहे लेग्जिटी रही है, लैप्स और लेग्जिटी के लिए जिम्मेदार कौन है ? आप प्रबुद्ध और दक्ष मुख्य मंत्री हैं, पांच साल की ये रिपोर्ट आप छिपाये रहे सदन की मेज पर रखना कानून संगत था, उसका भी उल्लंघन किया है इसलिए they should be brought to book.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6 प्रतिवेदन मैं विलम्ब से प्रस्तुत कर रहा हूं। पुष्कर और भीम से आने वाले माननीय सदस्यों और विपक्ष के नेता ने जो बात कही है मैं उसको स्वीकार करता हूं। इसके कुछ विशेष कारण हैं, यह मसला कोई आज पहली बार विधान सभा में आया हो, इस प्रकार की बात नहीं है, पूर्व में भी इस प्रकार के विलम्ब के कारण हम लोगों ने आपत्ति की थी—

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : आपने की थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने भी की थी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ) : हमने क्षमा मांगी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन इसमें एक भूल रही है कि अब तक की व्यवस्था के अनुसार यह परिपाटी चली आ रही थी कि जब तक उस रिपोर्ट में जिन बातों का उल्लेख किया गया है और लोक सेवा आयोग की सिफारिशों से जहां राज्य सरकार सहमत नहीं है, उन विषयों को छानबीन करने के बाद में लोक सेवा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आयोग को भेजा जाए कि अमुक मामले में हम आपकी बात से सहमत हैं और अमुक मामले में हमारी असहमति है। जब यह फाइनल हो जाए, उस समय यह रिपोर्ट पेश की जाती है। 38वीं रिपोर्ट में (व्यवधान) लेकिन मैं पहले उल्लेख कर दूं, एक व्यवस्था ऐसी भी चली आ रही है कि पहले की रिपोर्ट जब बाद में पेश की जाय और आगे की रिपोर्ट पहले कर दी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। यही प्रसंग पहले भी कई बार आया है। जब 38वीं रिपोर्ट मेरे सामने आयी तो मेरा पहला प्रश्न था कि यह विलम्ब से क्यों आयी, इसके लिए दोषी कौन है और इसके कारण क्या हैं? इस रिपोर्ट के आने के बाद और भी रिपोर्ट आयी हैं लेकिन उस व्यवस्था के अनुसार हम पहले वाली रिपोर्ट को तो विदहैल्ड कर लें और बाकी की रिपोर्टस को पेश कर दें, यह सम्भव नहीं है। इसलिए हमने मंत्रिमण्डल में फैसला किया, कोई भी रिपोर्ट आये, उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में पूरी छानबीन करने के बाद रिपोर्ट हाउस में रखने के लिए उपयुक्त नहीं हो, तो आगे की रिपोर्टस को किसी प्रकार से विदहैल्ड नहीं किया जाए।

जहां तक इस रिपोर्ट का प्रश्न है, इसमें कई विभागों से सम्बन्धित मामले थे। जब यह रिपोर्ट डी.ओ.पी. में आयी तो उन्होंने दूसरे विभागों से, सभी से उनकी टिप्पणियां मांगी। कई विभागों से टिप्णियां आयीं और फिर अन्य विभागों से भी टिप्पणियां लेनी थी और लेने में इन सारे कारणों से विलम्ब हुआ। मैं आज आपको बता देता हूं कि मैंने इस मामले में इन्क्वायरी इनिशियेट की है। राजस्थान के एडीशनल चीफ सेक्रेटरी उसकी इन्क्वायरी कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी होगा, निश्चित रूप से सजा का भुगतान उसको करना होगा इसलिए विलम्ब हुआ, उसके लिए फिर खेद प्रकट करता हूं और ये छह प्रतिवेदन जो इस सूची में दिये हुए हैं, वे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आपने खेद प्रकट किया, यह तो अच्छी बात है लेकिन लोक सेवा आयोग के जो प्रतिवेदन हैं, इनके बारे में विभिन्न विभागों से टिप्पणियां लेने का तो कोई कायदा नहीं बनता। लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट ओरिजिनल सदन के सामने पेश होती है। आपकी टिप्पणी, सरकार की टिप्पणी तो हमें चाहिए भी नहीं, हम तो लोक सेवा आयोग की क्या ओपिनियन है, क्या उसके कमेंट्स हैं, वे हम चाहते थे और वे इतने लम्बे अरसे तक क्यों नहीं पेश हुए। इसमें आपका दोष मैं नहीं मानता, किसी न किसी का इसमें दोष है और कौन दोषी है? जो परमानेंट मशीनरी है, एग्जीक्यूटिव है, वह इसमें दोष की भागी है।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप ऐसा कोई सख्त कदम नहीं उठाएंगे, तब तक इस प्रकार के लैप्सेज रोके नहीं जा सकते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यह तो ठीक है कि एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को आपने जांच दे रखी है, वह कोई मायने नहीं रखता। आज हाउस में इस बात की घोषणा करें, जो भी इसमें जिम्मेदार हैं, आपकी नजर में कौन है, स्ट्रेट-वे आप उन पर एक्शन प्रपोज कीजिए तभी लोगों को सबक मिलेगा। इस स्थान का, इस आगस्ट हाउस का जो महत्तव है, जो गरिमा है, सभी लोगों को एहसास होगा कि डिले करने से यह सबक भी, परिणाम भी हो सकता है। आप इसमें क्षमा मांगते जाइये, उनको क्या तकलीफ हुई कि आपने क्षमा मांग ली, हनमे सुन ली। हमने भी खेद महसूस कर लिया कि मुख्य

(श्री रामनारायण चौधरी)

मंत्रीजी खेद प्रकट कर रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को क्या चिन्ता हुई कि जो इस अपनी जिम्मेदारी को अब तक दबाए बैठा था। आपसे आदेश ले लेता, डिले हो जाती, आप जिम्मेदार हो जाते लेकिन आपके सामने, किसी सम्बन्धित मंत्री के सामने यह मामला लाया नहीं गया और न लाने के लिए जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव मशीनरी है That should be taken to task. एक्शन उनके खिलाफ क्या प्रपोज करते हैं, आप अभी कीजिए और इस आगस्ट हाउस की गरिमा को बचाइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया और स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया कि इसमें विलम्ब हुआ है। उस विलम्ब के लिए जो भी दोषी है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा और इस सदन को भी जानकारी दूंगा कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : श्रीमान को मालूम नहीं है कि कौन दोषी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, मालूम है लेकिन मैं यूं ही किसी को चार्जशीट नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, आपको तो मालूम है, फिर आप क्यों छिपा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं, छिपाने की कोई बात ही नहीं है, इसीलिए मैंने एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को कहा कि जांच करें और जांच की रिपोर्ट भी आ गयी। उस रिपोर्ट में जो दोषी है, उनको चार्जशीट भी देनी पड़ेगी, उनका एक्सप्लेनेशन भी लेना पड़ेगा, तब जाकर सारी कार्यवाही होगी। मैं इतना ही आपको एश्योरेंस दे सकता हूं कि लैप्सेज के लिए जो भी जिम्मेदार है, उनको किसी भी हालत में कोई रियायत नहीं दूंगा, बस इससे ज्यादा और इसी आधार पर मैंने प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन संख्या एक से छह तक, जो कार्यसूची में दिये हुए हैं, सदन की मेज पर रखता हूं—

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन

(i) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 38वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रेल, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक)

(ii) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रेल, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक)

(iii) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रेल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक)

(iv) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रेल, 1990 से 31 मार्च, 1991 तक)

(v) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रेल, 1991 से 31 मार्च, 1992 तक)

(vi) राजस्थान लोक सेवा आयोग का 43वां वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रेल, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी, कृषि राज्य मंत्री।

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के वर्ष 1988-89, 1989-90 एवं 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटल पर रखने में विलम्ब

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही इसमें ....(व्यवधान) उसके अंतर्गत तो भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम बना हुआ है और उसमें एक टाइम फिक्स है। उस टाइम के अन्दर आपका प्रोफिट एण्ड लॉस एकाउन्ट, आपका प्रतिवेदन लाना ही लाना पड़ेगा। ये 1988-89 से छह साल के बाद यानी छह साल की बैलेंस-शीट नहीं बनी, छह साल से पी. एण्ड एल. एकाउन्ट नहीं बने, छह साल के प्रतिवेदन नहीं आये हैं। यह तो बहुत ही ज्यादा सीरियस आफेंस है। जिन लोगों ने, कम्पनी का कोई सैक्रेटरी होगा या और कोई होगा। They must be brought to book.

और जब तक आप इस बात का वाजिब कारण नहीं बतायें कि क्यों विलम्ब से पेश किए जा रहे हैं या क्या प्रोजेक्शन हुआ है, तब तक इन पेपर्स को रखने की आज कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, या तो मंत्रीजी यह बतायें कि प्रोपर रीजन क्यों नहीं लाये गये पहले या आश्वासन के पश्चात आप सारी कार्यवाही करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व में व्यवस्था है कि पेश करने के पहले स्पेसिफिक रीजन्स दें। मंत्रीजी को आप इजाजत दें अगर वे स्पेसिफिक रीजन्स बता रहे हों कि इसमें विलम्ब क्यों हुआ है तो आप इनको पेश करने की इजाजत दें। अगर वे स्पेसिफिक रीजन्स बताने की स्थिति में नहीं हों तो पूर्व में यहां की व्यवस्था है, आप उसी के अनुसार इजाजत दें। यदि पहले वे स्पेसिफिक रीजन्स बता रहे हों तो आप उनको लेड करने की इजाजत दीजिए अन्यथा जब वे स्पेसिफिक रीजन्स बताने की स्थिति में हों तब आकर इस सदन की मेज़ पर रखें।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, यह संस्था जिसका ये प्रतिवेदन रखने जा रहे हैं, यह कम्पनीज एक्ट से सम्बन्धित है और कम्पनीज एक्ट के हिसाब से कम्पनी रजिस्ट्रार को इसके सम्बन्ध में सूचना देनी पड़ती है। जो भी इन्फोर्मेशन है, वार्षिक रिपोर्टस हैं, वार्षिक बैठकों की सूचना है, जो भी उनको देनी पड़ती है, उस हिसाब से उनको देनी पड़ती है। नहीं देते हैं तो उनका वहां जुर्माना हो जाता है तो एक तरफ तो यह फोर्मल्टी पूरी कर रहे हैं और इस सदन से छिपा रहे हैं, आप इसका भी स्पष्टीकरण दें। क्या आप जो यह रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में कम्पनी रजिस्ट्रार को आपने अभी तक सूचना नहीं दी है? और अगर नहीं दी है, तो आप पर पेनल्टी हुई होगी? वहां दी है और आप यहां हाउस से छिपा रहे हैं, इसको भी आप बताएं।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह जी चौधरी, कृषि राज्य मन्त्री, भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के तीन वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : यह बताना पड़ेगा। पहले उत्तर तो दीजिए, बाद में रखिए आप।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, पहले स्पेसिफिक रीजन्स और उसके बाद आप इजाजत दें। आप पांइट आफ आर्डर की व्यवस्था कर दीजिए और स्पेसिफिक रीजन्स अगर मंत्रीजी बता रहे हों या कम्पनीज एक्ट के तहत क्या कार्यवाही हुई है, वह बता दें तो आप उनको लेड करने की इजाजत दें। आप पहले हमारा जो पाइंट आफ आर्डर है, उस पर रूलिंग

(श्री विष्णु मोदी)

दीजिए। जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं, वह बता दें।

श्री हरजीराम बुरडक : आप रखने की अनुमति बाद में दीजिए।

श्री अध्यक्ष : वे बोल रहे हैं, इन्हें बोलने दें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : Decide the point of order.

श्री अध्यक्ष : वे बोल रहे हैं, पहले उन्हें बोलने तो दें। (व्यवधान)

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : पहले डायरेक्शन तो दिये नहीं हैं। आप इस व्यवस्था में डायरेक्शन तो दें कि पहले वे रीजन्स बताएं।

श्री अध्यक्ष : वे बता रहे हैं। वे बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम के बारे में, देरी के बारे में जो बात कही गयी है, उसकी विस्तृत जाँच करने के लिए हमने कृषि विभाग के सचिव को निर्देश दिये हैं कि इसकी विस्तृत जाँच की जाय कि इसमें देरी क्यों हो रही है, किन कारणों से पिछले 3-4 सालों की देरी हुई है और उसकी जाँच आने के बाद जो भी अधिकारी या जिस स्तर पर जो भी जिम्मेदार होगा, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि इस तरह की रिपोर्टस में देरी नहीं होनी चाहिये और__(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक पूछा है__(व्यवधान) मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है (व्यवधान)

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उस भण्डार व्यवस्था (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं, आप रखने जा रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, नहीं रख सकते, कैसे रख सकते हैं।__(व्यवधान) कैसे रख दो। (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : देरी की जाँच तो होगी__

एक माननीय सदस्य : रीजन्स की जाँच करके बता दिया जाएगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, दो भिन्न-भिन्न मुद्दों के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया सदन में। पहला व्यवस्था का प्रश्न तो यह था कि इनआर्डिनेट डिले क्यों हुई और दूसरा लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि इण्डियन कम्पनीज एक्ट के नीचे प्रति वर्ष आपको यह लेखे और आपकी रिपोर्ट की जो कार्यवाही है वह देना उसमें मेंडेटरी है उस एक्ट के अन्तर्गत और अगर आप उसकी कम्पलाई-विथ नहीं करते हैं प्रोवीजन्स का, तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। जब आपने इनआर्डिनेट डिले की तो क्या रजिस्ट्रार, कम्पनीज एक्ट ने आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की है? और पेनल्टी इम्पोज की है तो वह पेनल्टी क्या थी? आप यह सदन को जानकारी दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी बात तो है नहीं, और कोई आप ऐसा समझें कि आपने सारी रिपोर्ट्स समय पर पेश की हैं, ऐसी भी बात नहीं है। (व्यवधान)__मैं यह बता रहा हूं आपको__

श्री अमरा राम (धोद) : इसका मतलब ऐसे ही आप चला रहे हैं, यह चला रहे थे वैसे ही आप चला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई बार, मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि विधान सभा के सत्र के पहले मैं स्वयं लैटर लिखता हूं कि कोई विज्ञप्ति ऐसी हो कि उस विज्ञप्ति को विलम्ब से पेश किया जाय या इस सेशन में न पेश करके अगले सेशन में यदि पेश की गयी तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इस बार भी मंत्रिमण्डल की बैठक के साथ मैंने सारे अधिकारियों को बुलाया और बुलाने के बाद उनको साफ कहा कि इसमें हमारी गलती नहीं होगी, सदन के सामने तो हमें खेद प्रकट करना पड़ेगा लेकिन जो दोषी है उसके भी खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। यह कई मामले और कई रिपोर्टस ऐसी हैं जो बार-बार तलाश करने के बाद में भी नहीं मिली। यह आज की नहीं कहता, पिछले वर्षों में भी इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई हैं। रिपोर्ट तो पेश करनी है, आप जो भी जिज्ञासा रखते हैं या जो जानकारी करना चाहते हैं, वह जानकारी भी उपलब्ध करायी जाएगी और साथ ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। अभी भी यह जो नोटिफिकेशन्स पेश किये जाते हैं, इसमें जो विलम्ब लोगों ने किया है उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। इसलिए आप यह मान सकते हैं कि विलम्ब हुआ, यह कोई नयी नहीं है परिपाटी, एक तो यह मानकर चलो। कोई मैं ही विलम्ब कर रहा हूँ, वह भी नहीं है। कोई ज्ञान सिंहजी विलम्ब से पेश कर रहे हैं इसलिए नहीं, कई बार यह उल-जलूल सी रिपोर्ट आती है, क्वेरीज में चली जाती है, तो समय के ऊपर रिपोर्ट नहीं आती, विलम्ब से पेश होती है, तो उनके खिलाफ पहली बार राजस्थान में इस प्रकार की कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ होगी।

श्री लक्ष्मण सिंह : कितनों को आपने ....(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : देरी की तो अलग बात है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि जो इन्फोर्मेशन आप हाउस को दे रहे हैं, या रिपोर्ट जो पेश कर रहे हैं, हाउस में पेश करने के पहले आपने कम्पनीज रजिस्ट्रार को दी या नहीं दी, सवाल यह था। वहां तो आप दे रहे हैं और यहां नहीं दे रहे हैं, यह बात तो नहीं है? यह स्पष्टीकरण था मेरा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह स्पष्टीकरण कल करेंगे, आज नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को और पूरी केबिनेट को ब्यूरोक्रेसी ने उलझन के मकड़जाल में फंसा दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह पहले आप फँसे हुए थे, वह आदत उनकी पड़ी हुई है, मैं उस आदत से पीछा छुड़वा रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : 'इस उलझन से मुझको बचाओ मेरे हमराही'। मैं निवेदन यह कर रहा था कि मुख्य मंत्रीजी ने जिस चतुराई के साथ में इस तमाम मामले को केमोफ्लेज (Camouflage) किया, उलझन कुछ भी नहीं है, दूसरी जो रिपोर्ट आएगी, वह सीधी रिपोर्ट जो लिखी जाती है, डिपार्टमेंटल प्रतिवेदन है। जहां तक आर.पी.एस.सी. का सवाल है उसमें गवर्नमेंट कुछ मामलों में एग्री नहीं करती है और एग्री नहीं करती है तो उनके बीच में कोरस्पोंन्डेस हो जाती है। मुझे मालूम है, कांग्रेस के वक्त में भी हुई थी। उसमें तो एक उलझन का प्रश्न आ सकता है कि कुछ लोगों में जो उस वक्त के रूल इनवोग होते हैं और

(श्री परसराम मदेरणा)

उसमें किसी का डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट किया है या प्रमोशन भी जिसका किया है उससे ज्यादा आदमी इफेक्ट हो जाते हैं तो फिर यह देखना पड़ता है कि कहीं ज्यादा लोगों के साथ में अन्याय हो गया है और रूल को अमेण्ड करना पड़ेगा और अमेण्ड करने के बाद में दुबारा उसके प्रमोशन के लिए आर.पी.एस.सी. को लिखना पड़ेगा, यह प्रश्न तो खड़ा हो सकता है। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, मुख्य मंत्रीजी, आप इस मुद्दे पर, डिले के पाइंट पर आप इसकी टालमटोल कर गये। वह कम्पनीज एक्ट के नीचे जो प्रावधान हैं, राज्य सरकार तो स्लम्बर (Slumber) में थी, सो रही थी XXX लेकिन कम्पनीज रजिस्ट्रार नहीं सो रहा था, उसने निश्चित तौर पर इनको नोटिस दिया होगा और पेनल्टी इम्पोज की होगी। अगर उन्होंने की है, जैसा कि लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं तो इस सम्बन्ध में आप एक्सप्लेनेशन दीजिये सदन में और यह एक्सप्लेनेशन अगर नहीं देते हैं तो मैं यह नहीं कहता हूं कि आप रखने की इनको स्वीकृति नहीं दें, क्योंकि प्रतिवेदन तो निश्चित तौर पर जो प्रावधान है कानून में, उसमें रखना तो पड़ेगा लेकिन जब तक यह रीजन्स एडवांस नहीं करें और सदन को कन्वींस नहीं करें तो जिस आपकी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, उसको आप रिट्रेट करते हुए इनको प्रताड़ना दें और प्रताड़ना देने के साथ में इनको कहें कि कल उसकी जानकारी करके सदन को यह अवगत करायें कि रजिस्ट्रार, कम्पनीज एक्ट ने आपको कब-कब लताड़ दी, कब-कब आपको नोटिस दिये, आप पर कितनी पेनल्टी इम्पोज की, आपने उसका भुगतान किया या नहीं किया, आपने उनको कोई दलील पेश की, आपकी दलील को और आपके लोजिक को उन्होंने माना या नहीं माना, या आपकी दलील लचर थी और उसको रिजेक्ट करके पेनल्टी आप पर ठोक दी और आपने उसका भुगतान किया? यह जब तक एक्सप्लेनेशन इस सदन में नहीं आता है तब तक मैं ऐसा मानता हूं कि कृषि मंत्री को—

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : पैसे जमा कराये पेनल्टी के, उसका रसीद नम्बर भी दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति तो नहीं हूं लेकिन मैं अनुभवी आदमी हूं और साइकेट्रिस्ट (Psychiatrist) भी हूं, आपकी शक्ल से ऐसा मालूम होता है कि आप बिल्कुल खाली दिख रहे हैं, ऐसी सूरत में मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूँगा कि इसके आप फैक्ट्स मालूम कर लीजिये और करने के बाद में आज कोई Heaven is not going to fall. आप कल इसको सदन के पटल पर रख सकते हैं। लेकिन हाउस एक्सप्लेनेशन चाहता है और कन्वींस होना चाहता है कि आपने कम्पनीज एक्ट के स्पेसिफिक प्रावधान की अनुपालना की या नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं इन सब का उत्तर इन छुट्टियों के बाद में यह सारा मामला देखकर मैं स्वयं ही दे दूँगा।

श्री परसराम मदेरणा : ठीक है।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन
राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं भण्डार व्यवस्था निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(11) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं—

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, प्रतिवेदन फिर कहां रख रहे हैं; मुख्य मन्त्रीजी लायेंगे।

XXX अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : दे देंगे एक्सप्लेनेशन वह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं-नहीं, वह तो एक्सप्लेनेशन है, दे दूंगा।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : (1) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 31वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89,

(2) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 एवं,

(3) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी, कृषि राज्य मन्त्री कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट एग्रोइण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के दो वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड के प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1990-91 एवं

(2) राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का 23वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1991-92

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा (प्रभारी मंत्री), भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे। उनकी बजाय अनंग कुमार जी।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

विधेयक के साथ कोरस्पोंडिंग प्रोविजंस का वितरण

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऑन ए पाइंट आफ

(श्री हरिसिंह)

आर्डर सर। इस सदन की नियम और प्रणाली यह रही है कि जो भी अमेण्डिग विधेयक आता है उसके साथ में जिस एक्ट के जिस सेक्शन का अमेंडमेंट होता है या जो रेलेवेंट होता है उसकी कापी विधेयक के साथ लगायी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि आज पेश हुआ है, इण्डियन पार्टनरशिप (राजस्थान अमेंडमेंट) बिल, उसके साथ में वह शिडयूल जिसको अमेण्ड किया जा रहा है, उसकी कॉपी लगायी है। अब यह जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसमें यूनिवर्सिटीज के जो एक्ट हैं, रेलेवेंट एक्ट हैं, एक्ट-18 उसके सेक्शन 2 का सब सेक्श्न 1 का अमेंडमेंट हो रहा है अमेंडमेंट क्या हो रहा है, आपको पढ़कर सुनाऊं—

"In sub-section (1) of section 2 of the Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974), hereinafter referred to as the principal Act, clause (i) shall be re-numbered as clause (i-a) and before clause (i-a) as so re-numbered, the following clause shall be inserted....."

उसको आप री-नम्बर कर रहे हैं वन ए और What is clause (i) which is to be re-numbered as clause (i-a) , I am entitled to know that.

उसकी कॉपी इसके साथ होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, आप तो एडवोकेट हैं, आप खुद जब इस एक्ट के लिए स्टडी करने जायेंगे कि हम किस सैक्शन में किस तरह का अमेंडमेंट कर रहे हैं, अब रेलेवेंट इसके अन्दर जो प्रोविजन्स हैं वह जब इसके साथ में नहीं हों, मैं क्या अपनी ओपिनियन फार्म करूं उसके लिए? (व्यवधान) बिल है, साहब। इस बिल के साथ में यह तो आप 2 आई को जो री-नम्बर कर रहे हैं, 2 आई के बजाय (आई-ए) लिख रहे हैं तो बताइये न, मैं देखूं तो सही क्यों आप कर रहे हैं, इसके लिए क्या नम्बर कर रहे हैं? उसका और नम्बर होना चाहिये था, क्या नम्बर होना चाहिये था तो यह इसके सामने नहीं आया। एक प्रोविजन है, आपका मेण्डेटरी प्रोविजन है, प्रणाली रही है आपकी, जैसे स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स देते हैं आप, वैसे ही इसके लिए भी देना चाहिये आपको। आपने यह दिया नहीं एक तो मेरा यह आब्जेक्शन है।

दूसरा यह है कि आप यह जो बिल असेम्बली के अन्दर ला रहे हैं इसको गजट में नोटिफाई किया या नहीं किया, यह भी जानकारी होनी चाहिये थी। मैं गजट देखता रहता हूं, मुझे कहीं नहीं मिला ऐसा बिल जो गजट के अन्दर आया हो, तो दो बातों का मंत्री जी उत्तर दें उसके बाद में आप पाइन्ट आफ आर्डर पर विचार कर लीजिये। Then he should be allowed.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नोटिफिकेशन हो गया है। यह बात सही है कि वह मूल उसका एक्सट्रेक्ट्स जुड़ना चाहिये था, गलती हो गयी, जोड़ देंगे। (व्यवधान) क्षमा करिये। यह तो एक्ट पूरा है आपके पास में।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यही पता नहीं है कि प्रपोज्ड अमेण्डमेण्ट है उसका अमेंण्डेड पोर्शन कौन सा है तो किस तरीके से उसके बारे में बोला जा सकेगा। उसका सेपरेटली अमेण्डेड पोर्शन कौन सा इन्सर्ट किया जाने वाला है उसको अलग रखा जाना चाहिये था। (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : इन्कम्प्लीट सर्कूलेशन है उसके बाद में रश-थ्रू करने की क्या जरूरत आ रही है, कल भी विधान सभा है, क्या जरूरत आ रही है? कौन सा ऐसा heaven is not going to fall. अगर आपकी कोई गलती है तो कल कर दीजिये, इसमें क्या रश-थ्रू कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? विधान सभा का जो मैन काम है उसके अन्दर आप क्या केजुअल अप्रोच रखते हैं, क्या एडवोकिज्म है कि जो कुछ कर दिया वह आप चला दें और रश-थ्रू करने की कोशिश करते हैं? आपको इसमें क्या जरूरत आ रही है? आप प्रोपरली सर्कूलेट करिये फिर आइये, क्या परेशानी है? यही समझ में नहीं आता।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल पुरःस्थापन की स्टेज है। आपने जो बात कही है निश्चित रूप से इसमें जो डिस्कसन के लिये आएगा उस समय सब प्रकार से इस बात की चर्चा हो जाएगी पुरःस्थापन की। आप कहेंगे तो मुझे कल पुट-अप करने में कोई कठिनाई नहीं है फिर भी मैं पूछना चाहता हूं कि पुरःस्थापन की—

श्री विष्णु मोदी : पुरःस्थापन के बाद में क्या करेंगे आप? आप सर्कूलेट नहीं कर रहे हैं तो पुरःस्थापन क्यों करना चाहते हैं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह प्रक्रिया सम्बन्धी गलती है, इसको इसी समय सुधारा जाना चाहिये नहीं तो परम्परा ऐसी ही बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : यह तो इन्ट्रोडक्शन की स्टेज है। अभी तो वापस पूरा डिस्कसन होगा, पूरी बात होगी। उसको इतना अभी आप ले रहे हैं, आज करेंगे तो भी और कल करेंगे तो भी यही करना पड़ेगा। सदन का समय और कामों में लगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इन्ट्रोडक्शन की स्टेज से ही अमेंडमेंट क्यों चालू हो जाते हैं?

व्यवस्था

विधेयक के उपस्थापन के समय विधेयक का सामान्यतः विरोध नहीं

श्री अध्यक्ष : आप चाहें तो मैं सुना देता हूं—विधेयक के पुरःस्थापन का साधारणतया विरोध नहीं किया जाना चाहिये, जनरली, 11 मार्च, 1954 को राजस्थान विक्रय कर विधेयक जब पुरःस्थापित हुआ, श्री हरिकृष्ण नाथ ने आपत्ति की और अध्यक्ष ने निर्णय दिया। पूरा सुना देता हूं—

"This is conventional for the House that when a Bill is introduced in the first stage, it is ordinarily allowed and when the stage of discussion on the principles comes, the hon'ble members of the House have full liberty to discuss them."

आपको फुल लिबर्टी बाद में मिल जाएगी, आप उस पर खूब डिस्कशन करेंगे और पूरी की पूरी सारी विद्वता अपनी उस समय बतायें, बहुत ही अच्छा रहेगा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन का तो आलरेडी प्रोविजन है, वह तो कानून सम्मत बात है, विधान सभा के नियमों में है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह इन्ट्रोडक्टरी स्टेज है, इस पर इतना विरोध नहीं किया जाना चाहिये।

श्री विष्णु मोदी : लेकिन सवाल इस बात का है कि यह कम्पलीट सर्कूलेशन में नहीं है, आर्डिनरिली तो हम यहां विरोध करते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कम्पलीट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सर्कूलेशन में है, यह मैम्बर की सुविधा के लिए है। जिस क्लाज में अमेण्मेंट किया जाता है उसके एक्सट्रेक्ट्स इसमें लगाये जाते हैं, यह आपको कल मिल जाएंगी, यही है।

श्री अध्यक्ष : मिल जाएंगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप हमारी सुविधाओं को छीनना चाहते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी सुविधाओं के लिए किया है वह।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : छापा क्यों नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : किसी भी अधिनियम के रेलेवेंट सैक्शन में अगर अमेण्डमेंण्ट है, यह बात सही है कि उस एक्ट के एक सैक्शन को पढ़ने से ही स्कीम आफ द एक्ट उस चैप्टर की मालूम नहीं होगी, माननीय सदस्य को ओरिजिनल इनएक्टमेंण्ट अपने पास रखना होगा लेकिन प्रश्न सुविधा का नहीं है। प्रश्न, मुख्य मन्त्री जी—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह तो जानते हैं कि it is not a part of the Bill.

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट।

श्री परसराम मदेरणा : यह परम्परा का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : It is not a part of the Bill.

यह जो एक्सट्रेक्ट्स देंगे, That is not a part of the Bill.

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह नहीं कह रहा हूं, अभी डिस्कशन की स्टेज नहीं है। आपने भी कह दिया, लैप्स हो गया, कोई बात नहीं, सवाल सुविधा का नहीं है, सुविधा की एक परम्परा 1952 से चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल नहीं चल रही है। यह सुविधा की परम्परा ही मैंने डलवायी है। आप प्रोसिडिंग्स देख लीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं। आप क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब है कि आपको—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं देते थे सुविधा।

श्री परसराम मदेरणा : हरेक अमेण्डिंग बिल के साथ में रेलेवेन्ट प्रोविजन अभी नहीं करवाया आपने। यह बहुत गलतफहमी की बात है। यह बहुत पुरानी परम्परा है इस सदन की, हमेशा रही है और परम्परा का है, सुविधा का नहीं है। सुविधा के लिए परम्परा थी इसलिए आप इसको जल्दी भिजवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो गया। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : बता दीजिये कारण कि स्टेटमेंन्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं वह पार्ट आफ द बिल नहीं हैं उसको फिर आप क्यों करते हैं इसलिए जो परम्परा चली आ रही है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : है इसमें। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टेटमेण्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स, ये प्रिएम्बल के पार्ट हैं। प्रिएम्बल होगा तो स्टेटमेंण्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स होंगे, प्रिएम्बल शुरू में ही हो गया।

श्री रामनारायण चौधरी : यह हमारे अधिकार की बात भी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके अधिकार में आ गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। आप ले लेना, उसमें कोई बात नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से—

श्री लक्ष्मण सिंह : यह गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं, यह बात मत कहिये कि कोई मेण्डेटरी बात रही है यानी आप फिर वही बात कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : परम्परा तो आज पड़ जाएगी।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को अनुमति प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे। (व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को जारी करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान उपनिवेशन (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष-महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर है। (व्यवधान) मैं आपसे

(श्री विष्णु मोदी)

निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहला पाइण्ट ऑफ आर्डर था उस को तो डिस्पोजल कर दें और कई दिन से यह सुनने में आ रहा था कि रेवेन्यू लॉ है उसमें अमेण्डमेंट ही अमेंडमेंट होते जा रहे हैं, एक काम्प्रिहेंसिव एक्ट लाने की बात थी, लेकिन क्या यह सरकार अमेंडमेंट ही करती रहेगी या काम्प्रिहेंसिव एक्ट लाने वाली है ?

श्री गंगाराम चौधरी : जब बहस के लिये आएगा तब जवाब दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बुद्धिमान सदस्य बताए जाते हैं, इससे इसका सम्बन्ध क्या है ?

श्री अध्यक्ष : अभी इस स्टेज पर यह बात न उठायें तो अच्छा है। मंत्रीजी।

राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.12 बजे शुक्रवार, 27 अक्टूबर, 1995 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट—1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

पंजीकृत निजी यात्री बसें

4. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 व 1994-95 में राज्य में जिलानुसार कितनी निजी यात्री बसों को पंजीकृत किया गया ?

(2) क्या वर्ष 1993-94 व 1994-95 में पंजीकृत सभी निजी बसों ने सवारियां लाने ले जाने के लिये विधिनुसार आवश्यक रूट परमिट ले रखे हैं ?

(3) क्या उक्त परमिट धारी निजी बसें परिवहन निगम के बस अड्डों के आस-पास ही अपना व्यवसाय चलाने के लिये अधिकृत हैं ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में पूरे राज्य में क्रमशः 2197 एवं 2215 निजी एवं पथ परिवहन निगम की बसों का पंजीकरण किया गया। जिलेवार विवरण संलग्न है। पंजीकरण करते समय निगम अथवा निजी बसों का अलग-अलग श्रेणीकरण नहीं किया जाता है।

(2) वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 में क्रमशः 1737 एवं 2095 परमिट निजी एवं पथ परिवहन निगम की बसों को जारी किये गये। मोटरयान अधिनियम, 1988 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत बस मालिक बिना परमिट की "स्पेयर" बस भी रख सकते हैं।

(3) अनुज्ञा-पत्र धारी अपनी बस को शहर में किसी भी बिन्दु से संचालन कर सकता है बशर्ते राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.58 के अन्तर्गत वैकल्पिक हाल्टिंग स्थान का निर्धारण किया हुआ नहीं है। यदि नियम 5.58 के प्रावधानों के अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्था निर्धारित की हुई है, तो उसके उल्लंघन पर बस मालिक के विरुद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 1993-94 व वर्ष 1994-95 में जिलेवार यात्री बसों के पंजीयन सम्बन्धी सूचना

क्र.सं.	नाम जिला	बसों के पंजीयन की संख्या	
		वर्ष 93-94	वर्ष 94-95
1.	जयपुर	637	426
2.	दौसा	3	33
3.	सवाई माधोपुर	63	31
4.	सीकर	41	54
5.	झुंझनूं	33	110
6.	अलवर	130	75
7.	भरतपुर	49	65
8.	धौलपुर	23	40
9.	अजमेर	133	102
10.	भीलवाड़ा	51	110

(राज्य मंत्री, यातायात)

1	2	3	4
11.	नागौर	55	43
12.	टोंक	107	66
13.	जोधपुर	214	224
14.	पाली	25	43
15.	बाड़मेर	13	38
16.	जैसलमेर	2	4
17.	सिरोही	27	28
18.	जालौर	17	26
19.	उदयपुर	88	123
20.	चित्तौड़	47	37
21.	डूंगरपुर	33	30
22.	बांसवाड़ा	52	47
23.	राजसमन्द	12	7
24.	कोटा	52	67
25.	बून्दी	17	14
26.	झालावाड़	22	33
27.	बारां	31	39
28.	बीकानेर	74	93
29.	चूरू	17	33
30.	गंगानगर	139	125
31.	हनुमानगढ़	—	49
	कुल योग	2197	2215

तारांकित प्रश्न संख्या–5

(स्थगित)

कृषि उपज मंडी समिति, लालसोट द्वारा प्रस्तावित सम्पर्क सड़कें

6. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 के लिये कृषि उपज मंडी समिति लालसोट द्वारा सम्पर्क सड़कें बनाने के प्रस्ताव सरकार को भिजवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार प्रति वर्ष मंडी समिति की आय में से 60% राशि सम्पर्क सड़कों पर खर्च करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक कृषि उपज मंडी समिति से सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव क्यों नहीं भिजवाये ?

(3) क्या यह सही है कि जन-प्रतिनिधियों द्वारा नवीन सम्पर्क सड़कों एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिये प्रस्ताव सरकार को भिजवाये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट से वर्ष 95-96 में सम्पर्क सड़क लालसोट, श्यामपुरा रोड से खोड़ियावास की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्राप्त हुए हैं।

(2) सामान्यतः मण्डी समिति के प्रशासनिक व्यय एवं अन्य अपरिहार्य व्यय के पश्चात मण्डी कोष में शेष बची धन राशि का 60 प्रतिशत सम्पर्क सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत आदि पर व्यय किया जाता है।

मण्डी समिति लालसोट में पूर्व स्वीकृत सम्पर्क सड़कों के निर्माण एवम मरम्मत हेतु वर्ष 95-96 में 39.59 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। मण्डी कोष में अधिक धन राशि उपलब्ध न होने के कारण ज्यादा नवीन सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव भिजवाया जाना सम्भव नहीं था।

(3) यह सही है कि जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से नवीन सम्पर्क सड़कों एवम् पुरानी सड़कों की मरम्मत के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण मण्डी समिति से सड़क निर्माण की नयी नीति के अन्तर्गत कराया जा रहा है। यदि प्रस्ताव नीति के अन्तर्गत आते हैं एवम् मण्डी कोष में धन राशि उपलब्ध रहती है तो इनकी स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

संरक्षित वन भूमि का अनारक्षित भूमि में परिवर्तन

7. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) एवं **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्राकृतिक दृष्टि से सुरम्य स्थान जैतसागर तालाब, बूंदी के समीप तथा कैचमेन्ट एरिया में निजी होटल व्यवसायी को आवंटित वन भूमि के अनारक्षित करने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजे गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर भारी संख्या में हरे पेड़ तथा वन विभाग की नर्सरी है? यदि हां, तो संरक्षित वन भूमि से अनारक्षित करने के प्रस्ताव भेजने के क्या-क्या कारण रहे हैं?

(3) क्या यह सही है कि हरे पेड़ों को काटने के पश्चात ही होटल निर्माण संभव हो सकेगा तथा इसी वजह से बूंदी में विगत 6 वर्षों में नियुक्त रहे मण्डल वन अधिकारियों द्वारा की गयी विवादित भूमि अनारक्षित करने बाबत अलग-अलग राय व्यक्त की गयी है? यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा दी गयी राय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भूमि आवंटन से पूर्व विभिन्न होटल व्यवसायियों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रकाशित करवाई गयी थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

(5) क्या यह सही है कि मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव निरस्त किये जा चुके हैं, यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दी गई है।

(2) यह सही है कि इस भूमि पर हरे वृक्ष तथा वन विभाग की नर्सरी है। उक्त वन भूमि

(वन मंत्री)

के अनारक्षण के प्रस्ताव पर्यटन विभाग की संस्तुति के आधार पर केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये थे।

(3) यह आवश्यक नहीं है कि होटल निमार्ण के लिए हरे पेड़ों को काटा ही जावे क्योंकि भवन निर्माण हेतु राजस्व भूमि भी उपलब्ध है। सम्बन्धित मंडल वन अधिकारियों ने कलक्टर, बून्दी द्वारा होटल के लिए भूमि आवंटन के आदेश को उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर बताते हुए सदैव यही राय दी कि चूंकि उक्त भूमि वन भूमि है। अतः वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही इसका अनारक्षण संभव होगा।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। भारत सरकार के पत्र की प्रति परिशिष्ट "ख" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

परिशिष्ट "क"

वन विभाग

क्रमांक : प. 1 (15) वन/91 — जयपुर, दिनांक 12.12.94

वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण
एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय
(मध्य क्षेत्र) बी-1/72 सेक्टर "के"
अलीगंज, लखनऊ-226020

विषय :— दी गेटवे होटल्स एण्ड गेटवे रिसोर्टस लि. बोम्बे को बूंदी जिले में होटल निर्माण हेतु 0.78 हैक्टर वन भूमि आबंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ने मंडल वन अधिकारी, बूंदी तथा ताज ग्रुप ऑफ होटल्स से प्राप्त प्रस्ताव, दो प्रतियों में संलग्न कर निवेदन है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु वन मंडल बूंदी (जिला—बूंदी) "वन खण्ड बूंदी की नंगी पहाड़ियों" में 0.78 हैक्टर वन भूमि निम्न शर्तों के अधीन मुक्त किया जाना उचित होगा :—

(1) वन भूमि का वैधानिक स्तर अपरिवर्तित रहेगा।

(2) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय तथा आवेदित वन भूमि पर विद्यमान वन उपज की मुआवजा राशि आवेदक द्वारा वन विभाग को जमा करायी जावेगी।

अतः कृपया उक्त वन क्षेत्र भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति भिजवाने की व्यवस्था करें।

भवदीय

उप शासन सचिव

परिशिष्ट 'ख'

सेवा में,

सचिव,
वन विभाग, राजस्थान सरकार
जयपुर।

विषय—दी गेटवे होटल्स एवं गेटवे रिसोर्टस लि. बोम्बे को बूंदी जिले में होटल के निर्माण हेतु 0.78 हैक्टेयर वन भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या 1 (15)/वन/91 दिनांक 12.12.94 का अवलोकन करें जिसके द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तनकर उसे गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग सम्बन्धित स्वीकृति भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम की धारा (2) के तहत मांगी गयी है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव विचार करने के पश्चात मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि वन संरक्षण अधिनियम, के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसे कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति सम्भव नहीं है। अतः बूंदी जिले में दी गेटवे होटल्स एवं गेटवे रिसोर्टस लि. को होटल निर्माण हेतु 0.78 हैक्टेयर वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धित प्रस्ताव निरस्त किया जाता है।

भवदीय,
(समीर सहाय)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों का सृजन

8. **श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल)** : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार पंचायत समितियों के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

पंचायत समितियों के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित करने का राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति लालसोट में संचालित केन्द्र

9. **श्री खंगार सिंह चौधरी** (खारची) एवं **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति लालसोट में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किस-किस गाँव में केन्द्र चलाये जा रहे हैं, केन्द्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों द्वारा कितनी महिलाओं एवं कितने बालकों को लाभान्वित किया जा रहा है ? केन्द्र-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(3) क्या सरकार एवं विभाग को उक्त केन्द्रों के संचालन में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

(4) क्या सरकार महिला-बाल विकास केन्द्रों को ठीक से चलाने के लिये जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, लालसोट में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 167 आँगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें से 102 केन्द्र आरम्भ करने की प्रारम्भिक कार्यवाही करली गयी है। इन 102 केन्द्रों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) उक्त केन्द्रों पर लाभान्वितों की संख्या शून्य रही है, क्योंकि अभी इन केन्द्रों पर पोषाहार वितरण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है एवं ये केन्द्र पूर्णतः संचालित नहीं हो पाये हैं। इसके उपरान्त ही लगभग 8000 महिलाओं व बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, हां। इस सम्बन्ध में जिला, खण्ड एवं ग्राम स्तर पर बाल विकास महिला समितियों के गठन के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

परिशिष्ट 'अ'

बाल विकास परियोजना, लालसोट में संचालित केन्द्रों की सूची

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	क्र. सं.	केन्द्र का नाम
1.	मिर्जापुरा	2.	देवली-I
3.	देवली-II	4.	बरेड़ी
5.	बाँदसेन	6.	इन्दावा-I
7.	इन्दावा-II	8.	बोल
9.	डिगो-I	10.	डिगो-II
11.	टोडागांगा/धाकड्या	12.	खटुम्बर
13.	डिगो-III	14.	श्रीरामपुरा
15.	सोनन्दा	16.	डिडवाना -I
17.	डिडवाना-II	18.	डिडवाना -III
19.	डिडवाना-II	20.	डिडवाना-I
21.	सलेमपुरा	22.	बिडोली
23.	अमराबाद	24.	रालावास
25.	टोरड़ा	26.	डिडवाना-I-I
27.	डिडवाना -I-II	28.	सोनड़-I
29.	सोनड़-II	30	रामगढ़ पचवारा-I
31.	रामगढ़ पचवारा-II	32.	रामगढ़ पचवारा-III

(95)

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	क्र. सं.	केन्द्र का नाम
33.	रामगढ़ पचवारा-II	34.	रामगढ़ पचवारा-I
35.	कुशलपुरा	36.	नापाकावास
37.	सिन्दोली	38.	बिवरवा
39.	अभयपुरा	40.	बीलवा
41.	चान्दावास	42.	ब्यासों का नोहरा
43.	हामावास	44.	डूँगरपुर
45.	कोलीवाड़ा	46.	नयावास
47.	कूतलवास	48.	टोडामीना
49.	राहेवास	50.	कालूवास
51.	गोपालपुरा	52.	जीतपुर
53.	निवोनिया	54.	बिलोना कला-I
55.	बिलोना कला-II	56.	बगडी-I
57.	महारिया-I	58.	महारिया-II
59.	खटवा-I	60.	खटवा-II
61.	खटवा-III	62.	खेड़ली
63.	मण्डावरी-I	64.	मण्डावरी-II
65.	सूरतपुरा-I	66.	पट्टी किशोरपुरा
67.	पट्टी महाराजपुरा	68.	मण्डावरी-II
69.	टोडा ढेकला-I	70.	टोडा ढेकला-II
71.	किशोरपुरा-I	72.	किशोरपुरा-II
73.	खुर्रा	74.	सूरतपुरा-II
75.	समेल	76.	श्रीमा-I
77.	श्रीमा-II	78.	मखलाना
79.	धूनियाधिराजपुरा-I	80.	धूनियाधिराजपुरा-II
81.	होदायली	82.	शिवसिंहपुरा-I
83.	शिवसिंहपुरा-II	84.	दौलतपुरा-I
85.	दौलतपुरा-II	86.	तलाबगाँव
87.	दौलतपुरा-III	88.	महाराजपुरा
89.	अजबपुरा	90.	रतनपुरा
91.	बौंडियावास	92.	निर्झरना-I
93.	श्यामपुरा कला	94.	झाँपदा
95.	नालावास	96.	झाँपदा
97.	निर्झरना-II	98.	निर्झरना-III
99.	श्रीया	100.	संवासा-I
101.	संवासा-II	102.	गोकुलपुरा

उपवैध राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, महेश्वर कलां (दौसा) का वेतन निर्धारण-प्रकरण

10. श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री राम स्वरुप शर्मा उप वैध, राजकीय आयुर्वेद औषधालय महेश्वर कलां (दौसा) जिनकी सेवा निवृत्ति जून 1996 में होनेवाली है का वर्ष 1981 का वेतन स्थरीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी द्वारा वेतन स्थरीकरण हेतु विकल्प पत्र राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय महेश्वर कलां (दौसा) के पत्रांक 5/17-4-1983 द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी "ब" क्षेत्र जयपुर को यू. पी. सी. के जरिये भिजवाया गया था, जिसकी फोटो प्रति सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा सम्बन्धितों को जुलाई, 1995 में पुनः प्रेषित कर वेतन स्थरीकरण हेतु निवेदन किया गया है? यदि हाँ, तो उक्त कर्मचारी का वेतन स्थरीकरण अब तक न करने के क्या कारण रहे? इनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी रहे? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका का प्रमाणीकरण एवं सेवा निवृत्ति पूर्व की अन्य कार्यवाहियाँ भी अभी तक पूरी नहीं की गयी हैं? यदि हाँ, तो क्यों? उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर दी जाएगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि आयुर्वेद राज्य मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में अपने-पत्र संख्या 1403/अ. रा. मं/95 दिनांक 18-9-1995 द्वारा इस मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को दिया गया था? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त कर्मचारी का वर्ष 1981 में वेतन निर्धारित कर 1981 से वेतन विसंगति दूर कर एरियर का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो फिक्सेशन कब तक कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि श्री रामस्वरुप शर्मा, कम्पाउण्डर, राजकीय आयुर्वेद, औषधालय महेश्वर कलां जिला दौसा, जिनकी सेवानिवृत्ति माह जून 96 में होने वाली है, का वर्ष 1981 का वेतन स्थिरीकरण किया जा चुका है।

(2) उक्त कम्पाउण्डर ने अपना विकल्प पत्र देरी से दिनांक 17-4-1983 को हस्ताक्षर कर भेजना लिखा है, जबकि विकल्प देने की अन्तिम तिथि दिनांक 16-4-1983 थी। कर्मचारी का स्थरीकरण, निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण दिनांक 1-9-81 से वेतन 660/- रुपये पर दिनांक 25-1-80 को निर्धारित किया जा चुका है। विलम्ब की जाँच के लिये दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध जाँच करने हेतु निर्देश अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद को दिये जा चुके हैं। जाँच प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में मार्च, 1995 तक की सेवा का प्रमाणीकरण किया जा चुका है। सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित कार्यवाही अभी नहीं की गयी है, सेवानिवृत्ति के पूर्व यथा समय पूर्ण कर दी जावेगी।

(राज्य मंत्री आयुर्वेद)

(4) जी, नहीं। वरन उक्त कर्मचारी का दिनांक 24-8-95 का प्रार्थना पत्र मूल ही निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर को भेजकर पत्र में वर्णित बिन्दुओं की जाँच कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये हैं। जाँच करने पर यह पाया गया कि कम्पाउण्डर श्री रामस्वरूप शर्मा का नियमानुसार 1-9-81 को वेतन स्थिरीकरण किया जा चुका है।

(5) जी, नहीं। पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 1983 के नियम 14(ख) (4) के अनुसार विकल्प पत्र के आधार पर हुई वेतन विसंगति मान्य नहीं होने से पुनः वेतन निर्धारित करने का मामला नहीं बनता है।

रामगढ़ (अलवर) में रीको द्वारा अवाप्त भूमि

11. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर की तहसील रामगढ़ के पास रीको द्वारा किसी उद्योग के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गयी थी? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं?

(2) उपरोक्त स्थान पर कौनसा कारखाना/उद्योग लगाया जाएगा?

उत्तर

(1) जी, हां। जिला अलवर की तहसील रामगढ़ के ग्राम बड़ोद एवं दोहली की 353 बीघा 12 बिस्वा भूमि इण्डियन टोबको कम्पनी (आई. टी. सी.) द्वारा प्रस्तावित उद्योग के लिए अवाप्त की गयी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा रीको के पक्ष में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 व 6 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं प्रसारित की गयी, तदुपरांत दिनांक 28.7.1994 को भूमि अर्जन अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के अवार्ड का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया।

(2) उक्त भूमि पर आई. टी. सी. लि. द्वारा वृहद खाद्य तेल के संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित थी। किन्तु अब आई. टी. सी. द्वारा उक्त भूमि पर प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना का विचार त्याग दिया गया है। अब वैकल्पिक विनियोजन के लिए रीको द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम जहाज (झुंझुनूं) के उच्च प्राथमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक का पदस्थापन

12. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले के ग्राम जहाज में उच्च प्राथमिक शाला क्रमोन्नत होने से सितम्बर, 1995 तक कोई द्वितीय श्रेणी अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक का पद स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त शाला में अब तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक का पद स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण रहे? क्या सरकार ऐसे अधिकारी जिनको लापरवाही से उक्त शाला में द्वितीय श्रेणी अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं हुआ है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले के जहाज ग्राम में प्राथमिक विद्यालय कई वर्षों पूर्व उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जा चुका है। सामान्यतया प्राथमिक विद्यालय को उ. प्रा. विद्यालय में क्रमोन्नत करते समय दि. श्रे. अ. का एक पद प्रथम वर्ष में सृजित कर दिया जाता है इस विद्यालय के द्वि. वे. श्र. के पद सृजन के बारे में जांच करके सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(2) जी, हां। जांच के पश्चात यह पद स्वीकृत नहीं पाया तो शीघ्र सृजित कर दिया जाएगा।

(3) जांच के पश्चात सूचना स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात सूचना सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

डीग (भरतपुर) में परिवहन निगम का बस स्टैण्ड

13. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या सरकार डीग में राज्य पथ परिवहन निगम का नया बस स्टेण्ड खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। डीग में वर्तमान में स्थानीय नगर पालिका द्वारा निर्मित बस स्टेण्ड निगम द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है। निगम एवं यात्रियों की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए यह बस स्टेण्ड पर्याप्त है।

विधान सभा क्षेत्र निवाई में निर्मित सड़कें

14. **श्री बनवारी लाल बैरवा** (निवाई) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गत वर्ष और इस वर्ष सड़क निर्माण कार्य कराये गये हैं। यदि हां, तो सड़कों के नाम एवं प्रगति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

मण्डी समिति की निधि द्वारा निर्मित सड़कें

क्रसं.	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई	वर्तमान प्रगति
1.	स. स. सिरोही से श्री रामपुरा	3.00	कार्यादेश जारी किया जा चुका है।
2.	स. स. जोधपुरिया से चतुरभुजपुरा	3.00	मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।
2.	स. स. जोधपुरिया से सुनारा	3.00	मिट्टी का कार्य प्रगति पर है।
4.	स. स: टोंक रोड़ से जोला	4.00	3 किमी में कुठाई कार्य पूर्ण हो चुका है।

(राज्य मंत्री, कृषि)

कृषि विकास परियोजना (वर्ल्ड बैंक) के अन्तर्गत निर्मित सड़कें

क्रसं.	सम्पर्क सड़क का नाम	लम्बाई	वर्तमान प्रगति
1.	स. स. सड़क चैनपुरा से जलवाड़ी	12.17	डामरीकरण का कार्य पूर्ण 12.17 किमी
2.	स. स. सिरोही से टीटोली बड़ा गांव	4.975	डामरीकरण का कार्य पूर्ण 4.61 कि.मी. शेष में भूमि अवाप्त न होने के कारण कार्य रुका हुआ है।
3.	स. स. जामडोली से बहड़	1.90	डामरीकरण कार्य पूर्ण 1.65 किमी. में शेष कार्य भूमि अवाप्त न होने के कारण रुका हुआ है।
4.	स. स. पराना से नठवाड़ा	9. 125	कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
5.	स. स. चिरांच-मण्डावर रोड से हथौला	6.05	कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
6.	स. स. निवाई डॉगरथल रोड से डागरथल	8.350	कार्य प्रारम्भ नहीं।
7.	स.स. झिलोई-सिरोही रोड से सिरोही	3.450	कार्य प्रारम्भ नहीं।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रान्सफार्मर्स पर नये ओ. सी. बी.

15. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर के ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत लाइनें कुम्हेर से जाती हैं पर ओ. सी. बी. नहीं लगे रहने या पुराने नाकारा लगे होने के कारण विद्युत आपूर्ति में कठिनाई आ रही है और ग्रामों में रात्रि को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है ?

(2) यदि हां, तो विभाग द्वारा कुम्हेर में नये ओ. सी. बी. कब तक लगा दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) कुम्हेर सब स्टेशन से ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत लाइनें जा रही हैं उन पर ओ.सी.बी. क्योस्क काफी पुरानी होने का कारण कुछ समय से आवश्यकता के अनुरूप काम नहीं कर पा रही हैं जिसके कारण जब कभी फाल्ट आ जाता है तो सप्लाई 33 के.वी. से ट्रिप नहीं होती है तथा पूरी सप्लाई 132 के.वी. जी. एस.एस. से ट्रिप हो जाती है जिसके कारण सप्लाई चालू होने में अधिक समय लग जाता है।

(2) उक्त सब स्टेशन पर नये क्योस्क शीघ्र लगाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र नावां में प्राथमिक विद्यालय

16. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) तहसील नावां जिला नागौर में चालू वित्तीय वर्ष में कितने नवीन विद्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की गई ? खोले गये विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस वर्ष सरकार द्वारा तहसील नावां में घोषित नए राजस्व ग्रामों में कितने प्राथमिक

(श्री रामेश्वरलाल चौधरी)

विद्यालय खोलने का सरकार का विचार है? उक्त विद्यालय कब तक खोले जावेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस विभाग के अधीन पंचायत समितियों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शालाएं खोले जाने हेतु निम्न मानदण्ड हैं—

1. सामान्य क्षेत्रों में 250 से अधिक की जनसंख्या।
2. जनजाति क्षेत्र तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में 150 से अधिक की जनसंख्या।

(2) वर्ष 1995-96 में नावां तहसील में कोई नवीन प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया।

(3) इस वर्ष राज्य में कुल 510 नवीन प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने का लक्ष्य है। उक्त सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

नीमकाथाना (सीकर) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

17. **श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) :** क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले की नीमकाथाना पंचायत समिति में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिये सरकार द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(3) 1995-96 में सरकार द्वारा पंचायत समिति नीमकाथाना में कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति दी गयी है? उनमें से कहां-कहां आंगनबाड़ी केन्द्र खोल दिये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

उत्तर

(1) सीकर जिले की नीमकाथाना पंचायत समिति में वर्तमान में 147 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "अ")

(2) बाल विकास परियोजना अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का मुख्य आधार ग्राम की जनसंख्या है। शहरी/ग्रामीण क्षेत्र की परियोजना में औसतन 1000 की आबादी पर एक केन्द्र, स्वीकृत किया जाता है। गाँव की शत प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की होने पर 700 की जनसंख्या पर भी केन्द्र खोल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के आर्थिक, भौगोलिक एवं सामाजिक परिवेश का ध्यान भी केन्द्र खोलते समय रखा जाता है।

(3) पंचायत समिति नीमकाथाना में कोई नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र वर्ष 1995-96 में खोलने की स्वीकृति नहीं दी गयी।

नीमकाथाना पंचायत समिति में कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	केन्द्र/गांव का नाम	क्र.सं.	केन्द्र/गांव का नाम
1.	2.	1.	2.
1.	पाटन "ए"	3.	पाटन "सी"
2.	पाटन "बी"	4.	राजपुरा

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

1.	2.	1.	2.
5.	धाधेला "ए"	40.	मावण्डा कला "सी"
6.	धाधेला "बी"	41.	गणेश्वर "ए"
7.	डोकन "ए"	42.	गणेश्वर "बी"
8.	डोकन "बी"	43.	गणेश्वर "सी"
9.	न्योराना	44.	गणेश्वर "डी"
10.	कोंचरेडा	45.	हगणेश्वर "ई"
11.	रायपुर पाटन "ए"	46.	गांवडी "ए"
12.	रायपुर पाटन "बी"	47	गांवडी "बी"
13.	रायपुर पाटन "सी"	48.	गांवडी "सी"
14.	हसामपुर "ए"	49.	गांवडी "डी"
15.	हसामपुर "बी"	50.	गांवडी "ई"
16.	बल्लुपुरा	51.	गांवडी "एफ"
17.	बोपिया	52.	महावा "ए"
18.	दलपतपुरा "ए"	53.	महावा "बी"
19.	दलपतपुरा "बी"	54.	महावा "सी"
20.	मोठूका	55.	निमोद
21.	बेजाकी नांगल	56.	जिताला
22.	मावण्डा खुर्द "ए"	57.	दीपावास
23.	जोस्यांकी ढाणी	58.	मोकलवास
24.	मावण्डा खुर्द "सी"	59.	दरीबा
25.	बन्धा की ढाणी	60.	टोडा "ए"
26.	मावण्डा खुर्द "ई"	61.	टोडा "बी"
27.	मावण्डा खुर्द "एफ"	62.	सिरोही "ए"
28.	मौकडी "ए"	63.	सिरोही "बी"
29.	मौकडी "बी"	64.	सिरोही "सी"
30.	कोटडा	65.	सिरोही "डी"
31.	गोरफनपुरा	66.	सिरोही "ई"
32.	मैडोली	67.	सिरोही "एफ"
33.	कैरवाली	68.	भूदोली "ए"
34.	नया बास "ए"	69.	खोरा की ढाणी
35.	नया बास "बी"	70.	नली की ढाणी
36.	नांका की नांगल "ए"	71.	भूदोली "डी"
37.	नांका की नागल "बी"	72.	भूदोली "एफ"
38.	मावण्डा कला "ए"	73.	भूदोली "जी"
39.	मावण्डा कला "बी"	74.	भूदोली "एच"

1.	2.	1.	2.
75.	पुराना बास "ए"	111.	प्रितमपुरी "डी"
76.	पुरानाबास "बी"	112.	हरजनपुरा "ए"
77.	पुरानाबास "सी"	113.	हरजनपुरा "बी"
78.	नापावली	114.	जस्सीकान "ए"
79.	ओगा "पीएस"	115.	गोविन्दपुरा "बी"
80.	ओगा गांव	116.	गोविन्दपुरा "सी"
81.	भगोठ	117.	गुहाला "ए"
82.	राजूवाली	118.	गुहाला "बी"
83.	हीरा का वाली	119.	गुहाला "सी"
84.	पूंछलावाली	120.	गुहाला "डी"
85.	ढाणी गुमानसिंह	121.	गुहाला "ई"
86.	गोडावास	122.	गुहाला "एफ"
87.	शिराणा	123.	गुहाला "जी"
88.	डाबला "ए"	124.	गुहाला "एच"
89.	डाबला "बी"	125.	ठिकरीया
90.	डाबला "सी"	126.	अजेमरी "ए"
91.	जीलो "ए"	127.	अजमेरी "बी"
92.	जीलो "बी"	128.	अजमेरी "सी"
93.	जीलो "सी"	129.	रामपुर जागीर "ए"
94.	दयाल का नांगल	130.	रामपुर जागीर "बी"
95.	बिहार	131.	किशोरपुरा "ए"
96.	शिमली	132.	किशोरपुरा "बी"
97.	सयालोदग	133.	टटेरा "ए"
98.	किशोरीपुरा	134.	टटेरा "बी"
99.	बिहारीपुरा "ए"	135.	जुगलपुरा
100.	बिहारीपुरा "बी"	136.	पीथलपुर
101.	श्यामपुरा	137.	सावलपुरा शेखावतान
102.	कंवर की नांगल	138.	सांवलपुरा तंवरान
103.	गांवली	139.	घाटा गुवार
104.	चला "ए"	140.	चीपलाटा (मारू की ढ़ाणी)
105.	चला "बी"	141.	चीपलाटा "बी"
106.	चला "सी"	142.	चीपलाटा "सी"
107.	चला "डी"	143.	चीपलाटा "डी"
108.	प्रितमपुरी "ए"	144.	चीपलाटा "ई"
109.	प्रितमपुरी "बी"	145.	ढहर जोड़ीवाली
110.	प्रितमपुरी "सी"	146.	पांचा खटकड़ा
		147.	मीना की नांगल

विदेशी उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योग

18. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में विदेशी उद्यमियों द्वारा अथवा संयुक्त रूप से कौन-कौन से उद्योग कब-कब कहां-कहां पर स्थापित किये जा चुके हैं? उक्त उद्योगों में कितनी पूंजी सरकार (रीको/आर.एफ.सी.) की निवेश की गयी है?

(2) सरकार के पास एन.आर.आई. व मल्टीनेशनल्स द्वारा भविष्य में कहां-कहां पर कौन कौन से उद्योग लगाने के प्रस्ताव किस-किस के द्वारा दिये गये हैं? उक्त उद्योगों में से किन्हें स्वीकृत किया जायेगा व किन्हें अस्वीकृत? अस्वीकृत करने के क्या कारण होंगे?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में प्रदेश में विदेशी उद्यमियों द्वारा अथवा संयुक्त रूप से जो उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं उनकी सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रखी दी गयी है। उक्त सूची में ही रीको एवं आर.एफ.सी. द्वारा की गयी पूंजी निवेश की सूचना का भी उल्लेख किया गया है।

(2) अनिवासी भारतीयों एवं विदेशी निवेशकों द्वारा भविष्य में उद्योग स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है। प्रस्तावों को स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के विद्यालयों के रिक्त पद

19. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़ तहसील में कितने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस सत्र में उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में सभी रिक्त पद भर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शेरगढ़ तहसील में पिछले दो वर्षों में निम्न प्रकार से विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं :—

वर्ष 94-95	वर्ष 95-96
प्रावि से उप्रावि	प्रावि से उप्रावि
1. सरानाड़ा	1. चतरपुरा
2. छीपों की ढाणी	2. गुमानपुरा
3. सतरावा	3. देदाबेरा
उप्रावि से मावि	उप्रावि से मावि
1. चोरडिया	—

(2) जी, नहीं। रिक्त पदों की पूर्ति नहीं करने का मुख्य कारण निम्न प्रकार से है :—

1. नवनियुक्त आशार्थियों के द्वारा कार्य ग्रहण नहीं करना।
2. पदोन्नति पर पदोन्नति का परित्याग
3. सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि है।

निगम आगारों पर कार्यरत मुख्य प्रबन्धक

20. श्री हरिसिंह (महुवा) एवं **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

(1) प्रदेश में राज्य पथ परिवहन निगम के कितने आगार स्थापित हैं? तथा उन पर वर्तमान में कौन-कौन मुख्य प्रबन्धक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्य प्रबन्धकों के पदों पर कार्यरत वर्तमान व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में मुख्य प्रबन्धक पद पर कार्यरत व्यक्ति इस पद पर नियुक्ति से पूर्व किस पद पर कार्यरत थे?

(4) मुख्य प्रबन्धक पद पर नियुक्तियों के संबंध में पथ परिवहन निगम की निर्धारित नीति क्या है?

(5) क्या निगम ने मुख्य प्रबन्धक पद पर नियुक्ति हेतु कुछ मानदण्ड बना रखे हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में राज्य पथ परिवहन निगम के 45 आगार स्थापित हैं। आगार एवं कार्यरत मुख्य प्रबन्धकों की सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) मुख्य प्रबन्धकों की योग्यता परिशिष्ट "अ" पर हीं सम्मिलित की गयी है।

(3) पूर्व पद की सूचना भी परिशिष्ट "अ" में सम्मिलित है।

(4 व 5) 1991 से निगम संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार निगम प्रशासन वेतनमान संख्या 11 (1400-2600) से वेतनमान संख्या 17 (3000-4500) तक के अधिकारियों को मुख्य प्रबन्धक के पद पर लगता आ रहा है।

(सूची/सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला झुंझुनूं में कृषि कनेक्शन

21. **श्री शीशराम ओला** (झुंझुनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं में एक पोल, दो पोल कनेक्शन काश्तकारों को वर्ष 1995-96 में कितने दिये जा चुके हैं तथा कितने देने शेष हैं? ऐसे कितने कनेक्शन हैं जिनके डिमाण्ड नोटिस जारी होने व माह जुलाई, अगस्त 1995 में राशि जमा हो जाने के बाद भी किसानों को कनेक्शन अभी तक नहीं मिले हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? प्रत्येक का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नर्सरी योजना के तहत किसानों को राशि जमा होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर कनेक्शन देने के राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के आदेश हैं? यदि हां, तो इस योजना के तहत जिला झुंझुनूं में अब तक 15 दिन की अवधि के अन्दर कितने कनेक्शन इस वर्ष में दिये गये हैं और कितने कनेक्शन देने शेष हैं तथा इनके शेष रहने के क्या कारण हैं? कारण सहित पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अभी भी उक्त सभी प्रकार के लम्बित कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में एक पोल-दो पोल श्रेणी के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में दिनांक

(ऊर्जा मंत्री)

15-10-96 तक 923 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं व 1261 कृषि कनेक्शन दिया जाना शेष है। उक्त श्रेणी में माह जुलाई, 1995 तक 885 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा थी। माह जुलाई, 1995 तक 282 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। माह अगस्त, 1995 तक 976 आवेदकों के मांग पत्र की राशि जमा थी। माह अगस्त, 1995 तक 371 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। शेष आवेदकों के जिनके कि मांग पत्र की राशि अगस्त 1995 तक जमा है। खेतड़ी पंचयत 82 कृषि कनेक्शन न्यायालय की रोक के कारण जारी नहीं किये गये हैं। चूंकि यह योजना इतनी लोकप्रिय रही है कि हजारों प्रार्थना-पत्र इस श्रेणी में प्राप्त हुये हैं, अतः कनेक्शन दिये जाने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है।

(2) जी, नहीं। नर्सरी श्रेणी योजना में किसानों को राशि जमा होने की तिथि से पन्द्रह दिन के अन्दर विद्युत कनेक्शन दिये जाने के आदेश प्रसारित नहीं हैं, अपितु इस योजना के अन्तर्गत आवेदकों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिवस में मांग पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रसारित हैं। झुंझुनूं जिले में आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर कोई कनेक्शन जारी नहीं किया गया है।

(3) जी, हां। उक्त सभी प्रकार के लम्बित कनेक्शनों को सामान की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र कनेक्शन दिये जाने के प्रयास जारी हैं।

जिला आयोजना समितियों का गठन

22. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव सम्पन्न होकर नयी संस्थाओं ने किस-किस तिथि से कार्य करना प्रारम्भ किया है?

(2) क्या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अन्तर्गत जिला आयोजना समितियां गठित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक उक्त अधिनियम की उक्त धारा की पालना क्यों नहीं की जा सकी?

उत्तर

(1) राजस्थान में ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन चरणों में दिनांक 31.1.95, 3.2.95 एवं 7.2.95 तथा पंचायत समितियाँ एवं जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव दिनांक 20.1.95 को कराये गये थे। प्रमुखों के चुनाव 13.2.95 तथा 14.2.95 को कराये गये। प्रधानों के चुनाव 15.2.95 तथा 16.2.95 को कराये गये। पंचायतों, पंचायत समितियाँ तथा जिला परिषदों ने चुनाव की तारीख से ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

(2) जी, हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 के अन्तर्गत जिला आयोजना समितियां के गठन का प्रावधान है। राज्य सरकार इस धारा की पालना हेतु जिला आयोजना समितियों का शीघ्र गठन करने के लिए विचार कर रही है।

पैलेस ऑन व्हील्स के प्रचार-प्रसार पर व्यय

23. श्रीमती बीना काक (सुमेरपुर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती बीना काक)

(1) पैलेस ऑन व्हील गाड़ी के प्रचार-प्रसार करने के लिए किस-किस अधिकारी एवं अन्य व्यक्तियों ने गत 2 वर्षों में विदेश यात्राएँ कीं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन यात्राओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई तथा इससे सरकार को क्या-क्या लाभ हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शून्य।

(2) प्रश्न ही नहीं है।

वाहन चालक के पदों पर अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों की नियुक्ति

24. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में वाहन चालक के पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की नियुक्ति 12 प्रतिशत के मुकाबले मात्र 4.3 प्रतिशत ही है तथा 15 पद रिक्त होने के उपरान्त भी आरक्षण में अधिशेष रहे पदों (बैकलाग) पर उक्त वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या शिक्षा उप निदेशक, कोटा द्वारा इस सम्बन्ध में पत्रांक शिउनि/को/संस्था/4/92 दिनांक 27 फरवरी, 1992 लिखा गया था? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वाहन चालक के अनुज्ञापत्र धारक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से वाहन चालकों के पदों पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस बाबत क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग में वाहनों की स्थिति खराब होने के कारण रिक्त चल रहे पदों पर पदोन्नति/नियुक्तियाँ नहीं की जा रही हैं, क्योंकि विभाग में कार्यरत वाहन चालक भी अधिशेष हैं। परिणामस्वरूप बैकलॉग की पूर्ति वाहन उपलब्ध होने पर ही किया जाना संभव हो सकेगा।

(2) जी, हां। पत्र की प्रति प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(3) वाहन चलाने की अनुज्ञा के आधार पर नियुक्ति/पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है। अनुज्ञा पत्र के साथ-साथ निर्धारित योग्यता का होना आवश्यक है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा वेतन श्रृंखला 1 से 6 पर नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। प्रतिबन्ध हटने पर राज्य सेवा नियुक्ति हेतु निर्मित नियमों के तहत नियुक्तियाँ/पदोन्नति की कार्यवाही की जावेगी।

किसानों को विद्युत आपूर्ति

25. **श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा किसानों को आठ (8) घण्टे विद्युत आपूर्ति की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किसानों को वर्तमान में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है?

(2) क्या विद्युत आपूर्ति नहीं होने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में क्षतिपूर्ति करने

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार भविष्य में किसानों को आठ घण्टे विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। आश्वासन के अनुकूल कृषि कार्यों हेतु सामान्यतः 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति यथा संभव की गयी है। लेकिन राज्य में जब कभी विद्युत उपलब्धि में अचानक काफी कमी आ जाती है तो ऐसे समय में राज्य द्वारा बाहर के स्रोतों से एवं पड़ौसी राज्यों से मंहगी दर पर बिजली खरीद कर कृषि क्षेत्रों में प्राथमिकता देते हुये बिजली उपलब्ध कराई जाने के प्रयास किये जाते हैं। इसके लिए राज्य को अधिक खर्च वहन भी करना पड़ता है। वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 8 घण्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

(2) राज्य द्वारा कृषि कार्य हेतु सामान्यतया 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति यथा संभव की गयी है तथा विद्युत की कमी होने पर भी यथा संभव बाहरी स्रोतों से एवं पड़ौसी राज्यों से मंहगी दर से विद्युत खरीद कर कृषि कार्य को प्राथमिकता देते हुए विद्युत आपूर्ति के प्रयास किये गये हैं। इस प्रकार अपरिहार्य कारणों को छोड़कर किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत उपलब्ध कराई गयी है। अतः फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति किये जाने का प्रश्न नहीं है। वैसे इन परिस्थितियों में फसलों को कोई विशेष नुकसान हुआ हो इसकी जानकारी नहीं है।

(3) जी, हां। उपलब्धि के अनुरूप यथा संभव 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति के प्रयास किये जा रहे हैं। कुल तीन हजार मेगावाट विद्युत राज्य में काम में आती है उसमें से राज्य में केवल एक हजार मेगावाट ही उत्पादित होती है—बाहर से प्राप्त बिजली करीब दो हजार मेगावाट होती है, जिस पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है। समस्त उत्तरी भारत में बिजली की कमी है। अतः उसका प्रभाव राजस्थान में पड़े बिना नहीं रह सकता है, फिर भी यथा संभव मंहगी से मंहगी बिजली खरीद कर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जा रही है।

परिशिष्ट—2

अतारांकित प्रश्न संख्या-2 की सूची

विदेशी साझे एवं सहयोग से स्थापित इकाइयों की सूची

सूची (क)

(रु. लाख में)

क्र.सं.	नाम कम्पनी	उत्पाद	विदेशी कम्पनी का नाम	स्वीकृति का दिनांक	कुल निवेश	विदेशी विनियोजन
1.	एक्स एल ओ सनवा मिडलेण्ड लि.	एयर ब्रेक्स	सनवा मिडलेण्ड लि., जापान	27.11.84	362.00	10.00
2.	स्टेनफोर्ड इन्जीनियरिंग लि.	एक्सकावेटरस	फेज एडर मशीनरी ब्रिक गुप पश्चिमी जर्मनी	18.7.84	448.00	15.00
3.	मोर्डन इन्सूलेटरस लि.	इन्सूलेटरस	सीमेन्स ए जी पश्चिमी जर्मनी	27.3.86	2596.00	124.00
4.	इण्डे रबर लि.	कोल्ड रिट्रेडिंग-रबड़	बन्डेग इनकारपोरेटेड लावा USA	28.2.81	852.00	71.50
5.	विन्टर मिश्रा डायमण्ड एण्ड टूल्स लि.	डायमण्ड टूल्स	डायमण्ड विन्टर GMBH जर्मनी	17.9.84	137.50	9.00
6.	ब्रिटिश हैल्थ इण्डिया लि.	हैल्ड फूड	बूकर हैल्थ फूड्स लि. UK	28.3.88	136.55	22.60
7.	किन्जल इण्डिया समय लि.	वाच मोड्यूल्स	किजल अरनेफेब्रिकन जी एम बीच, पश्चिमी जर्मनी	12.8.86	490.00	24.05
8.	निहोन निर्माण लि.	सफेद सीमेन्ट	निहोन सीमेन्ट कम्पनी, जापान	24.1.87	4125.00	136.00
9.	पोलर मार्मो लि.	कल्चरड मार्बल	ब्रेटन एस.पी.ए., इटली	13.3.89	1072.00	21.00

108

195

क्र.सं.	नाम कम्पनी	उत्पाद	विदेशी कम्पनी का नाम	स्वीकृति का दिनांक	कुल निवेश	विदेशी विनियोजन
10.	आडियो टेक सिस्टम इण्डिया लि.	लेंगवेज लैब	आडियोटेक ओ वाई फिनलेण्ड	9.10.91	104.10	17.50
11.	यूनीकेलर इण्डिया प्रा. लि.	मेल्टशीट	मैटेक होलडींग लि. स्वीटजरलैण्ड	28.3.92	338.00	40.83
12.	सैमकोर ग्लास लि.	टीवी ग्लास सैल	कोनिंग आर एन सी यूएसए (कोरिंग)	26.5.93	20800.00	2773.00
*13.	वर्ल्ड वाईड होर्टीकल्चर लि.	फलोरीकल्चर	स्वालन फिल्ड कन्सलटेंसी ए डिवीजन ऑफ साऊथन ग्लास यू. के.	30.3.94	310.00	21.00
14.	राजस्थान पोलीमर्स एण्ड रेजींग लि.	एबीएस रेजींग	एमजीओ टैक्नोकीम एण्ड प्लास्ट	4.12.92	7300.00	775.00
*15.	विन्सन ब्रेवरीज लि.	बियर	हैनीमर बू जर्मनी	19.3.94	2096.24	300.00
16.	टेक गैस इक्वीपमेंटस लि.	आक्सीजन गैस	कार्बो गैस स्वीटजरलैण्ड	17.6.94	1330.00	225.00
17.	राठी माफिक्स टैक्नोलोजीकल लि.	टोनर डवलपर	राबेन इण्डस्ट्रीज लि. यूएसए	28.1.94	715.00	30.00
18.	जीनस ओवरसीज लि.	हाइब्रिड माइको	बीएमबी. बैन्ड प्रोडक्शन्स जर्मनी	25.11.94	1580.00	45.00
19.	टैरीफैब इण्डिया लि.	टेरीटावल	मालबेनी कारपोरेशन, जापान	3.1.95	1942.00	25.00
20.	सिप्का इण्डिया लि.	सिक्यूरिटी	सिप्का एस ए स्वीटजरलैण्ड		34.00	5.86
21.	क्लाइमेंट सिस्टमस (इण्डिया) लि.	एलम्यूनियम	फोर्ड मोटर यूएसए		26.00	4.00
22.	बॉश एण्ड लोम्ब इण्डिया लि.	सोफ्ट कान्टेक्ट लैंस	बॉश एण्ड लाम्ब यूएसए		29.00	4.00
23.	एरिकशन इण्डिया लि.	इलेक्ट्रोनिक स्वीचिंग	एल.एम. एरिक्शन स्वीडन		20.00	10.20
24.	इण्डियन शेविंग प्रोडेक्टस लि.	शेविंग ब्लेड्स	जिलेट यूएसए		238.00	20.00
25.	कांटीनेन्टल ब्रिक्स लि.	ब्रेक/डिस्क	यूरोकर पान्स यूके		395.00	68.00
26.	ऐशियन केन लि.	एलयूमिनियम केन्स	सीएमबी इन्जी.यूके		588.00	
27.	कमान मेनाइट्स प्रा. लि.	पोलिश्ड मेनाइट	जोनाटो एसआरएल इटली		444.00	41.00

* ये कम्पनियां परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं एवं उत्पादन अगले वर्ष संभावित है। अन्य सभी कम्पनियां उत्पादनरत हैं।

सूची-ख

विदेशी निवेशकों के सहयोग से प्रस्तावित उद्योगों को राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

विदेशी निवेशकों के सहयोग से लगने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायतों व सुविधाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष रियायतों व सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है :—

1. इकाइयां पूंजी विनियोजन के 20 प्रतिशत की दर से व अधिकतम 25 लाख रुपये के पूंजी विनियोजन अनुदान (सब्सीडी) के लिए पात्र हैं।
2. उपयुक्त परियोजना की पहिचान (आईडेन्टीफाई) करने में राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करती है।
3. परियोजना के क्रियान्वयन की हर अवस्था पर बी.आई.पी. राज्य की विभिन्न एजेन्सियों से अभिस्वीकृतियां प्राप्त करने में अपनी सेवाएं प्रदान करती है।
4. औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित व अविकसित भूमि उपलब्ध कराई जाती है।
5. उद्यमियों के लिये केन्द्र सरकार व केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ अनुगमन व समन्वय किया जाता है।
6. उद्यमी बी.आई.पी. के व्यापक व विस्तृत डेटा बैंक जिसमें विभिन्न सूचनाएं जैसे तकनीकी साधन, प्रोबेबल इक्विटी पार्टनर परियोजना रूपरेखा, खनिज संसाधन आदि उपलब्ध हैं, का सहज उपयोग कर सकता है।

इसके अतिरिक्त उद्योग—संवर्धन ब्यूरो द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय दूतावासों के जरिये विदेशी निवेशकों से बराबर सम्पर्क रखा जा रहा है।

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या—3 की सूचना

1	2	3	4	5	6	7
1.	रामाप्रवि.भीम मण्डी	व्याख्याता	हिन्दी	1	9/95	स्थाना.
2.	" सागोद	"	हिन्दी	1	4/95	सेनि.
			चित्रकला	1	6/95	स्थाना.
			वाणिज्य	1	7/95	स्थाना.

(111)

1	2	3	4	5	6	7
3.	रामा वि. रामगंजमण्डी	व्याख्याता	हिन्दी	1	9/95	स्थाना.
			चित्रकला	1	6/95	सेनि
4.	" आवा	"	गणित	1	9/95	स्थाना.
			वाणिज्य	1	7/95	"
			अर्थशास्त्र	1	6/95	सेनि.
5.	" गुमानपुरा	"	अर्थशास्त्र	1	4/95	सेनि.
6.	" केथून	"	अर्थशास्त्र	1	5/90	सेनि.
7.	" ईटावा	"	अर्थशास्त्र	1	9/95	स्थाना.
			वाणिज्य	1	4/95	"
8.	" सुल्तानपुरा	"	अर्थशास्त्र	1	7/92	सेनि.
9.	" चेचट	"	वाणिज्य	2	3/95/ 5/85	स्थाना.
10.	" कैथून	"	वाणिज्य	1	6/95	स्थाना.
11.	राबासीमावि रामगंजमण्डी	"	ना.शास्त्र	1	6/95	स्थाना.
12.	" बल्लभनगर	"	अर्थशास्त्र	1	8/92	सेनि.
			ना.शास्त्र	1	4/95	सेनि.
13.	" चेचट	"	ना.शास्त्र	1	7/95	स्थाना.
14.	" बारा	"	वाणिज्य	2	7/95	स्थाना.
15.	" रामपुरा	"	संगीत	1	8/92	स्थाना.
			भो. शास्त्र	2	7/94	स्थाना.
			गृ. विज्ञान	1	9/92	नव सृजित
			अर्थशास्त्र	1	1/91	" "
16.	"कैथून	"	गृह विज्ञान	1	9/95	सेनि.
17.	रासीपावि, सांगोद	व.अ.	जीव विज्ञान	1	–	पदोन्नति
18.	" रामगंजमण्डी	"	सामान्य	1	–	पदोन्नति
19.	" चेचट	"	सामान्य	1	–	स्थाना.
20.	रामवि, द्वीपरी चवल	"	सामान्य	1	–	स्थाना.
21.	" नीपोला	"	सामान्य	2	–	स्थाना.
22.	" मदनपुरिया	"	सामान्य	1	–	स्थाना.
			संस्कृत	1	–	पदोन्नति
23.	" पीपल्दा	"	सामान्य	1	–	पदोन्नति

1	2	3	4	5	6	7
24.	रामा वि. लुहावद	व. अ.	सामान्य	2	–	पदोन्नवि
25.	रामावि, गेना	"	सामान्य	1	–	पदोन्नवि
26.	" अरड खेड़ा	"	सामान्य	1	–	पदोन्नवि
27.	" महावीर नगरा	"	सामान्य	1	–	स्थाना.
			संस्कृत	1	–	पदोन्नवि
			अंग्रेजी	1	–	पदोन्नवि
28.	" देवली सिख	"	संस्कृत	1	–	पदोन्नवि
			अंग्रेजी	1	–	पदोन्नवि
						पदोन्नवि
29.	"अर्जुनपुरा	"	संस्कृत	1	–	पदोन्नवि
30.	" कैथून	"	संस्कृत	1	–	पदोन्नवि
31.	" रेलगांव	"	संस्कृत	1	–	स्थाना.
32.	" डाबरमोदी	"	गणित	1	–	स्थाना.
33.	" धुलेट	"	गणित	1	–	पदोन्नवि
34.	" मोरपा	"	गणित	1	–	स्थाना.
35.	" महावरा	"	गणित	1	–	पदोन्नवि
36.	" देवली	"	अंग्रेजी	1	–	पदोन्नवि
37.	" गोयन्दा	"	अंग्रेजी	1	–	पदोन्नवि
38.	" उण्डवा	"	जीवविज्ञान	1	–	पदोन्नवि
39.	" तलाब	"	जीवविज्ञान	1	–	पदोन्नवि
40.	राबासीमावि, भामण्डी	"	अंग्रेजी	1	7/95	पदोन्नति
41.	" महारानी	"	गणित	1	8/95	पदोन्नति
42.	" सांगोद	"	सामान्य	1	6/95	स्थाना.
		पुस्तका. अध्यक्ष		1	–	त्यागपत्र
43.	" सुल्तानपुर	व.अ.	शा.शि.	1	8/95	नवसृजित
44.	रासीमावि, दीगोद	तृतीय	सामान्य	1	–	सेनि.
45.	" रामगंजमण्डी	"	सामान्य	2	–	सेनि.
46.	" केथून	"	सामान्य	1	–	पदोन्नवि
47.	रामावि, इन्द्रागांधीनगर	"	सामान्य	1	–	पदोन्नवि
48.	" महावीरनगर	"	सामान्य	2	–	पदोन्नवि
49.	" संगीतरामपुरा	"	सामान्य	1	–	पदोन्नवि
50.	" सुकेत	"	सामान्य	1	–	पदोन्नवि
51.	रामबामावि, नयापुराबाग	"	सामान्य	1	6/95	स्थाना.
52.	राबासीमावि. चेचट	प्रधानाचार्य		1	7/95	स्थाना.
53.	राबामावि, इटावा	प्रधानाध्यापिका		1	6/95	स्थाना.

जिन विद्यालयों के सम्मुख कब से रिक्त होने की तिथियाँ अंकित नहीं हैं, उनके संकलन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या–11 की प्रति

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री एम.पी. कैल्ल भैरूरतन व्यास व बाबूलाल गोयल इत्यादि द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अधिनियम संख्या 13 की धारा 6 उप धारा अनुच्छेद (अ) (ब) (स) के अन्तर्गत म्युचुयल हाऊसिंग कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी लि., जयपुर डाकखाना जयपुर जिला जयपुर के नाम से एक सहकारी समिति के रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया है। तथा कथित समिति पर रजिस्ट्रेशन उक्त अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत कथित आवेदन पत्र में वर्णित एवं कथित अधिनियम व उसके अधीन बनाये गये नियम और उसके अन्तर्गत जारी किये गये साधारण अथवा विशेष आदेशों तथा समिति के उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार क्रमांक 2467 एल. पर आज दिनांक 5.8.69 को किया जाता है।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मेरी मुद्रा तथा हस्ताक्षर सहित आज दिनांक 5.8.69 को जारी किया जाता है।

ह.
सहायक रजिस्ट्रार,
सहकारी समतियाँ, जयपुर इकाई
जयपुर (राजस्थान)

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या–16 की सूची

सूची "अ"

माह सितम्बर, 1995 तक दिये गये कनेक्शनों की जिलेवार संख्या सूची–

क्र.सं.	वृत्त/जिले का नाम		दिये गये कनेक्शनों की संख्या
1.	अजमेर :	अजमेर	191
		पाली	1
		जयपुर	2
		नागौर	1
2.	अलवर :	अलवर	445
3.	भीलवाड़ा :	भीलवाड़ा	422

क्र.सं.	वृत्त/जिले का नाम		दिये गये कनेक्शनों की संख्या
4.	बीकानेर :	बीकानेर	186
5.	भरतपुर :	भरतपुर	22
		धौलपुर	4
6.	बाड़मेर :	बाड़मेर	120
		जैसलमेर	4
7.	चूरू :	चूरू	195
		नागौर	19
8.	चित्तौड़गढ़ :	चित्तौड़गढ	586
9.	दौसा :	दौसा	232
		जयपुर	88
10.	हनुमानगढ़ :	हनुमानगढ़	201
11.	जयपुर :	जयपुर सिटी सर्किल	14
12.	जयपुर जिला वृत्त :	जयपुर जिला वृत्त	1326
13.	झुंझुनूं :	झुंझुनूं	613
14.	जोधपुर सिटी :	जोधपुर	2
15.	जोधपुर जिला :	जोधपुर	669
		जालौर	288
16.	झालावाड़ :	बारां	118
		झालावाड़	8
17.	कोटा :	बूंदी	155
		कोटा	142
		चित्तौड़गढ़	30
18.	नागौर :	नागौर	684
19.	पाली :	पाली	589
		सिरोही	199
20.	सवाई माधोपुर :	सवाई माधोपुर	159
		टोंक	56
21.	सीकर :	सीकर	888
22.	श्रीगंगानगर :	श्रीगंगानगर	116
23.	उदयपुर :	बांसवाड़ा	6
		डूंगरपुर	12
		उदयपुर	420
		राजसमंद	143
	योग—		9356

परिशिष्ट—6

परिशिष्ट "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची

जिन सम्भागीय मुख्यालयों एवं जिलों में परिवहन निगम के एक से अधिक आगार स्थापित हैं, उनकी सूची

क्र.सं.	नाम सम्भागीय मुख्यालय	नाम जिला मुख्यालय	नाम परिवहन निगम आगार
1.	जयपुर	जयपुर	1. सुविधा आगार, जयपुर
			2. जयपुर आगार
			3. विघाधर नगर आगार
			4. वैशालीनगर आगार
			5. सांगानेर आगार
			6. जवाहरनगर आगार
			7. झालाना डूंगरी आगार
			8. कोटपूतली आगार
		अलवर	1. अलवर आगार
			2. मत्स्य नगर आगार
			3. तिजारा
		भरतपुर	1. भरतपुर आगार
			2. लोहागढ़ आगार
		झुंझुनूं	1. झुंझुनूं आगार
			2. खेतड़ी आगार
2.	अजमेर	अजमेर	1. अजमेर आगार
			2. अजमेरु आगार
			3. ब्यावर आगार
3.	बीकानेर	गंगानगर	1. गंगानगर आगार
			2. अनूपगढ़ आगार
		चूरु	1. सरदारशहर आगार
			2. चूरु आगार (सब डिपो)
4.	जोधपुर	जोधपुर	1. जोधपुर आगार
			2. फलौदी आगार
		सिरोही	1. सिरोही आगार
			2. आबूरोड आगार

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या–26 की सूची

केन्द्रीय सब्जी मिनिकिट वर्ष 1993-94

सं.	नाम कृषक मय पिता	ग्राम	किस्म बीज	मात्रा ग्राम में	अनुदानित राशि
1.	श्री ईश्वर/लछमा	खोरा	तुरई	200	150 रू.
2.	श्री नारान/नानगा	कांकरेल	लॉकी	200	"
3.	श्री कानाराम/मंगला	"	मिर्च	60	"
4.	श्री बाबू/ईसर	खोरामीना	तरबूज	200	"
5.	श्री पूरन/किशना	अचरोल	लोकी	200	"
6.	श्री हरिप्रसाद/सोहनलाल	"	"	200	"
7.	श्री प्रभुदयाल/रामलाल	अचरोल	तुरई	200	"
8.	श्री जगदीश प्रसाद/सुंदर लाल	"	तरबूज	200	"
9.	श्री नन्चूराम/हेताराम	"	मिर्च	60	"
10.	श्री रामकरण/बिरदूराम	"	खीरा	100	"
11.	श्री राधेश्यमा/भंवर जी	"	"	"	"
12.	श्री जलसीराम/भंवर जी	"	"	"	"
13.	श्री चौथमल/गोविन्दराम	"	"	"	"
14.	बाबूलाल/मेवाराम	"	"	"	"
15	श्री भंवरलाल/केशूराम	"	मिर्च	60	"
16.	श्री प्रभाती/कल्याण	खोरा	बैंगन	25	"
17.	श्री भुवाना/बिरदा	"	"	"	"
18.	श्री रामकुंवर/सेठूराम	"	टमाटर	20	"
19.	श्री जालमा/बिरदा	"	"	"	"
20.	श्री कालूराम/प्रभात	लालवास	बैंगन	25	"
21.	श्री रूपनारायण/कपिल	"	"	"	"
22.	श्री कुशल जी/कानजी	आमेर	टमाटर	20	"
23.	श्री कालूराम/तेजाराम लालवास	"	"	"	"
24.	श्री भंवर जी/तेजाराम अचरोल	"	"	"	"
25.	श्री गंगाराम/तेजाराम	"	बैंगन	25	"
26.	श्री नानूराम/श्यामलाल	"	टमाटर	20	00
27.	श्री चौथमल/गोविन्दराम	"	बैंगन	25	"
28.	श्री रामस्वरूप/लक्ष्मण	"	"	"	"
29.	श्री रामनारायण/बिरदू जी	"	टमाटर	20	"
30.	श्री मंगल जी/लक्ष्मण	"	बैंगन	25	"
31.	श्री गोपाल/आनन्दीलाल	"	टमाटर	20	"
					4650/–

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या–30 की सूची

पार "क"

पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत हेरीटेज होटलों की सूची–

1. होटल लालगढ़ पैलेस, बीकानेर
2. होटल बिसाऊ पैलेस, जयपुर
3. नारायण निवास पैलेस होटल, जयपुर
4. राजमहल पैलेस, जयपुर
5. सामोद हवेली, जयपुर
6. अजीत भवन पैलेस, जोधपुर
7. होटल करणी भवन, जोधपुर
8. रॉयल कासल, खीमसर
9. कासल मण्डावा, मण्डावा
10. दी पैलेस (बीकानेर हाउस) मा.आबू
11. नीमराना फोर्ट/पैलेस, नीमराना
12. रामगढ़ लॉज, रामगढ़
13. रोहितगढ़, रोहित
14. सामोद पैलेस, सामोद
15. होटल सरिस्का पैलेस, सरिस्का
16. सवाई माधोपुर लॉज, सवाई माधोपुर
17. कॉसल बिजापुर, बिजापुर, चित्तौड़गढ़
18. फतेह प्रकाश पैलेस, सिटी पैलेस, उदयपुर
19. शिव निवास पैलेस, उदयपुर
20. होटल कोठारिया पैलेस, कोठारिया, राजसमन्द
21. सिराबादी, उदयपुर
22. होटल भँवर निवास, बीकानेर
23. फोर्ट चनावा, लूनी, जोधपुर